पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
DEPARTMENT OF DRINKING WATER & SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
सत्यमेव जयते

Har Ghar Jal
Jal Jeevan Mission

जन-भागीदारी से हर घर जल

समुदाय आधारित ग्रामीण पेय जल योजनाओं का संचालन एवं संधारण हेतु मार्गदर्शिका

भाग 1

नोट: *यह हिंदी संस्करण, विभाग द्वारा नवंबर 2025 में प्रकाशित अंग्रेजी मार्गदर्शिका " Community Managed Piped Water Systems in Rural India – Jan-Bhagidari se Har Ghar Jal" का अनुवाद है। किसी भी प्रकार की व्याख्या, संदर्भ या स्पष्टीकरण की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण को ही प्रामाणिक/अंतिम संदर्भ माना जाए।*

जन-भागीदारी से हर घर जल

समुदाय आधारित ग्रामीण पेय जल योजनाओं का संचालन एवं संधारण हेतु मार्गदर्शिका

भाग 1

Foreword

सी आर पाटिल

केंद्रीय मंत्री,
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार

जल भारत को एकता का सबसे पुराना पाठ पढ़ाता रहा है। सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक, हमारी आस्था को अपने साथ बहाने वाली गंगा से लेकर हमारे खेतों को सींचने वाली गोदावरी और कृष्णा तक, देश के मध्य से बहने वाली नर्मदा से लेकर दक्षिणी मैदानों को आकार देने वाली कावेरी और महानदी तक—हर नदी साझा जीवन और साझा संघर्ष की एक कहानी कहती है। पिछली पीढ़ियों द्वारा बनाए गए कुओं, तालाबों और टंकियों से लेकर आज की ज़रूरतों को सहारा देने वाले विशाल भूजल भंडारों तक, जल हमेशा से हमारे लिए एक ओर वरदान रहा है और दूसरी ओर हमारी जिम्मेदारी भी।

2019 में जब माननीय प्रधानमंत्री ने 'हर घर जल' का आह्वान किया, तो उन्होंने भारत के विकास को गरिमा की दृष्टि से नए सिरे से देखा, कि हर महिला और हर बच्चे को घर पर सुरक्षित पेयजल पाने का अधिकार हो। इस दृष्टि के पीछे एक गहरा विश्वास निहित है: कि सच्ची प्रगति का मापदंड केवल यह नहीं है कि सरकार क्या निर्माण करती है, बल्कि यह है कि लोग बनी व्यवस्थाओं को कितना सहेजते और बनाए रखते हैं।

आज 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास कार्यशील (functional) नल कनेक्शन हैं, यह परिवर्तन अपने पहुँच और गति दोनों में अभूतपूर्व है। पर हमारे सामने चुनौती अब केवल कवरेज तक सीमित नहीं है। यह स्रोत से घर तक, बुनियादी ढांचे और समावेशन के बीच विश्वास की श्रृंखला को मजबूत करने के बारे में है। यह उन नदियों, झरनों और भूजल भंडारों की रक्षा का संकल्प है जो हर गाँव को जीवन देते हैं; और यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि जल प्रणालियों का प्रबंधन बंद कमरों से नहीं, बल्कि समुदायों के बीच से हो।

यही जन-भागीदारी की भावना है, एक ऐसी साझेदारी, जिसमें हर ग्राम पंचायत, हर महिला समूह, और हर युवा अपने गाँव के जल का संरक्षक बनता है। अब जल जीवन मिशन के अगले चरण में स्वामित्व, पारदर्शिता और स्थानीय जिम्मेदारी की भावना को मिलकर और मजबूत बनाना है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जल जीवन मिशन की सफलता चार प्रमुख स्तंभों पर टिकी है, जन सहभागिता, हितधारकों की सहभागिता, राजनीतिक इच्छाशक्ति, और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। ये स्तंभ मिलकर मिशन की मूल भावना को परिभाषित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि मजबूत नेतृत्व, सहयोग और प्रभावी संसाधन प्रबंधन के माध्यम से हर ग्रामीण परिवार को सुरक्षित पेयजल मिले।

इनमें जन सहभागिता, यानी जन-भागीदारी, सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में सामने आती है। यही स्थिरता और लगातार सेवा-प्रदाय की आधारशिला है, जहाँ समुदाय अपने जल तंत्र के प्रबंधन में गौरव और स्वामित्व महसूस करता है।

ग्रामीण भारत में समुदाय द्वारा संचालित पाइप पेयजल व्यवस्था पर यह व्यावहारिक पुस्तिका उसी भावना को दर्शाती करती है। यह तकनीकी मार्गदर्शन को सामूहिक अनुभव और सीख में बदलती है, और गाँवों को अपने हाथों से बनाई गई व्यवस्था को संचालित करने, बनाए रखने और सुरक्षित रखने में मदद करती है। यह पुस्तिका जितनी प्रबंधन की बात करती है, उतनी ही विश्वास की भी; इस विश्वास की कि जब सामान्य नागरिकों को जिम्मेदारी और भरोसा दिया जाता है, तो वे असाधारण काम कर सकते हैं।

जैसे-जैसे हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जल हमारे लिए नैतिक दिशा-सूचक बना रहना चाहिए, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और गरिमा को जोड़ता है। हम जिस भी स्रोत का संरक्षण करते हैं और जिस भी व्यवस्था को मजबूत करते हैं, वह आने वाली पीढ़ियों के प्रति निभाया गया एक वादा है। इसलिए हर घर जल की यह यात्रा केवल हर घर तक पहुँचने की नहीं है, बल्कि सुझल ग्राम से सुजलाम भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की भी है।

(सी.आर. पाटिल)

Foreword

केंद्रीय राज्य मंत्री (MoS),
जल शक्ति और रेल मंत्रालय
भारत सरकार

वी. सोमन्ना

जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया, तो उन्होंने विकास को एक सरल लेकिन परिवर्तनकारी विचार के माध्यम से नई परिभाषा दी—कि भारत के हर ग्रामीण परिवार को नल से स्वच्छ जल उपलब्ध हो। यह एक ऐसी दृष्टि थी जो गरिमा में निहित थी, कार्यान्वयन से समर्थ थी, और इस विश्वास से प्रेरित थी कि सुरक्षित पेयजल तक पहुँच समानता और कल्याण, दोनों के लिए बुनियादी है।

जल मानव विकास के हर पहलू स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और समानता को जोड़ता है। सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ अपनी राष्ट्रीय दृष्टिकोण को जोड़ते हुए, भारत ने जल को अपनी विकास प्राथमिकताओं के केंद्र में रखा है। जल जीवन मिशन इसी प्रतिबद्धता को साकार करता है, यह सुनिश्चित करके कि हर ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और सतत पेयजल तक पहुँच मिले; यह एक बुनियादी आवश्यकता है जो जीवन को सहारा देती है और प्रगति के हर अन्य प्रयास को गति देती है।

पिछले कुछ वर्षों में इस मिशन ने ग्रामीण भारत में विकास के अनुभव को बदल दिया है। जैसे-जैसे हम सार्वभौमिक कवरेज/सम्पूर्ण पहुँच के करीब पहुँच रहे हैं, अब ध्यान सततता पर केंद्रित होना चाहिए, जो हासिल किया है उसे बनाए रखना, संस्थाओं को मजबूत करना, और प्रणालियों की लंबे समय तक कार्यशीलता सुनिश्चित करना। एक सफल जल योजना वही नहीं होती जो केवल बन जाए; सफल वही है जो दिन-प्रतिदिन सुरक्षित पानी देती रहे, साझा स्वामित्व और जवाबदेही के साथ।

यही जन-भागीदारी, यानी लोगों की सहभागिता, का महत्व बढ़ जाता है। जल जीवन मिशन की असली ताकत समुदायों को अपने प्रणालियों व् व्यवस्थाओं का प्रबंधन करने के लिए सक्षम बनाने में है। जब ग्राम पंचायतें संचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी निभाती हैं, जब महिलाएँ पानी की गुणवत्ता की जाँच और निगरानी करती हैं, और जब स्थानीय युवा नल जल मित्र के रूप में सेवा देते हैं, तब मिशन वास्तव में सतत बनता है, जिसे वही लोग अपनाते, चलाते और सुरक्षित रखते हैं, जिन्हें वह सेवा प्रदान करता है।

ग्रामीण भारत में समुदाय द्वारा संचालित पाइप पेयजल व्यवस्था पर यह पुस्तिका इस परिवर्तन-यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका के रूप में विकसित की गई है। यह तकनीकी मार्गदर्शन को संस्थागत समझ के साथ जोड़ती है और जटिल प्रक्रियाओं को पंचायतों, ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) और अन्य समुदाय आधारित संस्थाओं के लिए सरल, व्यवहारिक और लागू किए जा सकने वाले कदमों में रूपांतरित करती है।

अब समय है कि हम इस सामूहिक अनुभव को और गहरा करें, निर्माण से देखभाल की ओर, कार्यान्वयन से चिंतन की ओर। चाहे जल अर्पण के माध्यम से योजनाओं का समुदाय को औपचारिक हस्तांतरण हो, लोक जल उत्सव में स्रोत संरक्षण के साथ जल का उत्सव मनाना हो, या जल बंधन के जरिए अपने जल संसाधनों का सम्मान करना, इन सभी कार्यों का अपना विशेष अर्थ है। ये हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं, हमारे साझा मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं और यह याद दिलाते हैं कि जल के क्षेत्र में हर उपलब्धि के भीतर मानवीय प्रयास और सामूहिक विश्वास की कहानी छिपी होती है।

मुझे विश्वास है कि यह पुस्तिका मिशन को नए उत्साह और स्पष्ट उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाने में सहायक होगी, और नीति को व्यवहार में तथा पहुँच को भरोसेमंद सेवा में बदलने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

[वी. सोमन्ना]

Foreword

अशोक के के मीणा

सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,
जल शक्ति मंत्रालय,
भारत सरकार

सुरक्षित पेयजल की भारत में हर व्यक्ति तक पहुँच, की दिशा में भारत की यात्रा दृढ़ संकल्प, सहयोग और साहस की कहानी है। यह एक सरल सत्य जो एक सरल सत्य की पुष्टि करती है कि विकास स्थायित्व तब प्राप्त करता है इसके केंद्र में लोग होते हैं।

पिछले छह वर्षों में जल जीवन मिशन ने सार्वजनिक सेवा-प्रदाय की अवधारणा को जन-भागीदारी के एक नए मॉडल में बदल दिया है। 2019 में घोषित एक दृष्टिकोण के रूप में शुरू होकर, यह आज एक राष्ट्रीय जन-आंदोलन बन गया है, जो 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को सुनिश्चित नल जल आपूर्ति से जोड़ता है। आँकड़ों से आगे, यह उपलब्धि ग्रामीण भारत के परिवर्तन को दर्शाती है जहाँ महिलाएँ अब पानी के लिए मीलों नहीं चलतीं, जहाँ बच्चे जलजनित रोगों के भय के बिना स्कूल जा पाते हैं, और जहाँ समुदाय अपने संसाधनों का स्वामित्व और देखरेख स्वयं करता है।

मिशन की ताकत उसकी रचना में निहित है, एक ऐसी व्यवस्था जो ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) को अपने गाँव की जलापूर्ति प्रणालियों की योजना बनाने, प्रबंधन करने और रख-रखाव करने के लिए सशक्त बनाती है। जल जीवन संवाद, जल उत्सव, तथा जिला कलेक्टरों के 'पेयजल संवाद' जैसी पहलों के माध्यम से संवाद और अभिसरण इसकी प्रगति के अभिन्न अंग बन गए हैं। पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी और विश्वास पर आधारित मिशन का यह दृष्टिकोण सहभागी अभिशासन में नए मानक स्थापित कर रहा है।

"ग्रामीण भारत में समुदाय द्वारा संचालित पाइप पेयजल व्यवस्था" पर यह व्यावहारिक पुस्तिका ग्राम पंचायतों, VWSCs, स्वयं सहायता समूहों (SHGs), समुदाय-आधारित संगठनों (CBOs), नल जल मित्रों, तथा सभी स्थानीय जल-प्रेरकों/जल-चैंपियनों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज़ है। सरल भाषा में लिखी गई यह पुस्तिका समुदायों को यह समझने में मदद करेगी कि गाँव की जलापूर्ति व्यवस्था का संचालन और रख-रखाव कैसे करें, वित्तीय प्रबंधन पारदर्शिता के साथ कैसे करें, सुरक्षित और स्वच्छ जल की आपूर्ति कैसे सुनिश्चित करें, तथा जल अर्पण दिवस और लोक जल उत्सव जैसी समुदाय-नेतृत्व वाली पहलों के माध्यम से स्वामित्व की भावना को कैसे बढ़ावा दें।

जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान गुणवत्ता, सततता, और संस्थागत सुदृढ़ता पर केंद्रित होगा। चुनौती अब हर घर तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की है कि हर घर को पीढ़ियों तक और हर दिन सुरक्षित पानी मिलता रहे। इसके लिए जमीनी स्तर पर क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने, जल गुणवत्ता निगरानी में निवेश करने और स्वास्थ्य, शिक्षा तथा ग्रामीण आजीविका जैसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने की मांग की गई है।

अंततः जल जीवन मिशन की कहानी भारत के लोगों पर उसके विश्वास की कहानी है। यह इस बात का प्रमाण है कि जब सरकार, समुदाय और संस्थाएँ एक साथ कदम मिलाकर चलती हैं, तो सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। मुझे आशा है कि यह प्रकाशन हर घर जल को सुनिश्चित करने के हमारे साझा प्रयास में निरंतर साझेदारी, नवाचार और गौरव को प्रेरित करेगा।

[अशोक के.के. मीणा]

Foreword

कमल किशोर सोन

अपर सचिव और मिशन निदेशक (एनजेजेएम),
पेयजल और स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार

भारत का जल क्षेत्र एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। आज 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ नल जल की पहुँच मिलने के साथ, जल जीवन मिशन (JJM) ने देश को सम्पूर्ण कवरेज (सार्वभौमिक पहुँच) के और करीब ला दिया है।

हर बड़े राष्ट्रीय प्रयास की तरह, अब हमारा ध्यान व्यवस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर उन्हें सतत बनाए रखने पर केंद्रित है। 5.14 लाख से अधिक ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) के गठन ने विकेन्द्रीकृत जल शासन को मजबूत किया है; महिलाओं के नेतृत्व में जल गुणवत्ता की जाँच और निगरानी ने जल की गुणवत्ता के प्रति भरोसा बढ़ाया है; और जल उत्सव जैसी पहलों ने सामूहिक स्वामित्व की भावना को और गहरा किया है। सरकार के नेतृत्व वाले निर्माण से समुदाय के नेतृत्व वाले प्रबंधन की यह दिशा भारत के जल-शासन व्यवस्था के दृष्टिकोण में एक बुनियादी बदलाव का प्रतीक है, जहाँ वास्तविक सततता सशक्तीकरण, ग्राम पंचायतों की जवाबदेही, और अपने जल स्रोतों के प्रबंधन व संरक्षण में समुदाय के गौरव पर आधारित है।

यह प्रकाशन—'ग्रामीण भारत में समुदाय द्वारा संचालित पाइप पेयजल व्यवस्था' पर व्यावहारिक पुस्तिका—इसी दर्शन को प्रतिबिंबित करता है। यह ग्रामीण जल प्रबंधन के तकनीकी, संस्थागत और सांस्कृतिक पहलुओं को सरल बनाकर ग्राम पंचायतों, VWSCs, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और स्थानीय जल-प्रेरकों/जल-चैंपियनों के लिए व्यावहारिक कदमों के रूप में प्रस्तुत करता है। जल अर्पण दिवस से लेकर लोक जल उत्सव तक, वित्तीय पारदर्शिता से लेकर समुदाय आधारित ऑडिट तक—यह स्वामित्व को कार्यरूप देने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करता है।

मिशन की अगली बड़ी उपलब्धि जमीनी स्तर पर सक्षम हाथों को तैयार करने में है, नल जल मित्र, जल सखी और जल दूत, जो जल प्रबंधन की व्यवस्थाओं को सुचारू रखेंगे, स्रोतों का संरक्षण करेंगे और हर घर जल की भावना को हर दिन जीवंत बनाए रखेंगे। उतना ही महत्वपूर्ण है स्थानीय अनुभव और सीख का आदान-प्रदान, ताकि हर समुदाय अपनी बनाई व्यवस्था के प्रबंधन में आत्मनिर्भर बन सके।

जैसे-जैसे भारत इस परिवर्तनकारी मिशन की उपलब्धियों को सुदृढ़ कर रहा है, मार्गदर्शक सिद्धांत स्पष्ट है: आपूर्ति किया जाने वाला हर बूंद जल, सुरक्षित, विश्वसनीय और सतत होना चाहिए। आगे की यात्रा में प्रौद्योगिकी और परंपरा के बीच और गहरा समन्वय आवश्यक है, डिजिटल निगरानी के साथ स्थानीय समझ का सहारा, और डेटा के साथ संवाद का जोड़।

चूँकि भारत इस परिवर्तनकारी मिशन के लाभों को समेकित कर रहा है, अत: मार्गदर्शक सिद्धांत स्पष्ट है: वितरित की गई प्रत्येक बूंद सुरक्षित, विश्वसनीय और टिकाऊ होनी चाहिए। आगे की यात्रा प्रौद्योगिकी और परंपरा के बीच गहरे एकीकरण की मांग पर आधारित है - स्थानीय ज्ञान द्वारा प्रतिपूर्तित द्वारा पूरक डिजिटल निगरानी, और संवाद डेटा।

समेकन के इस चरण में जल जीवन मिशन की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि वह पहुँच को जवाबदेही में और सेवा-प्रदाय को स्थायित्व में कितनी प्रभावी तरह से बदल पाता है। मिशन का भविष्य ऐसे समुदाय-प्रबंधित व्यवस्थाओं में है जो आगे चलकर आत्मनिर्भर संस्थाओं के रूप में विकसित हों, कार्य-क्षमता और भावना, दोनों स्तरों पर सशक्त और लचीले हों।

यह पुस्तिका स्थानीय जल शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक साधन और उपयोगी समझ प्रदान करती है जिससे अनुभव को कार्य में और कार्य को दीर्घकालीन प्रभाव में बदलने में सहायता करती है। यह बताती है कि जन-भागीदारी के माध्यम से हर घर जल को कैसे सतत बनाया जा सकता है, साथ ही—प्रेरणा भी देती है और मार्गदर्शन भी।

यदि वित्तीय विवेक अर्थव्यवस्था को स्थिर और सुदृढ़ रखता है, तो सामुदायिक विवेक जल प्रबंधन व्यवस्थाओं को सतत बनाये रखता है। जल जीवन मिशन ने दिखाया है कि जब स्थानीय सहभागिता राष्ट्रीय दृष्टि के साथ जुड़ती है, तो परिणाम आँकड़ों से कहीं आगे तक पहुंचते हैं; वे दैनिक जीवन को नया आकार देते हैं, महिलाओं को सशक्त बनाते हैं और ग्रामीण भारत के भविष्य को सुरक्षित करते हैं।

[कमल किशोर सोन]

विषय सूची

संक्षेप (Abbreviations) .... **xvii**

परिभाषाएँ .... **xix**

अध्याय 1: पुस्तिका का उद्देश्य "जो हमने मिलकर बनाया है, उसे चलाना और संभालना सीखना" **1**

1.1 संचालन एवं रख-रखाव (O&M) क्यों जरूरी है 3
1.2 इस पुस्तिका का उपयोग कौन करे? 3
1.3 यह पुस्तिका स्थानीय स्वामित्व को कैसे मजबूत करती है? 4
1.4 इस पुस्तिका में आपको क्या मिलेगा? 4

अध्याय 2: संदर्भ – जल, संस्कृति और जनभागीदारी "जल से जुड़ी संस्कृति के साथ स्वामित्व और जिम्मेदारी का नया रिश्ता" **5**

2.1 जनभागीदारी-JJM की नींव 7
2.2 JJM के तहत जनभागीदारी: केवल उपयोगकर्ता ही नहीं, बल्कि स्वामी बनें 7
2.3 स्वामित्व कदम दर कदम बढ़ता है 7

अध्याय 3: ग्रामीण पाइप जलापूर्ति प्रणाली (व्यवस्था) और संचालन एवं रख-रखाव (O&M) की समझ .... "यह जानना कि हमारी व्यवस्था कैसे काम करती है" **9**

3.1 ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाएं (RPWSS) क्या है 10
3.2 योजनाओं के प्रकार 12
3.3 संचालन एवं रख-रखाव (O&M) की आवश्यकता 12
3.4 संचालन एवं रख-रखाव (O&M) के मुख्य कार्य 13
3.5 निरंतर जलापूर्ति के लिए नियमित रख-रखाव: दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक O&M गतिविधियाँ 13
3.6 सामान्य O&M समस्याएँ और सरल समाधान 15
3.7 निवारक रखरखाव और मौसमी देखभाल 17
3.8 O&M में भूमिकाएं और जिम्मेदारियां 18
3.9 O&M में रिकॉर्ड रखना और पारदर्शिता 18
3.10 गांव में पारदर्शिता को बढ़ावा देना 19
3.11 सुरक्षा और स्वच्छता 19
3.12 उपकरण और संलग्नक 20

अध्याय 4 संचालन एवं रख-रखाव में हितधारकों की भूमिका "हर स्तर पर साथ मिलकर काम करना" **21**

4.1 ग्रामीण जलापूर्ति प्रणालियों/व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने में संस्थागत भूमिकाएँ 22
4.2 ग्राम पंचायत और गाँव स्तर 22
4.3 जिला स्तर 24
4.4 राज्य स्तर 25

4.5	नल जल मित्र: वह सहायक साथी जो पानी का प्रवाह बनाए रखने में अहम् भूमिका निभाते हैं	25
4.6	सततता के लिए मिलकर काम करना	27
अध्याय 5	**संचालन एवं रख-रखाव (O&M) के लिए तैयारी "कमीशनिंग (Commissioning) से हस्तांतरण (Handing Over) तक"**	**28**
5.1	कमीशनिंग (Commissioning) क्या है	29
5.2	हस्तांतरण के लिए तैयारी : यह चरण क्यों जरूरी है	29
5.3	हस्तांतरण से पहले तैयारी की जाँच-सूची	31
अध्याय 6	**हस्तांतरण दिवस: जल अर्पण दिवस "स्वामित्व का उत्सव"**	**33**
6.1	जल अर्पण दिवस क्या है	34
6.2	जल अर्पण क्यों मायने रखता है	34
6.3	कहाँ और कैसे मनाएँ	34
6.4	हस्तांतरण के बाद	35
6.5	इसे लोगों का उत्सव बनाना	36
6.6	हस्तांतरण – एक नई शुरुआत	36
अध्याय 7	**समुदाय एवं समुदाय आधारित संस्थाओं की भागीदारी और लोगों को सशक्तिकरण "सबकी भागीदारी, सबका सशक्तिकरण - सुजल ग्राम की राह"**	**37**
7.1	सामुदायिक भागीदारी की शक्ति	38
7.2	अन्य कार्यक्रमों के साथ समन्वय (Convergence)	38
7.3	फ्रंटलाइन कार्यकर्ता की भागीदारी - DWSM के माध्यम से पानी का पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ एकीकरण	39
7.4	महिला नेतृत्व – जल व्यवस्था सुदृढ़ीकरण, समुदाय सशक्तिकरण	40
7.5	पंचायत डैशबोर्ड के माध्यम से सशक्तीकरण	40
7.6	जब समुदाय नेतृत्व करता है, तो व्यवस्था सबसे अच्छा काम करती है	40
अध्याय 8	**लोक जल उत्सव "जल, संस्कृति और सामूहिक जिम्मेदारी का जन-उत्सव"**	**41**
8.1	जल उत्सव की परिकल्पना	42
8.2	लोक जल उत्सव – O&M और स्रोत-सततता (Source Sustainability) के लिए लोगों का मंच	42
8.3	लोक जल उत्सव क्यों मनाएँ	43
8.4	स्थानीय अनुष्ठान और परंपराएँ – हर गाँव, अपना तरीका	43
8.5	लोक जल उत्सव का आयोजन कैसे करें	44
8.6	अपेक्षित परिणाम	44
8.7	सामूहिक आत्मबोध के लिए समुदाय-नेतृत्व वाला जल प्रबंधन उपकरण (CLWM)	46

अध्याय 9 **प्रभावी एवं निरंतर संचालन एवं रख-रखाव (O&M) के लिए वित्तीय प्रबंधन और सततता "साझा निवेश, साझा प्रबंधन: साझा सुरक्षा और सततता" 48**

9.1 वित्तीय प्रबंधन शुरू करने से पहले, कुछ बुनियादी नियम 49

9.2 O&M के लिए वार्षिक बजट बनाना 49

9.3 वित्तीय रिकॉर्ड रखना – गाँव की लेखा-प्रणाली 50

9.4 लेखांकन प्रारूप 51

9.5 वित्तीय रिकॉर्ड-रखरखाव और भुगतान/व्यय के लिए महत्वपूर्ण बातें 52

9.6 आय के स्रोत और व्यय मद 53

9.7 खातों की जाँच (Audit of Accounts) 53

अध्याय 10 **पेयजल सेवा आंकलन "बेहतर जल सेवा-प्रदाय के लिए समुदाय द्वारा आत्म-मूल्यांकन" 54**

10.1 जल सेवा आंकलन क्या है? 55

10.2 जल सेवा आंकलन क्यों जरूरी है? 55

10.3 जल सेवा आंकलन कैसे किया जाता है? 56

10.4 किस-किस बात की जाँच करें: मुख्य बिंदु 56

10.5 जल सेवा आंकलन - आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम 58

संदर्भ 59

संलग्नक 1 : योजनाओं के विभिन्न विन्यास घटक (रूप रेखा) 61

संलग्नक 2 : दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक गतिविधियां 64

संलग्नक 3 : सामान्य O&M मुद्दे और सरल समाधान 68

संलग्नक 4 : सौंपने हेतु तैयारी : एक उत्कृष्ट गांव के विश्वास, पारदर्शिता और एकजुटता की कहानी. 70

संलग्नक 5 : चरण दर चरण सौंपने की प्रक्रिया 72

संलग्नक 6 : वार्षिक बजट योजना. 76

संक्षेप (Abbreviations)

ARWSP	Accelerated Rural Water Supply Programme
AWC	Anganwadi Centre (आंगनवाड़ी केंद्र)
CBOs	Community-Based Organisations (समुदाय-आधारित संगठन)
CD	Check Dams (चेक डैम)
CLF	Cluster Level Federation (क्लस्टर-स्तरीय फेडरेशन)
DDWS	Department of Drinking Water and Sanitation (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग)
DTU	District Technical Unit (जिला तकनीकी इकाई)
DWSM	District Water & Sanitation Mission (जिला जल एवं स्वच्छता मिशन)
ESR	Elevated Service Reservoir (उच्चस्तरीय सेवा जलाशय/ईएसआर)
FHTCs	Functional Household Tap Connections (कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन)
FPOs	Farmer Producer Organizations (किसान उत्पादक संगठन)
FRC	Free Residual Chlorine (मुक्त उपलब्ध क्लोरीन)
FTK	Field Test Kit (फील्ड टेस्ट किट)
GIS	Geographic Information System (भौगोलिक सूचना प्रणाली)
GLSR	Ground Level Service Reservoir (भूमि-स्तरीय सेवा जलाशय)
GP	Gram Panchayat (ग्राम पंचायत)
GPDP	Gram Panchayat Development Plan (ग्राम पंचायत विकास योजना)
Hhs	Households (परिवार/घर-परिवार)
HR	Human Resource (मानव संसाधन)
ICDS	Integrated Child Development Services (एकीकृत बाल विकास सेवाएँ)
IEC	Information, Education and Communication (सूचना, शिक्षा एवं संचार)
ISA	Implementing Support Agency (कार्यान्वयन सहयोग एजेंसी)
JJM	Jal Jeevan Mission (जल जीवन मिशन)

MVS	Multi Village Water Scheme (बहु-ग्राम जल योजना)
NHM	National Health Mission (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)
NJM	Nal Jal Mitra (नल जल मित्र)
NJMP	Nal Jal Mitra Programme (नल जल मित्र कार्यक्रम)
NRDWP	National Rural Drinking Water Programme (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम)
NSS	National Service Scheme (राष्ट्रीय सेवा योजना)
NYKS	Nehru Yuva Kendra Sangathan (नेहरू युवा केंद्र संगठन)
O&M	Operation and Maintenance (संचालन एवं रख-रखाव)
OHR	Overhead Reservoir (ओवरहेड जलाशय)
OHT	Overhead Tank (ओवरहेड टैंक)
PACS	Primary Agricultural Credit Society (प्राथमिक कृषि ऋण समिति)
PHED	Public Health Engineering Department (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/पीएचईडी)
PRA	Participatory Rural Appraisal (सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन)
PT	Percolation Tank (परकुलेशन टैंक/रिचार्ज टैंक)
PWS	Piped Water Supply (पाइप जलापूर्ति)
RCL	Residual Chlorine Level (अवशिष्ट क्लोरीन स्तर)
RPL	Recognition of Prior Learning (पूर्व अधिगम की मान्यता)
RPWSS	Rural Piped Water Supply Schemes (ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाएँ)
RSETIs	Rural Self Employment Training Institutes (ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान)
RTRWH	Rooftop Rainwater Harvesting (छत-आधारित वर्षा जल संचयन)
RWS	Rural Water Supply (ग्रामीण जलापूर्ति)
SHGs	Self-Help Groups (स्वयं सहायता समूह)
SOPs	Standard Operating Procedures (मानक संचालन प्रक्रियाएँ)

SRLM	State Rural Livelihood Mission (राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन)
SSD	Sub Surface Dyke (सब-सर्फेस डाइक/भूमिगत बाँध)
STT	Short Term Training (अल्पकालिक प्रशिक्षण)
SVS	Single Village Scheme (एकल-ग्राम योजना)
SWSM	State Water & Sanitation Mission (राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन)
UT	Union Territory (केंद्र शासित प्रदेश)
VO	Village Organization (ग्राम संगठन)
VWSCs	Village Water & Sanitation Committees (ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियाँ)
WQMIS	Water Quality Management Information System (जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली)

परिभाषाएँ

- समुदाय (Community) — किसी गाँव/बसाहट (habitation) में रहने वाले लोगों का समूह।
- ग्रामीण जलापूर्ति (RWS) विभाग (Rural Water Supply Department) — राज्य में ग्रामीण जलापूर्ति के लिए नामित/जिम्मेदार विभाग, जो PHED/पंचायती राज/ग्रामीण विकास/बोर्ड/निगम आदि हो सकता है।
- यूटिलिटी (Utility) — सेवा-प्रदाय (service delivery) पर केंद्रित ऐसी संस्था, जो निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में पानी नियमित रूप से उपलब्ध कराए, तथा संचालन और वित्तीय सततता (operational & financial sustainability) सुनिश्चित करे।
- जल गुणवत्ता निगरानी (Water Quality Monitoring) — एक समान पेयजल गुणवत्ता निगरानी प्रोटोकॉल के अनुसार, ग्रामीण जलापूर्ति की जिम्मेदार एजेंसी द्वारा जल स्रोतों तथा FHTCs से लिए गए पानी के सेम्पल की प्रयोगशाला और फील्ड स्तर पर जाँच।
- कार्यशीलता आकलन (Functionality Assessment) — पानी के सेम्पल सर्वेक्षण (sample survey) के आधार पर ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शनों की कार्यशीलता का आकलन।
- ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) [Village Water and Sanitation Committee] — ग्राम पंचायत के अंतर्गत गठित समुदाय-स्तरीय संस्था, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति और स्वच्छता सेवाओं की योजना बनाने, क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन एवं रख-रखाव के लिए कार्य करती है। जल जीवन मिशन (JJM) और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत यह ग्राम पंचायत की उप-समिति के रूप में कार्य करती है।
- राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) [State Water and Sanitation Mission] — राज्य के मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव के नेतृत्व में गठित राज्य-स्तरीय निकाय, जो JJM और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत राज्य में जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रमों की योजना, क्रियान्वयन, निगरानी और समन्वय करता है।
- जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) [District Water and Sanitation Mission] — जिला परिषद या जिला प्रशासन के अंतर्गत कार्य करने वाला जिला-स्तरीय निकाय, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/CEO, जिला परिषद द्वारा की जाती है। यह जिले में ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रमों की योजना, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
- स्वयं सहायता समूह (SHG) [Self Help Group] — समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों (आमतौर पर महिलाओं) का छोटा स्वैच्छिक समूह, जो नियमित बचत करता है, संसाधन एकत्र करता है, और आजीविका सुधार व पारस्परिक सहायता के लिए एक-दूसरे को ऋण/वित्तीय सहयोग देता है।
- प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS) [Primary Agricultural Credit Society] — भारत की सहकारी ऋण संरचना में गाँव-स्तर की संस्था, जो किसानों और ग्रामीण सदस्यों को अल्पकालिक तथा मध्यम अवधि के कृषि ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएँ प्रदान करती है।
- जिला तकनीकी इकाई (DTU) [District Technical Unit] — DWSM के अंतर्गत गठित तकनीकी उप-समिति/इकाई, जो ग्राम पंचायतों (GPs) और VWSCs को जलापूर्ति संचालन के लिए तकनीकी सहयोग तथा निगरानी में सहायता करती है। वर्तमान में अधिकांश राज्यों में PHED के जिला अधिकारी यह कार्य कर रहे हैं और आगे चलकर DTU के सदस्य के रूप में भी कार्य करेंगे। राज्य अपनी O&M नीति के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहयोग देने के लिए सेवाएँ किसी अन्य एजेंसी/पैरास्टेटल संगठन से आउटसोर्स करने का निर्णय भी ले सकते हैं।

अध्याय 1

पुस्तिका का उद्देश्य

01

पुस्तिका का उद्देश्य

“जो हमने मिलकर बनाया है, उसे चलाना और संभालना सीखना”

पानी की हर बूंद के साथ एक गाँव की कहानी जुड़ी होती है, मेहनत की, एकता की और साझा उम्मीद की।

ज़रा सोचिए, सालों तक हमारे गाँवों में कितनी माताएँ, बहनें और स्कूल जाने वाली बेटियाँ हर दिन घंटों पानी भरने में लगाती रहीं। सिर पर भारी बर्तन, दूर-दूर के स्रोत, लम्बा रास्ता और उस समय की कीमत? वही समय जो पढ़ाई, कमाई या परिवार की देखभाल में लग सकता था। अब यह कहानी बदल रही है।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन (JJM) के तहत “हर घर जल”— यानी हर घर तक पीने के पानी का सपना धीरे-धीरे हकीकत बन रहा है

अब एक नया अध्याय शुरू होता है। आइए, खुद से एक सवाल पूछें, क्या पानी की व्यवस्था सिर्फ बन जाने से काम पूरा हो जाता है? नहीं। असली काम तो उसके बाद शुरू होता है: देखभाल, जन-भागीदारी और समुदाय का स्वामित्व।

इस अध्याय में हम मिलकर समझेंगे कि ग्रामीण जल व्यवस्था का केंद्र कैसे बदलेगा—

- निर्माण से संचालन एवं रख-रखाव की ओर
- सिर्फ पाने से अपनाने की ओर
- और निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर

चित्र: संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) का महत्व

तो चलिए, शुरुआत करते हैं, और देखते हैं कि "हर घर जल" को हर दिन भरोसेमंद कैसे बनाए रखें।

1.1 संचालन एवं रख-रखाव (O&M) क्यों जरूरी है

पेयजल योजना का असली काम तब शुरू होता है जब निर्माण पूरा हो जाता है और नलों से पानी आना शुरू होता है। हर दिन व्यवस्था को जीवित और सुचारु रखना ही देखभाल और प्रतिबद्धता की असली कसौटी है। जब कोई गाँव अपनी व्यवस्था का अच्छा संचालन एवं रख-रखाव करता है, तो:

i. हर घर तक पानी नियमित और सुरक्षित रूप से पहुँचता है।

ii. पंप, टंकियाँ और पाइपलाइनें कई वर्षों तक कार्यशील बनी रहती हैं।

iii. हर परिवार को गौरव और जिम्मेदारी महसूस होती है, क्योंकि यह व्यवस्था अपनी होती है।

सही O&M केवल लीकेज ठीक करने या वाल्व खोलने, बंद करने तक सीमित नहीं है; यह गाँव की 'हर घर जल' उपलब्धि की रक्षा करता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी विरासत को सुरक्षित रखता है।

और एक बात याद रखिए—जब लोग मिलकर अपनी जल व्यवस्था की देखभाल करते हैं, तो यह एक सरकारी परियोजना भर नहीं रहती, बल्कि एक सच्ची सामुदायिक धरोहर बन जाती है—गरिमा, स्वास्थ्य और गर्व का साझा स्रोत, जिसे पीढ़ियों तक सतत बनाए रखा जा सकता है।

1.2 इस पुस्तिका का उपयोग कौन करे?

यह पुस्तिका उन लोगों के लिए लिखी गई है जो इस बदलाव को वास्तव में संभव बनाते हैं—

i. ग्राम पंचायत के लिए, जो गाँव के शासन और निर्णयों की जिम्मेदारी निभाती है।

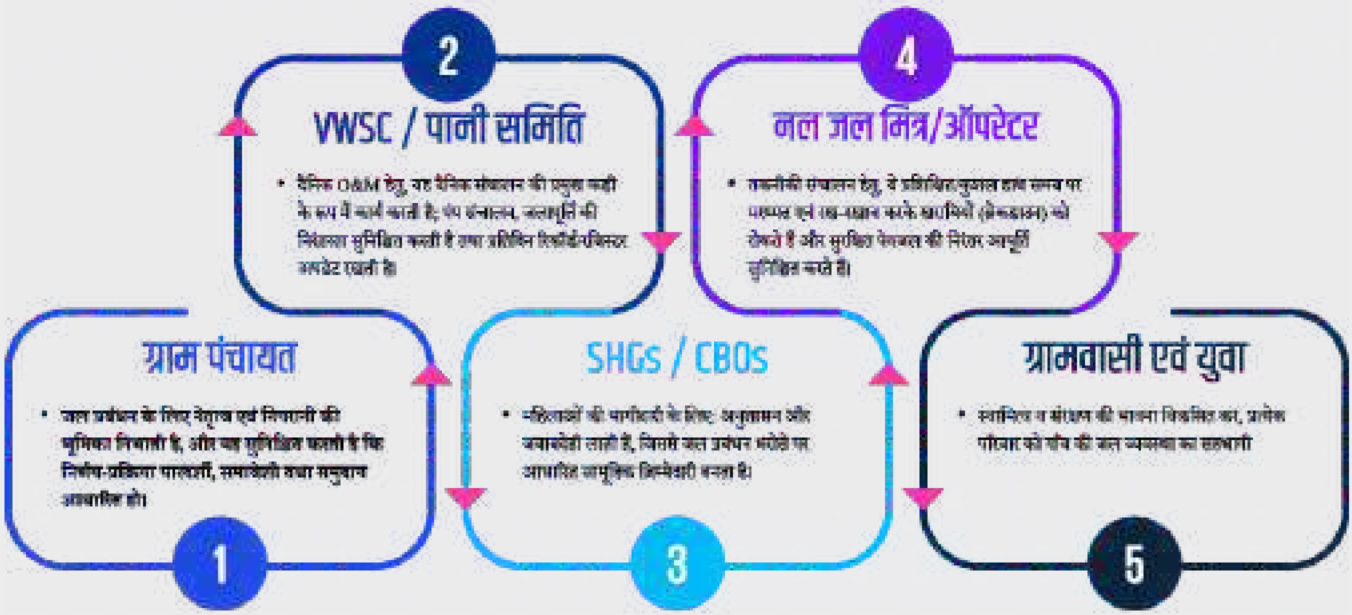

चित्र 2: यह पुस्तिका किनके लिए है

ii. VWSC/पानी समिति के लिए, जो जल व्यवस्था के संचालन एवं रख-रखाव (O&M) को सुनिश्चित करती है।

iii. स्वयं सहायता समूह (SHG) और अन्य CBOs के लिए, जो महिलाओं का नेतृत्व, अनुशासन और सहभागिता लेकर आती हैं और संचालन व प्रबंधन को मजबूत बनाती हैं।

iv. नल जल मित्रों (ऑपरेटर, प्लम्बर आदि) के लिए, जो हर दिन व्यवस्था को चलाए रखते हैं।

v. समुदाय स्वयंसेवकों और युवा समूहों के लिए, जो समुदाय को जोड़ते हैं और स्वामित्व की भावना जगाने में मदद करते हैं।

vi. और उस समुदाय और हर गांव वाले के लिए जो यह मानता है कि पानी का सिर्फ़ इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि मिलकर उसका संचालन और देखभाल करनी है।

इस पुस्तिका का उपयोग प्रशिक्षण सत्रों और गाँव की बैठकों में भी किया जा सकता है। यह संचालन एवं रख-रखाव (O&M) को चरण-दर-चरण समझाने में मदद करती है, ताकि हर कोई आसानी से सीख सके कि क्या करना है और कैसे करना है।

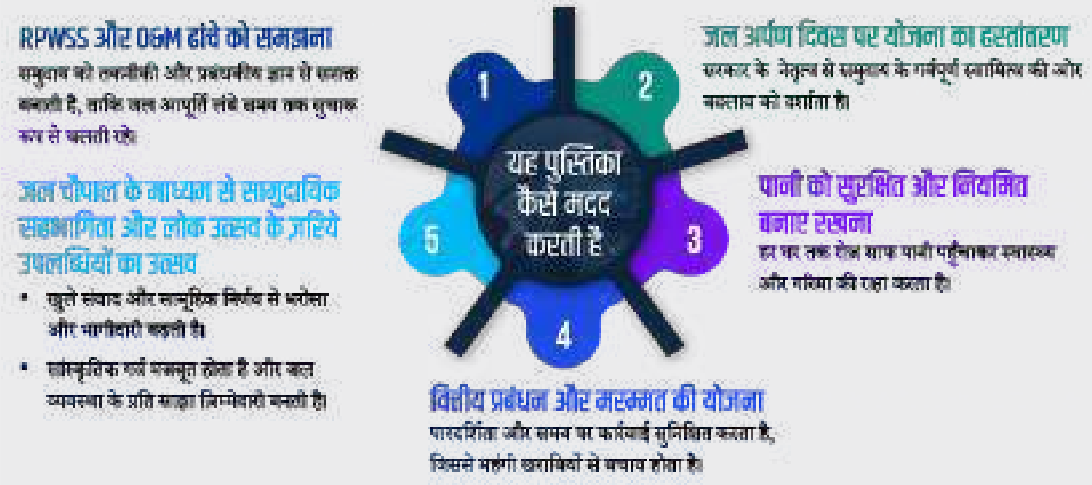

चित्र 3: इस पुस्तिका के मुख्य उद्देश्य

1.3 यह पुस्तिका स्थानीय स्वामित्व को कैसे मजबूत करती है?

73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने ग्राम पंचायतों को यह अधिकार दिया है कि वे अपनी जलापूर्ति व्यवस्था की योजना बनाएं, उसका संचालन करें और रख-रखाव सुनिश्चित करें। इसका अर्थ है कि ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाएँ (RPWSS), उनकी पाइपलाइनें, पंप हाउस, उपचार इकाई (डिसइंफेक्शन यूनिट), भंडारण टंकियाँ और नल, ये सभी गाँव की अपनी संपत्ति हैं।

जल जीवन मिशन (JJM) के तहत हर ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) उपलब्ध कराने की दृष्टि से जलापूर्ति अवसंरचना तैयार की गई है। अब आवश्यकता है कि समुदाय इस व्यवस्था को अपनाए, उसका स्वामित्व ले और उसका संचालन एवं रख-रखाव सतत रूप से सुनिश्चित करे।

यह पुस्तिका आपकी इस यात्रा में एक साथी है। यह आपको मदद करेगी कि आपछ

i. ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं (RPWSS) और संचालन एवं रख-रखाव (O&M) की रूपरेखा को समझें।

ii. जल अर्पण दिवस पर अपने गाँव की योजना का हस्तांतरण गर्व के साथ स्वीकार करें और स्वामित्व की शुरुआत करें।

iii. यह सुनिश्चित करें कि पेयजल सुरक्षित, स्वच्छ रहे और नियमित रूप से उपलब्ध हो।

iv. ग्राम सभा/ जल चौपाल के माध्यम से समुदाय को जोड़ें और सामूहिक निर्णय लें।

v. योजना के वित्त का प्रभावी और पारदर्शी प्रबंधन करें।

vi. खराबी/ब्रेकडाउन होने से पहले ही मरम्मत और रख-रखाव की योजना बनाकर समय पर कार्रवाई करें।

vi. अपने स्थानीय रीति-रिवाजों और परम्पराओं के अनुसार वर्ष भर लोक जल उत्सव के माध्यम से अपनी उपलब्धि और स्वामित्व का उत्सव मनाएँ।

1.4 इस पुस्तिका में आपको क्या मिलेगा?

- हर अध्याय में सरल कदम बताए गए हैं, ताकि आप अपनी पाइप जलापूर्ति योजना को समझ सकें, हस्तांतरण (हैंडओवर) के लिए सही तैयारी कर सकें, और फिर व्यवस्था का संचालन, रख-रखाव और प्रबंधन आत्मविश्वास के साथ कर सकें।
- इसे मिलकर पढ़ें। ग्राम सभा, जल चौपाल, या किसी भी बैठक/सामुदायिक आयोजन में इस पर चर्चा करें। यह सीख-समझ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, युवा पीढ़ी तक भी, ताकि हर कोई अपनी जल व्यवस्था की देखभाल का महत्व समझे।
- यह सिर्फ एक पुस्तिका नहीं है; यह आपके गाँव के सुजल भविष्य, यानी जल-सुरक्षित भविष्य की कुंजी है।

नोट:

1. यह पुस्तिका पूरक संसाधन के रूप में मार्गदर्शन प्रदान करता है तथा इसे DDWS द्वारा समय-समय पर जारी सभी आधिकारिक दिशा-निर्देशों, प्रोटोकॉल और परामर्श/परिपत्रों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।
2. यह हिंदी संस्करण, विभाग द्वारा नवंबर 2025 में प्रकाशित अंग्रेजी मार्गदर्शिका "Community Managed Piped Water Systems in Rural India – Jan-Bhagidari se Har Ghar Jal" का अनुवाद है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए अंग्रेजी संस्करण को ही संदर्भित किया जाए।

अध्याय 2

संदर्भ- जल, संस्कृति और जन भागीदारी

02

संदर्भ – जल, संस्कृति और जनभागीदारी

"जल से जुड़ी संस्कृति के साथ स्वामित्व और जिम्मेदारी का नया रिश्ता"

हमारी सभ्यता की शुरुआत से ही जल हमारी आस्था, हमारे त्योहारों और हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है।

दुनिया भर में अनेक सभ्यताएँ जल स्रोतों के आसपास फली-फूलीं, क्योंकि प्राचीन समुदाय समझते थे कि जल ही जीवन है। वे जल की पूजा करते थे, उसकी रक्षा करते थे और उसे सहेजकर रखते थे। हर गाँव में जल को केवल आवश्यकता नहीं, बल्कि प्रकृति का आशीर्वाद मानकर सम्मान दिया जाता है। लोग कुओं, नदियों और तालाबों के पास जल ग्रहण करने से पहले प्रार्थना करते हैं। हर परिवार यह मानता रहा है कि जल की रक्षा करना सभी की साझा जिम्मेदारी है।

जब से हमारी सभ्यता की शुरुआत हुई है, तब से पानी हमारी आस्था, हमारे त्योहारों और हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा रहा है।

दुनिया भर में, सभ्यताएं जल स्रोतों के पास फली-फूलीं क्योंकि प्राचीन समुदाय समझते थे कि जल ही जीवन है, वे इसकी पूजा करते थे, इसकी रक्षा करते थे और इसे संरक्षित करते थे। हर गांव में पानी को न केवल जरूरत के रूप में बल्कि प्रकृति के आशीर्वाद के रूप में भी सम्मान के साथ देखा जाता है। लोग पानी का उपयोग करने से पहले कुओं, नदियों और तालाबों पर प्रार्थना करते हैं। हर परिवार का मानना था कि पानी की रक्षा करना हर किसी की जिम्मेदारी है।

पहले के समय में गाँव अपने जल स्रोत स्वयं बनाते थे और उनकी देखभाल भी स्वयं करते थे—जैसे बावड़ियाँ (सीढ़ीदार कुएँ), जोहड़ (तालाब), टांका (वर्षा जल टैंक), कुएँ और छोटी नहरें। ये सब स्थानीय समझ और अनुभव से बनाए जाते थे और मिलकर संभाले जाते थे।

जब कोई कुआँ सूखने लगता, तो पूरा गाँव मिलकर उसे साफ करता या और गहरा करता। अगर कोई टांका/जल टंकी टूट जाती, तो लोग समय और श्रम देकर उसकी मरम्मत करते। ऐसे कामों से साझा जिम्मेदारी की भावना और मजबूत होती थी।

यह हमारे यहाँ 'जन-भागीदारी' की अपनी ही व्यवस्था थी—इन शब्दों के प्रचलन में आने से बहुत पहले से ही लोगों की सक्रिय सहभागिता और साझा जिम्मेदारी का तरीका।

इन पारंपरिक तरीकों ने हमें यह सिखाया कि पानी सबका है और उसकी रक्षा भी सबको मिलकर करनी है। जल केवल "सरकारी सेवा" नहीं था; वह समुदाय के जीवन-तरीके का हिस्सा था। भारत के अलग-अलग हिस्सों में महाकुंभ, मकर संक्रांति, गंगौर, छठ, माघ मेला, नर्मदा जयंती, आदि पेरुक्कु और ऐसे अनेक पर्व नदियों, तालाबों और जल स्रोतों को जीवन और पवित्रता के प्रतीक के रूप में मनाते रहे हैं।

जल अर्पण (जल समर्पण), जलाभिषेक (देवताओं को जल अर्पित करना) जैसे अनुष्ठान, और यहाँ तक कि सुबह-सुबह आँगन में पानी छिड़कने की परंपरा भी—ये सब हमारे दैनिक जीवन में जल के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाती हैं।

समय के साथ जैसे-जैसे गाँवों का विस्तार हुआ और जीवन-शैली बदली, ये स्थानीय परंपराएँ और व्यवस्थाएँ दबाव में आने लगीं। भूजल का अधिक दोहन, फ्लोराइड और आर्सेनिक जैसी समस्याओं के कारण प्रदूषण, और जलवायु परिवर्तन के चलते अनियमित वर्षा—इन सबने संकट को और गहरा किया। इस बीच विभिन्न सरकारों ने बड़े जल कार्यक्रम शुरू किए—Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP, 1972) से लेकर National Rural Drinking Water Programme (NRDWP, 2009) तक।

इन पहलों से पानी तक पहुँच में सुधार तो हुआ, लेकिन कई बार इनका स्वरूप मुख्यतः अवसंरचना-आधारित रहा—अर्थात ध्यान संपत्तियों और ढाँचों (assets & structures) के भौतिक निर्माण पर अधिक रहा।

इन कमियों को समझते हुए, जल जीवन मिशन (JJM) की शुरुआत 2019 में एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में की गई, ताकि हर घर जल, यानी हर ग्रामीण घर में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) सुनिश्चित किया जा सके और पानी सुरक्षित पर्याप्त और सतत रहे। यह मिशन ग्रामीण जलापूर्ति को केवल "योजना" नहीं बल्कि एक सेवा के रूप में परिभाषित करता है, जो जन-भागीदारी, विकेन्द्रीकृत योजना और जवाबदेह स्थानीय अभिशासन पर आधारित है।

2.1 जनभागीदारी-JJM की नींव

जब माननीय प्रधानमंत्री ने 'सबका प्रयास…' यानी हर किसी के प्रयास का आह्वान किया, तो उन्होंने हमें याद दिलाया कि जल जीवन मिशन की सफलता केवल इंजीनियरों या अधिकारियों पर नहीं, बल्कि हर गाँव के लोगों पर भी निर्भर करती है।

यह मिशन केवल पाइपलाइन बिछाने या नल लगाने तक सीमित नहीं है। यह लोगों को सशक्त बनाने और उन्हें अपनी जल व्यवस्था का सच्चा संरक्षक बनाने की पहल है।

नल कनेक्शन के माध्यम से घर तक पहुँचने वाली पानी की हर बूंद, गाँव के हर व्यक्ति के निरंतर प्रयास, योजना, सहयोग और देखभाल का परिणाम है, सरपंच से लेकर विद्यार्थियों तक, महिला समूहों से लेकर किसानों तक। यही जन-भागीदारी का सच्चा सार है।

जब लोग मिलकर अपनी जलापूर्ति व्यवस्था को चलाते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, तो वह उनकी योजना बन जाती है, उनका गर्व। जल चौपाल, लोक जल उत्सव, जल अर्पण दिवस और जागरूकता अभियानों के माध्यम से जल जीवन मिशन (JJM) का उद्देश्य गाँववासियों को फिर से एक साथ लाना है, ताकि वे विचार साझा करें, सफलताओं का उत्सव मनाएँ और जिम्मेदारी भी लें।

यही वह तरीका है जिससे जल जीवन मिशन सरकारी योजनाओं को जन-आंदोलन में बदल रहा है, और पानी को केवल "सुविधा" नहीं, बल्कि पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने वाली साझा विरासत बना रहा है। इस तरह जल जीवन मिशन सरकारी योजनाओं को जन आंदोलन में बदल रहा है, और सुविधा से जल को पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने के लिए एक साझा विरासत में बदल रहा है।

2.2 JJM के तहत जनभागीदारी: केवल उपयोगकर्ता ही नहीं, बल्कि स्वामी बनें

जल जीवन मिशन (JJM) का उद्देश्य केवल हर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन देना नहीं है; इसका उद्देश्य गाँवों को अपनी जल व्यवस्था की जिम्मेदारी खुद संभालने में सक्षम बनाना भी है। मिशन की असली सफलता तब शुरू होती है जब लोग खुद को केवल "उपयोगकर्ता" नहीं, बल्कि अपनी बनाई हुई व्यवस्था के संरक्षक मानने लगते हैं।

स्वामित्व एक दिन में नहीं बनता। यह एक यात्रा है—पानी उपयोग करने से आगे बढ़कर उसे प्रबंधित करने तक; सेवा पाने से आगे बढ़कर साझा संसाधन की रक्षा करने तक।

जब गाँववासी मिलकर इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, तो जल के साथ उनका रिश्ता पूरी तरह बदल जाता है, निर्भरता से गरिमा की ओर, उपभोग से संरक्षण की ओर, सिर्फ पाने से लौटाने/योगदान देने की ओर। इसी क्रम में वे अपना स्थानीय अनुभव और समझ भी आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाते हैं, विकसित भारत की दृष्टि के अनुरूप।

2.2 स्वामित्व कदम दर कदम बढ़ता है

I. सबसे पहले, ग्रामीण जागरूक होते हैं और पानी के उपयोगकर्ता बनते हैं, वे सेवा प्राप्त करते हैं और उसका आनंद लेते हैं।

II. फिर, वे जुड़ते हैं और लाभार्थी बन जाते हैं, प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए विचारों, समय और छोटे योगदान साझा करते हैं।

चित्र 4: जन भागीदारी: सामुदायिक स्वामित्व की यात्रा

III. बाद में, वे इसके जिम्मेदार बन जाते हैं और निर्णय लेने में भाग लेते हैं, योजना, निगरानी और समस्याओं को हल करने में भाग लेते हैं।

IV. अंत में, स्वामित्व की भावना मजबूत हो जाती है, और वे संरक्षक बन जाते हैं, अगली पीढ़ी के लिए गर्व के साथ व्यवस्था की रक्षा करते हैं।

जब ऐसा होता है, तो गांव वास्तव में आत्मनिर्भर बन जाते हैं, निम्नलिखित तरीकों से अपनी जल व्यवस्थाओं के प्रबंधन में आत्मनिर्भर बन जाते हैं:

I. जल व्यवस्था अब एक सरकारी परियोजना नहीं है; यह गांव की अपनी बनाई गई व्यवस्था बन जाती है।

II. ग्राम पंचायतें, VWSC और SHG विश्वास के साथ सामूहिक जिम्मेदारी लेते हैं।

III. महिलाएँ और युवा परिवर्तन के नेतृत्वकर्ता बनकर सामने आते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि नल लगातार चलते रहें और जल स्रोत जीवित/सुरक्षित बने रहें।

IV. तब हर परिवार गर्व से कहने लगता है: “यह हमारी जलापूर्ति व्यवस्था है और हम ही इसके संरक्षक हैं।”

यही स्वामित्व का सार है, यही जन-भागीदारी का केंद्र है, जहाँ पानी केवल एक सेवा नहीं रहता, बल्कि एक साझा संकल्प बन जाता है, जो पूरे गाँव को एक साथ सूत्र में बंधता है।

अध्याय 3

ग्रामीण पाइप जलापूर्ति प्रणाली (व्यवस्था) और संचालन एवं रख-रखाव (O&M) की समझ

03

ग्रामीण पाइप जलापूर्ति प्रणाली (व्यवस्था) और संचालन एवं रख-रखाव (O&M) की समझ

"यह जानना कि हमारी व्यवस्था कैसे काम करती है"

3.1 ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाएं (RPWSS) क्या है

ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना (RPWSS) एक समुदाय-आधारित व्यवस्था है, जो पाइपों के नेटवर्क के माध्यम से गाँव के हर घर तक स्वच्छ पेयजल सीधे पहुँचाती है। इससे लोगों को कुओं, नदियों, हैंडपंपों या दूर-दराज़ के स्रोतों से पानी लाने की जरूरत नहीं रहती।

इस व्यवस्था में आमतौर पर कुएं, बोरवेल या स्प्रिंग जैसे स्रोत से पानी पंप करना शामिल होता है। पानी में किसी भी तरह की गंदगी या दूषित तत्वों को दूर करने के लिए उसका उपचार किया जाता है और फिर इसे पाइपलाइनों के माध्यम से वितरित करना ताकि हर घर को नल चालू करते ही पानी मिल सके। मुख्य लक्ष्य सुरक्षित पानी को आसानी से और नियमित रूप से उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य में सुधार करना और ग्रामीण परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए समय और श्रम की बचत करना है, जो पहले पानी लाने में घंटों बिताते थे। आइए, अब योजना के मुख्य घटकों को सरल तरीके से समझते हैं:

i. **स्रोत (Source):** यह वह स्थान है जहाँ से पानी आता है—जैसे बोरवेल, नदी, झील, झरना या कोई अन्य प्राकृतिक स्रोत। स्रोत पर पानी की गुणवत्ता और मात्रा यह तय करती है कि योजना लंबे समय तक कितनी अच्छी तरह चलेगी और सतत जलापूर्ति कैसे सुनिश्चित होगी।

ii. **पम्पिंग (Pumping):** जब पानी प्राकृतिक ढलान (gravity) से अपने-आप नहीं बह वितरण (Distribution): भंडारण टंकी से पानी पाइपों के माध्यम से पूरे गाँव में पहुँचाया जाता है, ताकि हर घर तक जलापूर्ति हो सके। यह पाइपलाइनों का एक नेटवर्क होता है—मुख्य लाइन, शाखा लाइनें और घरेलू कनेक्शन—जिनके जरिए पानी आपके नल तक पहुँचता है।

v. **उपचार/कीटाणुशोधन:(Treatment/ Disinfection):** पानी घरों तक पहुँचने से पहले उसे साफ़ (सुरक्षित) कर लिया जाता है। इसमें फ़िल्ट्रेशन (छानना) और कीटाणुशोधन (जैसे क्लोरीनेशन) किया जा सकता है, ताकि पानी पीने के लिए सुरक्षित हो। इसका उद्देश्य पानी को रोग फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों/जीवाणुओं आदि से होने वाले दूषण से बचाना है, और जहाँ आवश्यक हो, हानिकारक रासायनिक तत्वों के प्रभाव को कम/नियंत्रित करना है, जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा सकते हैं।

vi. **भंडारण (Storage):** उपचारित पानी को ओवरहेड टैंक (OHT) या ग्राउंड-लेवल सम्प/संप (sump) में संग्रहित किया जाता है। इससे मांग में उतार-चढ़ाव को संभालने, पर्याप्त जल-दबाव (pressure) बनाए रखने, आपात स्थितियों के लिए भंडार रखने, समान वितरण सुनिश्चित करने और ऊर्जा लागत कम करने में मदद मिलती है। भंडारण व्यवस्था जलापूर्ति को अधिक भरोसेमंद बनाती है।

vii. **वितरण (Distribution):** भंडारण tटैंक से पानी पाइपों के माध्यम से पूरे गाँव में पहुँचाया जाता है, ताकि हर घर तक जलापूर्ति हो सके। यह पाइपलाइनों का एक नेटवर्क होता है, मुख्य

चित्र 5: ग्रामीण पाइप जल आपूर्ति प्रणाली कैसे काम करती है

लाइन, शाखा लाइनें और घरेलू कनेक्शन, जिनके जरिए पानी आपके नल तक पहुँचता है।पाइपलाइनें नालों, जलाशयों/जल निकायों, नालियों, सड़कों, खेतों आदि से होकर गुजरती हैं। इसलिए रिसाव (लीकेज) से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा आवश्यक है, ताकि दूषण (contamination) और पानी की बर्बादी न हो। आदर्श रूप से पाइपलाइनें भूमिगत (ज़मीन के नीचे) बिछाई जाती हैं।

viii. **वाल्व (Valves):** पाइपलाइन नेटवर्क में पानी का प्रवाह शुरू करने, रोकने और नियंत्रित करने के लिए वाल्व लगे होते हैं। इसके अलावा एयर वाल्व जैसे अन्य वाल्व भी पाइपलाइन में होते हैं, जो सही प्रवाह बनाए रखने में मदद करते हैं। सभी वाल्व रिसाव (लीकेज) से मुक्त होने चाहिए।

ix. **घरेलू नल (Household Tap):** यह किसी घर में जलापूर्ति का वास्तविक बिंदु होता है, वही नल जिससे आप पीने का पानी लेते हैं और खाना बनाने, सफाई करने तथा रोज़मर्रा की जरूरतों के लिए पानी का उपयोग करते हैं। योजना तभी सफल मानी जाती है जब यह नल आपको नियमित रूप से सुरक्षित पानी उपलब्ध कराए।

यह सरल विभाजन हमें यह समझने में मदद करता है कि योजना कैसे काम करती है। प्रत्येक घटक को नियमित ध्यान और देखभाल की जरूरत होती है। यदि किसी एक हिस्से में खराबी आ जाए, जैसे पम्प खराब हो जाए, पाइपलाइन में रिसाव हो, या पानी की गुणवत्ता बिगड़ जाए, तो पूरी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

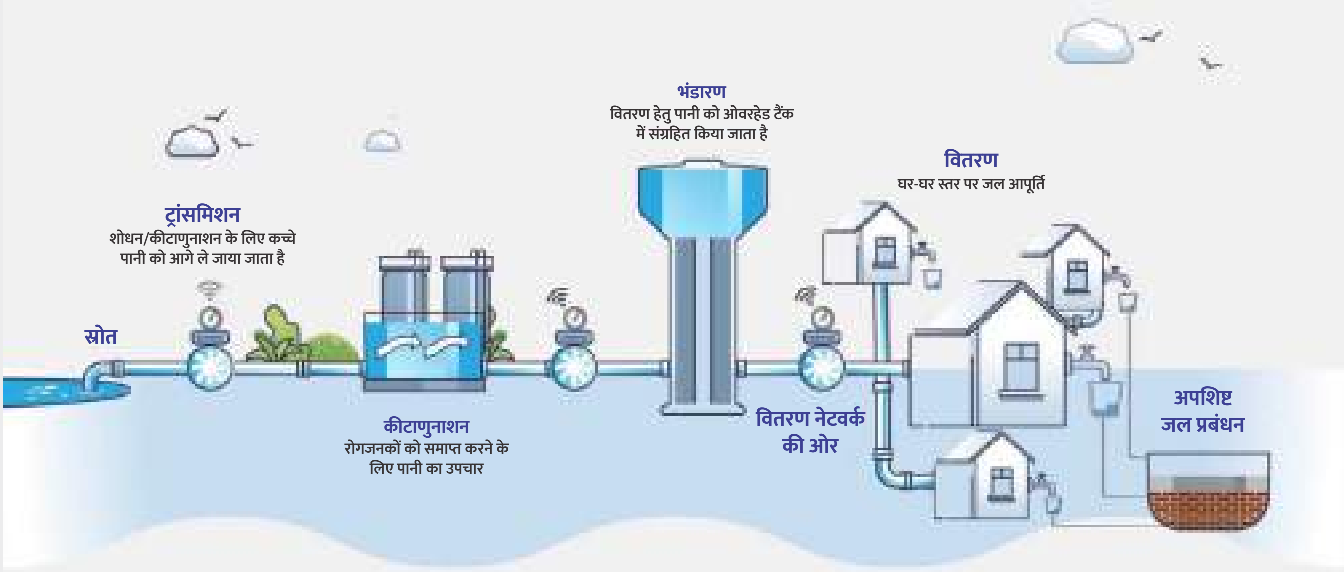

चित्र 6: एकल ग्राम योजना (Single Village Scheme)

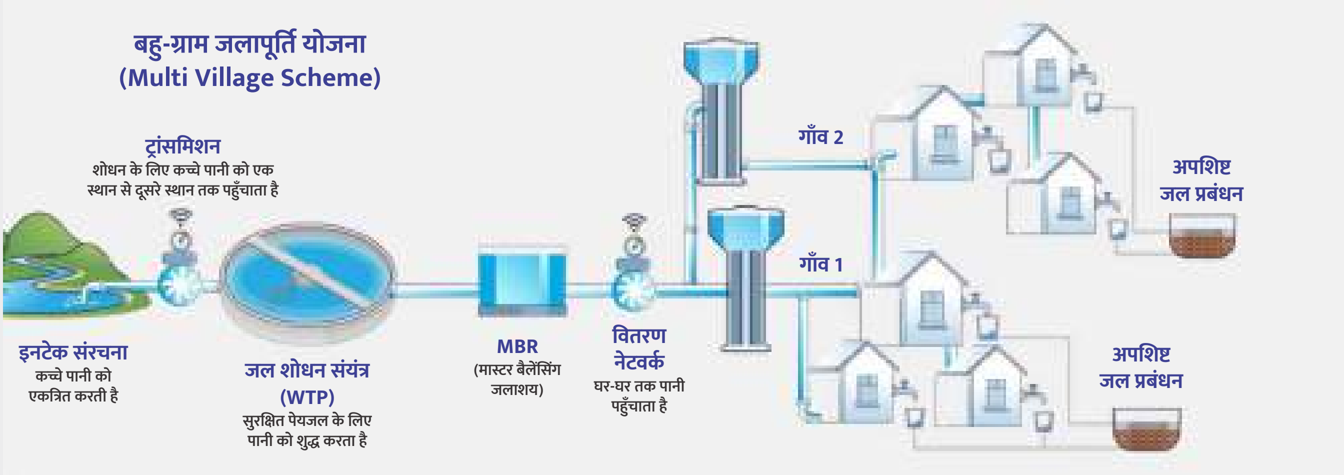

चित्र 7: बहु-ग्राम योजना (Multi Village Scheme)

इसी कारण ग्राम पंचायत, VWSC/पानी समिति और समुदाय के सदस्यों की सामूहिक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब प्रणाली/व्यवस्था के हर हिस्से को अच्छी तरह समझ लिया जाता है, तो रख-रखाव की योजना बनाना, समस्याओं को समय पर पहचानना और यह सुनिश्चित करना आसान हो जाता है कि जलापूर्ति योजना कई वर्षों तक गाँव की प्रभावी सेवा करती रहे।

3.2 योजनाओं के प्रकार

i. एकल ग्राम योजना

एकल-ग्राम योजना (SVS) [Single Village Scheme] ऐसी जलापूर्ति व्यवस्था है, जो एक ही गाँव के लिए उसकी स्थानीय जल स्रोत का उपयोग करके योजना बनाकर लागू की जाती है,

ii. बहु-ग्राम योजना (MVS) [Multi Village Scheme]

बहु-ग्राम योजना एक जल आपूर्ति प्रणाली है जिसे एक साझा स्रोत/स्रोतों से पानी लाकर दो या अधिक गांवों की सेवा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।

कुछ परिस्थितियों में बल्क वॉटर स्कीम (Bulk Water Scheme) भी SVS और MVS से जुड़ी होती है। बल्क वॉटर स्कीम ऐसी जलापूर्ति व्यवस्था है जो बड़े पैमाने पर पानी को एकत्र करती है, उपचारित करती है और बड़ी मात्रा में परिवहन करके एक केंद्रीय बिंदु तक पहुँचाती है, जहाँ से इसे कई उपभोक्ताओं, जैसे गाँव, कस्बे/शहर या बड़े संस्थान—को वितरित किया जाता है।

ऐसी योजनाएँ उन क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए उपयोग की जाती हैं जहाँ स्थानीय जल स्रोत अपर्याप्त हों या दूषित हों। इनमें अक्सर मुख्य स्रोत से लंबी दूरी तक पानी का स्थानांतरण, उपचार संयंत्र (ट्रीटमेंट प्लांट) और बड़े भंडारण ढाँचे/भंडारण सुविधाएँ शामिल होती हैं।

योजनाओं के अलग-अलग हिस्सों के उदाहरण **संलग्नक-1** में हैं।

3.3 संचालन एवं रख-रखाव (O&M) की आवश्यकता

नल से पानी आना शुरू हो जाने के बाद ही असली काम शुरू होता है, उसे हर दिन नियमित और सतत रूप से चलाते रहना। यदि व्यवस्था की नियमित देखभाल न की जाए, तो छोटी-छोटी समस्याएँ भी जल्दी ही बड़ी समस्याओं में बदल सकती हैं।

सही संचालन एवं रख-रखाव (O&M) यह सुनिश्चित करता है कि आज किया गया निवेश आने वाली पीढ़ियों तक सेवा देता रहे।

i. समुदाय के लिए **यह क्यों जरूरी है:**
   - क. प्रति दिन **बिना रुकावट जल आपूर्ति** सुनिश्चित करता है।
   - ख. पानी को **सुरक्षित रखता है** और बीमारियों से बचाता है।
   - ग. ग्रामीणों और पंचायत के बीच **विश्वास** उत्पन्न करता है।
   - घ. खराबी को रोककर **मरम्मत की लागत** को कम करता है।

ii. जब संचालन और रखरखाव को नजरअंदाज कर दिया जाता है:
   - क. **पंप काम करना बंद कर देते हैं,** और पानी की आपूर्ति रूक जाती है।
   - ख. टंकियाँ ओवरफ्लो होती हैं या उनमें रिसाव हो जाता है, जिससे बहुमूल्य पानी व्यर्थ होता है।
   - ग. **पाइप क्षतिग्रस्त हो जाते हैं** या पानी **पीने के लिए असुरक्षित** हो जाता है।

iii. लेकिन जब व्यवस्था को ठीक से और नियमित रूप से कायम रखा जाता है:

क. **पानी की आपूर्ति नियमित रहती है** और हर घर तक पहुंचती है।

ख. **पानी पीने और खाना पकाने के लिए साफ** और सुरक्षित रहता है।

ग. पम्प, टंकियाँ और पाइपलाइनें **लंबे समय तक कार्यशील** रहती हैं, जिससे गाँव का पैसा और श्रम दोनों बचते हैं।

एक अच्छी तरह से संचालित और रख-रखाव की गई ग्रामीण पाइप जलापूर्ति व्यवस्था एक स्वस्थ शरीर की तरह होती है—यदि उसकी रोज़ देखभाल और सही प्रबंधन किया जाए, तो वह मजबूत व् सुदृढ़ रहती है और सबको अच्छी सेवा देती है। इसी कारण संचालन एवं रख-रखाव (O&M) जल जीवन मिशन का हृदय है और हर घर में 'हर घर जल' की स्थिति बनाए रखने की कुंजी भी।

3.4 संचालन एवं रख-रखाव (O&M) के मुख्य कार्य

संचालन (Operation): पम्प चलाना, वाल्व खोलना-बंद करना, जलापूर्ति का समय तय करना, प्रवाह (flow) की निगरानी करना और आवश्यक रिकॉर्ड रखना।

रख-रखाव (Maintenance): रिसाव (लीकेज), घिसे हुए पुर्जे, मोटर की खराबी जैसी समस्याओं को **रोकना** और आवश्यकता पड़ने पर **ठीक करना।**

सरल शब्दों में, **संचालन** का मतलब है व्यवस्था को हर दिन सुचारु रूप से चलाना, और **रख-रखाव** का मतलब है उसकी समय-समय पर देखभाल करना ताकि आगे चलकर कोई बड़ी समस्या न हो। जब दोनों काम नियमित रूप से होते हैं, तो गाँव को पूरे वर्ष **सुरक्षित और स्थिर** जलापूर्ति मिलती रहती है।

O&M के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं::

i. **तय समय पर जलापूर्ति के लिए पम्पों को रोज़ चलाना,** ताकि पानी उठाकर (lift) आपूर्ति की जा सके।

ii. **पाइपलाइनों में पानी के प्रवाह और दबाव (pressure) की जाँच करना,** ताकि हर घर तक पर्याप्त पानी पहुँच सके।

iii. **पानी को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए** टंकियों और आसपास के क्षेत्र की सफाई करना।

iv. **समय-समय पर जल गुणवत्ता की जाँच करना,** ताकि पानी पीने के लिए उपयुक्त रहे।

v. **पाइप, वाल्व और नलों में किसी भी रिसाव या नुकसान की जाँच करना।**

vi. **छोटी मरम्मत तुरंत कर देना,** ताकि आगे चलकर बड़ी समस्याएँ न हों।

vii. **जलापूर्ति के घंटे, बिजली की खपत और किए गए रख-रखाव/मरम्मत** कार्य का रिकॉर्ड रखना।

viii. **हर मौसम से पहले निवारक रख-रखाव की योजना बनाना,** ताकि व्यवस्था स्वस्थ बनी रहे।

इन सभी कार्यों से मिलकर यह सुनिश्चित होता है कि जलापूर्ति व्यवस्था बिना रुकावट चलती रहे, स्वच्छ बनी रहे और हर परिवार को भरोसेमंद तरीके से सेवा देती रहे।

3.5 निरंतर जलापूर्ति के लिए नियमित रख-रखाव: दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक O&M गतिविधियाँ

जल प्रणाली का संचालन एक जीवित प्राणी की देखभाल करने जैसा है, इस पर नियमित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है।

व्यवस्था को स्वस्थ बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर घर तक पानी सुरक्षित रूप से पहुँचे, कुछ कार्य रोज़, कुछ साप्ताहिक, कुछ मासिक और कुछ वार्षिक रूप से करना आवश्यक होता है।

दैनिक गतिविधियाँ

ये छोटे-छोटे काम हैं जो हर दिन व्यवस्था को सुचारु रखने में मदद करते हैं:

क. तय समय पर पम्प चालू और बंद करें, ताकि जलापूर्ति नियमित बनी रहे।

ख. वाल्व एक-एक करके खोलकर प्रवाह देखकर सुनिश्चित करें कि पानी गाँव के सभी हिस्सों तक पहुँच रहा है। यदि किसी क्षेत्र में दबाव कम हो या पानी न पहुँचे, तो तुरंत VWSC/ऑपरेटर को सूचना दें।

ग. पम्प चलते समय उसकी आवाज़ और कंपन पर ध्यान दें। असामान्य आवाज़ या अधिक गर्म होना किसी समस्या का संकेत हो सकता है।

घ. जलापूर्ति के दौरान पाइप, जॉइंट या नलों से कहीं भी रिसाव न हो- यह जाँचें।

ङ. भंडारण टंकी में पानी का स्तर देखें, ताकि ओवरफ्लो या कमी की स्थिति न बने।

च. आवश्यकता होने पर, निर्धारित मात्रा (dosage) के अनुसार क्लोरीन/कीटाणुनाशक डालें, ताकि पानी सुरक्षित रहे।

छ. पम्प हाउस और आसपास की जगह रोज़ साफ रखें, ताकि धूल, कचरा या जमा पानी न रहे।

ज. रोज़ाना जलापूर्ति का विवरण—जैसे पम्प चलने के घंटे, बिजली की खपत और दिखी किसी भी समस्या—रजिस्टर में दर्ज करें।

चित्र 8: पानी की निरंतर आपूर्ति के लिए आवश्यक नियमित O&M कार्य

झ. जलापूर्ति समाप्त होने के बाद सभी वाल्व ठीक से बंद करें, ताकि पानी की बर्बादी और दबाव में गिरावट न हो।

नियमित जल आपूर्ति बनाए रखने के लिए निर्धारित समय पर पंप शुरू करें और बंद करें।

साप्ताहिक गतिविधियाँ

ये छोटे- छोटे साप्ताहिक निरीक्षण, आगे चलकर बड़ी समस्याओं को रोकने में मदद करते हैं। इससे व्यवस्था स्वच्छ, सुरक्षित और बिना रुकावट चलती रहती है।

क. टंकी क्षेत्र और आसपास की जगह साफ करें; पत्ते, कीचड़ या कचरा हटाएँ, ताकि पानी में कोई दूषण न पहुंचे।

ख. सभी वाल्व और जॉइंट में रिसाव की जाँच करें। हर वाल्व को धीरे-धीरे खोल-बंद करके देखें कि वह आसानी से काम कर रहा है।

ग. फील्ड टेस्ट किट (FTK) से पानी की गुणवत्ता जाँचें और परिणाम गाँव के रजिस्टर में दर्ज करें।

घ. सभी घरेलू नलों और सार्वजनिक स्टैंडपोस्ट/टैप-पॉइंट की जाँच करें कि पानी ठीक से आ रहा है और कोई फिटिंग टूटी/ढीली तो नहीं है।

ङ. टंकी की दीवारों, नल-प्लेटफॉर्म और पास की नालियों से काई/शैवाल हटाएँ।

च. विद्युत तारों, स्विच, पम्प पैनल और ट्रांसफॉर्मर आदि की सुरक्षा और सही कार्य-स्थिति की जाँच करें।

छ. VWSC की एक छोटी समीक्षा बैठक करें, शिकायतों, रिसाव के बिंदुओं और मरम्मत की जरूरतों पर चर्चा करें।

ज. ग्राम सभा या सूचना-पट्ट (नोटिस बोर्ड) के माध्यम से गाँववासियों को पानी का सावधानी से उपयोग करने और किसी भी रिसाव/नुकसान की सूचना देने के लिए याद दिलाएँ।

मासिक गतिविधियाँ

ये अपेक्षाकृत बड़े निरीक्षण/कार्य हैं, जो व्यवस्था को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखते हैं और आगे के रख-रखाव की योजना बनाने में मदद करते हैं।

क. भंडारण टंकी के अंदर की सफाई करें, खासकर बरसात और गर्मी के मौसम से पहले।

ख. स्रोत क्षेत्र (कुआँ, बोरवेल, झरना या इनटेक) का निरीक्षण करें, ताकि वह स्वच्छ रहे और उसकी सुरक्षा/रक्षा सुनिश्चित हो।

ग. पम्प और मोटर की स्थिति जाँचें; आवश्यकता हो तो हिस्सों की ग्रीसिंग/लुब्रिकेशन करें और ढीले कनेक्शन कसें।

घ. सभी वाल्व और मुख्य पाइपलाइनों में जंग, दरार या रुकावट (blockage) की जाँच करें।

ङ. जल आपूर्ति की समय-सारणी जाँचें और अगर स्रोत से आने वाला पानी कम या ज़्यादा हो गया है, तो उसके अनुसार बदलाव करें।

च. तकनीशियन की सहायता से विद्युत वायरिंग, पैनल और अर्थिंग (earthing) की जाँच कराएँ।

छ. उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली और बिजली के बिलों की समीक्षा करें तथा सभी व्ययों का रिकॉर्ड सही ढंग से रखें।

ज. ग्राम पंचायत या गाँव-स्तर की सार्वजनिक बैठक के लिए एक संक्षिप्त O&M रिपोर्ट तैयार करें, जिसमें जल मात्रा, गुणवत्ता, शिकायतें और किए गए मरम्मत कार्य दर्ज हों।

झ. हर प्रमुख मौसम से पहले निवारक रख-रखाव की योजना बनाएं, जैसे मानसून से पहले स्रोत की सफाई या गर्मी से पहले भंडारण टंकियों की जाँच।

ञ. बैठकों में ऑपरेटर/नल जल मित्र या VWSC सदस्यों के अच्छे कार्य की सराहना करें, ताकि सभी को व्यवस्था की देखभाल के लिए प्रेरणा मिले।

वार्षिक गतिविधियाँ

ये व्यापक कार्य हैं, जो बेहतर योजना और लंबे समय तक देखभाल सुनिश्चित करने में मदद करते हैं:

क. भंडारण टंकी (अंदर और बाहर) का निरीक्षण करें और आवश्यकता होने पर सफाई करें। एयर-वेंट पाइप पर लगी चिकन मेश/जाली पुरानी या क्षतिग्रस्त हो तो उसे बदलें।

ख. टंकी तक पहुँचने वाली सीढ़ियों/एप्रोच लैडर की सुरक्षा (safety) की जाँच करें।

ग. सुरक्षा के लिए विद्युत कनेक्शन और मोटर वायरिंग की जाँच करें।

घ. उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह की समीक्षा करें और समय पर भुगतान सुनिश्चित करें।

ङ. ग्राम पंचायत की बैठक के लिए एक संक्षिप्त रख-रखाव/मेंटेनेंस रिपोर्ट तैयार करें।

च. मानसून या गर्मियों (मौसम के आधार पर) से पहले निवारक कार्य की योजना बनाएं।

छ. गाँववासियों को पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने और बर्बादी से बचने के लिए प्रेरित करें।

इन छोटे-छोटे कार्यों पर नियमित ध्यान देने से खराबियाँ (ब्रेकडाउन) रुकती हैं और यह सुनिश्चित होता है कि हर परिवार को लगातार सुरक्षित, स्वच्छ और भरोसेमंद पानी मिलता रहे। आज समय पर रख-रखाव और देखभाल का अर्थ है, कल सुचारु सेवा।

दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक कार्यों का विस्तृत विवरण संलग्नक-2 में दिया गया है।बारे में कुछ विवरण संलग्नक-2 में देखे जा सकते हैं

3.6 सामान्य O&M समस्याएँ और सरल समाधान

हर पाइप जलापूर्ति व्यवस्था में समय-समय पर छोटी समस्याएँ आ सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें जल्दी पहचानें और तुरंत ठीक करें। अधिकांश समस्याएँ सरल जाँच और आपसी सहयोग से ही सुलझ जाती हैं; केवल कुछ मामलों में बाहरी तकनीकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। कुछ उदाहरण/चित्र संलग्नक-3 में दिए गए हैं।

नीचे कुछ सामान्य समस्याएं और उन्हें संभालने के आसान तरीके दिए गए हैं:

i. पंप काम नहीं कर रहा है

क. संभावित कारण: भावित कारण: बिजली नहीं है, फ्यूज उड़ा है, तार ढीला है, मोटर में खराबी है, या वोल्टेज कम है।

ख. सरल जांच:

- देखें कि बिजली की आपूर्ति (पावर सप्लाई) चालू है या नहीं।
- स्विचबोर्ड, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर की जाँच करें।
- सुनिश्चित करें कि पम्प/मोटर अधिक गर्म तो नहीं हो रही है।
- फिर भी पम्प चालू न हो, तो तुरंत स्थानीय इलेक्ट्रीशियन/तकनीशियन को सूचना दें।

ग. बचाव: (Prevention): पम्प एरिया को साफ और सूखा रखें; पम्प को कभी भी बिना पानी के न चलाएँ।

ii. कुछ क्षेत्रों में पानी कम आना या बिल्कुल न आना

क. संभावित कारण: कोई वाल्व बंद है, पाइपलाइन में रिसाव है, हवा फँसने से रुकावट (एयर ब्लॉकेज) है, या स्रोत की उपलब्धता/उपज (yield) कम हो गई है।

ख. सरल जांच:

- एक-एक करके वाल्व खोलें और प्रवाह का निरीक्षण करें।
- "सीटी/फुसफुसाहट" जैसी आवाज़ पर ध्यान दें, यह हवा फँसने (एयर ब्लॉकेज) का संकेत हो सकता है।
- जमीन पर कहीं भी रिसाव के निशान, गीलापन या पानी जमाव (wet patches) तो नहीं, यह जाँचें।

ग. रोकथाम: यदि स्रोत में पानी का स्तर घट गया हो, तो जलापूर्ति का समय/अवधि समायोजित करें और स्रोत पुनर्भरण (रिचार्ज) की योजना बनाएं।

iii. टैंक ओवरफ्लो होना या न भरना

क. संभावित कारण: फ्लोट वाल्व काम नहीं कर रहा है, या ऑपरेटर पंप को बंद करने में देरी करता है।

ख. सरल जांच:

- टैंक इनलेट और आउटलेट का निरीक्षण करें।
- यदि फ्लोट वाल्व फंस गया है तो उसे समायोजित करें या बदलें।
- पंप संचालन के लिए निश्चित समय निर्धारित करें और शेड्यूल का पालन करें।

ग. रोकथाम: पंप संचालन के दौरान नियमित रूप से वाल्व और टैंक के स्तर की जांच करें।

iv. लीक हो रहे पाइप या नल

क. संभावित कारण: ढीला जोड़, क्षतिग्रस्त वॉशर, या पाइप में दरार।

ख. सरल जांच:

- एक स्पैनर के साथ जोड़ों को कस लें।
- अगर खराब हो जाए तो वॉशर या रबर के छल्ले बदलें।
- बड़े लीक के लिए, वाल्व बंद करें और मरम्मत के लिए वीडब्ल्यूएससी को सूचित करें।

ग. रोकथाम: साप्ताहिक रूप से पाइपलाइनों का निरीक्षण करें और छोटे रिसाव की तुरंत मरम्मत करें।

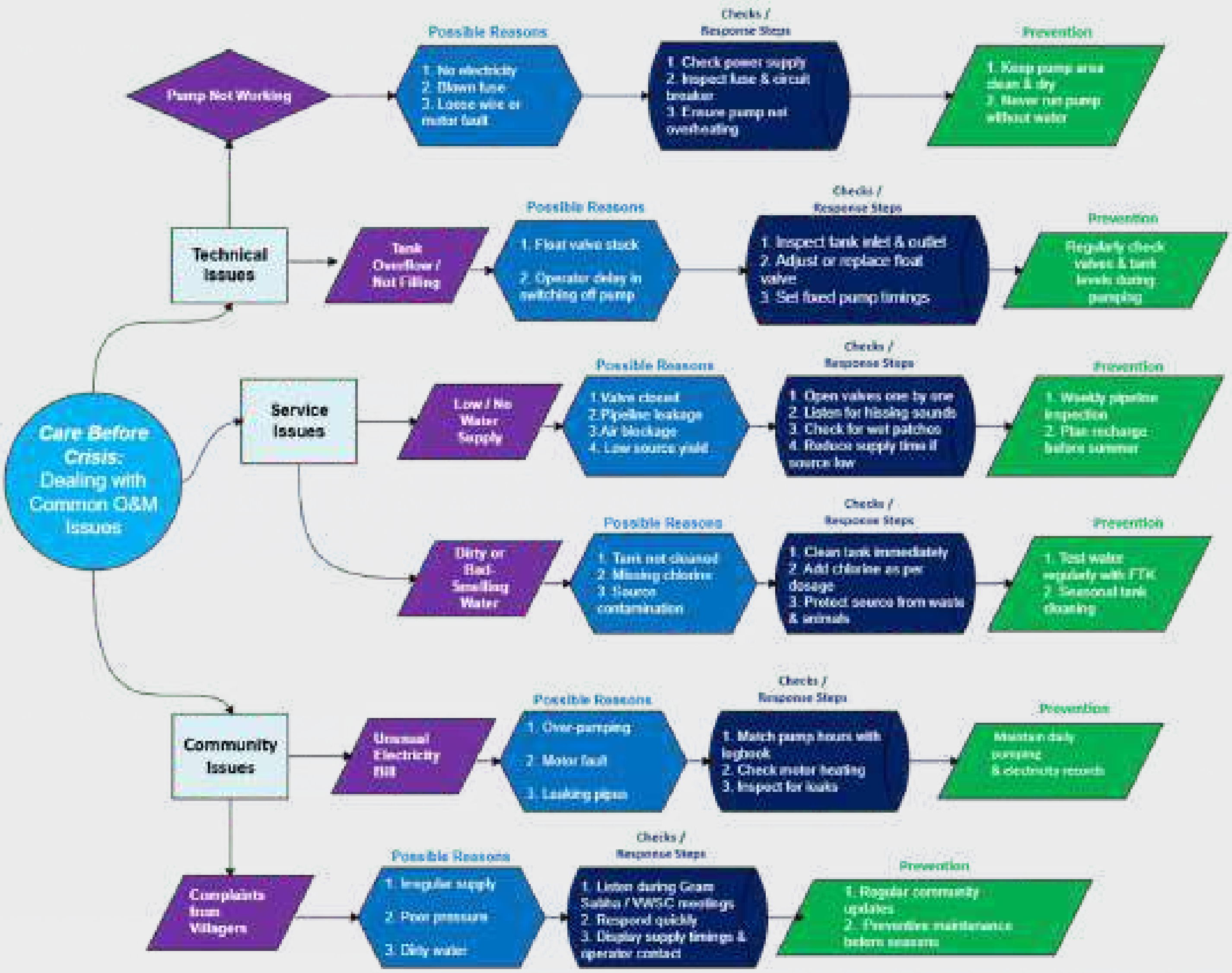

चित्र 9: सामान्य O&M समस्याओं का समाधान

नोट: उपरोक्त आंकड़ा उदाहरणात्मक है। प्रत्येक वीडब्ल्यूएससी को अपने स्थानीय संदर्भ के आधार पर अलग-अलग मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है। यह सलाह दी जाती है कि यदि ग्राम स्तर पर कोई समस्या हल नहीं होती है, तो वीडब्ल्यूएससी को जिला तकनीकी इकाई (डीटीयू) से संपर्क करना चाहिए या आवश्यक सहायता के लिए पंचायत डैशबोर्ड के माध्यम से अनुरोध/आवेदन करना चाहिए।

v. गंदा या दुर्गंध युक्त पानी

क. संभावित कारण: टंकी की सफाई न होना, क्लोरीन/ब्लीचिंग पाउडर न डालना, या स्रोत पर दूषण/प्रदूषण होना।

ख. सरल जांच:

- टंकी की तुरंत सफाई करें।
- निर्धारित मात्रा के अनुसार क्लोरीन/ब्लीचिंग पाउडर डालें या क्लोरीनेटर का उपयोग करें।
- स्रोत को पशुओं, कचरे तथा नालियों/अपशिष्ट जल से सुरक्षित रखें।

ग. रोकथाम: फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) के साथ नियमित रूप से पानी का परीक्षण करें।

vi. असामान्य बिजली बिल

क. संभावित कारण: अधिक पम्पिंग, मोटर में खराबी, या पाइपलाइन में रिसाव/लीकेज के कारण पानी की हानि होना।

ख. सरल जांच:

- लॉगबुक में दर्ज समय के अनुसार पम्प चलने के घंटों का मिलान करें।
- जाँच करें कि मोटर सही तरीके से चल रही है या अधिक गर्म हो रही है।
- वाल्व बंद होने पर भी यदि लगातार रिसाव/लीकेज हो रहा हो, तो उसकी जाँच करें।

ग. रोकथाम: पंप संचालन के घंटों और बिजली के उपयोग (खपत) का दैनिक रिकॉर्ड बनाए रखें।

vii. ग्रामीणों की शिकायतें

क. संभावित कारण: अनियमित जलापूर्ति, गंदा पानी, या पानी का दबाव कम होना।

ख. सरल जांच:

- ग्राम सभा या VWSC बैठकों में मिले फीडबैक को ध्यान से सुनें और उस पर कार्रवाई करें।
- पंचायत भवन में आपूर्ति का समय और ऑपरेटरों का संपर्क नंबर प्रदर्शित करें।

ग. रोकथाम: समुदाय को नियमित रूप से जानकारी देना तथा हर मौसम से पहले निवारक रखरखाव (प्रिवेंटिव मेंटेनेंस) करना।

ध्यान रखना

छोटी-छोटी समस्याएँ अगर नज़रअंदाज़ कर दी जाएँ, तो वे बड़ी बन जाती हैं। लेकिन समय पर छोटी मरम्मत कर दी जाए, तो सिस्टम स्वस्थ रहता है। जब ऑपरेटर, VWSC और समुदाय—सभी सतर्क रहते हैं, तो जलापूर्ति बिना रुकावट लगातार बनी रहती है।

3.7 निवारक रखरखाव और मौसमी देखभाल

अच्छा प्रबंधन का मतलब यह नहीं है कि हम टूट-फूट होने का इंतज़ार करें; इसका मतलब है कि हम पहले से जाँच करें और समय पर सुधार कर लें। इसे निवारक रख-रखाव (Preventive Maintenance) कहते हैं।

जिस तरह किसान बारिश से पहले खेत की तैयारी करता है, उसी तरह गाँव को भी हर मौसम से पहले अपनी जल व्यवस्था की तैयारी करनी चाहिए। ये छोटे-छोटे, नियमित कदम व्यवस्था को नुकसान से बचाते हैं और पूरे साल पानी का प्रवाह बनाए रखते हैं।

i. मानसून से पहले

क. कीचड़ या गंदे पानी को प्रवेश करने से रोकने के लिए स्रोत के आसपास के क्षेत्र - कुओं, बोरवेल या झरनों को साफ करें और ढक दें।

ख. पंप हाउस और टैंक के चारों ओर जल निकासी को साफ करें ताकि बारिश का पानी इकट्ठा न हो।

ग. विद्युत फिटिंग का निरीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि वे नमी से सुरक्षित हैं।

घ. वर्षा जल को संग्रहीत पानी में मिश्रण करने से रोकने के लिए टैंक के ढक्कन और प्लेटफार्मों की जाँच करें।

चित्र 10: मौसमी लेंस - निवारक नेत्र एवं देखभाल

ङ. बारिश से पहले और बाद में पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सुरक्षित रहे।

ii. गर्मियों से पहले

क. गिरते जल स्तर के लिए जल स्रोतों - कुओं, बोरवेल और जलाशयों की जाँच करें।

ख. बारिश के दौरान भूजल को फिर से भरने में मदद करने के लिए तालाबों या पुनर्भरण गड्ढों को साफ और साफ करें।

ग. बर्बादी को रोकने के लिए सभी वाल्व, पंपों और लीकेज का निरीक्षण और मरम्मत करें।

घ. आपूर्ति के समय की योजना बुद्धिमानी से बनाएं ताकि सभी को पर्याप्त पानी मिल सके।

ङ. जागरूकता बैठकों या दीवार संदेशों के माध्यम से पानी की बचत को प्रोत्साहित करें।

iii. सर्दियों से पहले

क. मानसून के बाद गंदगी और शैवाल को हटाने के लिए टैंकों और पाइपलाइनों को साफ करें.

ख. सीजन शुरू होने से पहले पंप भागों की ग्रीसिंग करें और नट और बोल्ट को कस लें।

ग. क्लोरीन खुराक प्रणाली की जाँच करें और यदि आवश्यक हो तो फिर से आपूर्ति करें।

घ. बिजली के भार की समीक्षा करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए किसी भी ढीली वायरिंग की मरम्मत करें।

ङ. किए गए रखरखाव कार्य पर चर्चा करने और अगले सीज़न की योजना बनाने के लिए वीडब्ल्यूएससी की बैठक आयोजित करें।

iv. सभी मौसमों के लिए सरल टिप्स

क. पंप हाउस को हर दिन साफ और सूखा रखें।

ख. जंग लगने से बचाने के लिए साल में एक बार धातु के हिस्सों, टैंक के पैरों और पाइपलाइनों को पेंट करें।

ग. सभी सफाई, मरम्मत और परीक्षण को रिकॉर्ड करने के लिए एक रखरखाव रजिस्टर बनाए रखें।

घ. पूरे समुदाय को शामिल करने के लिए मौसम में एक बार "जल सेवा सप्ताह" या सफाई अभियान का आयोजन करें।

ङ. रखरखाव में सक्रिय रूप से मदद करने वाले ग्रामीणों की सराहना करें और उन्हें पुरस्कृत करें। यह टीम भावना और स्वामित्व का निर्माण करता है।

निवारक रखरखाव का अर्थ है संकट से पहले देखभाल। जब प्रणाली की नियमित रूप से देखभाल की जाती है, तो प्रत्येक पंप, पाइप और टैंक के लिए कम ब्रेकडाउन, कम लागत और लंबा जीवन होता है। इस तरह एक गांव हर घर जल - आज और कल सुनिश्चित करता है।

3.8 O&M में भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

जल प्रणाली सबसे अच्छा काम करती है जब प्रत्येक अपनी भूमिका निभाता है। जिस तरह एक परिवार घर पर कर्तव्यों को साझा करता है, उसी तरह एक गांव को अपनी पानी की आपूर्ति को स्वच्छ, नियमित और मजबूत रखने के लिए जिम्मेदारियों को साझा करना चाहिए। ग्राम पंचायत, ग्राम जल और स्वच्छता समिति (VWSC), ऑपरेटर और ग्रामीणों के साथ-साथ जिला तकनीकी इकाई (DTU) और जिला जल और स्वच्छता मिशन (DWSM), सभी की संचालन और रखरखाव (O&M) में महत्वपूर्ण भूमिका है।

जब सभी एक साथ काम करते हैं, तो व्यवस्था सुचारू रूप से और प्रभावी ढंग से चलती है।

3.9 O&M में रिकॉर्ड रखना और पारदर्शिता

अच्छा रिकॉर्ड रखना एक अच्छी तरह से प्रबंधित जल आपूर्ति व्यवस्था की बुनियाद है। जब जानकारी को स्पष्ट रूप से लिखा जाता है और खुले तौर पर साझा किया जाता है, तो हर कोई समझता है कि व्यवस्था कैसे काम कर रही है: क्या एकत्र किया जाता है, क्या खर्च किया जाता है, और क्या ध्यान देने की आवश्यकता है। पारदर्शिता से भरोसा बढ़ता है, और भरोसा लोगों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करता है। एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली गांव की योजना को बेहतर ढंग से बनाने, समस्याओं को तेजी से हल करने और धन का बुद्धिमानी से उपयोग करने में मदद करती है।

3.9.1 रिकॉर्ड रखना क्यों महत्वपूर्ण है

i. यह दैनिक कार्यों को ट्रैक करने में मदद करता है: पंप कितने समय तक चलता है, कितना पानी की आपूर्ति की जाती है, और बिजली का उपयोग कैसे किया जाता है।

ii. यह सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ता शुल्क और व्यय ठीक से दर्ज और ऑडिट किए गए हैं।

iii. यह VWSC और ग्राम पंचायत को वास्तविक जानकारी के साथ मरम्मत या सुधार की योजना बनाने में मदद करता है।

iv. यह गांव द्वारा किए गए अच्छे काम का प्रमाण प्रदान करता है, जो सरकारी समीक्षाओं या भविष्य के वित्त पोषण के लिए उपयोगी है।

v. यह सभी को सूचित और आश्वस्त रखता है कि प्रणाली को कैसे प्रबंधित किया जा रहा है।

3.9.2 बनाए रखने के लिए मुख्य रिकॉर्ड

रिकॉर्ड रखने से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

i. VWSC या पानी समिति को ग्राम पंचायत कार्यालय या पंप हाउस में कुछ सरल रजिस्टर और रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से रखने चाहिए:

क. दैनिक संचालन रजिस्टर - पंपिंग के घंटे, बिजली का उपयोग और पानी की आपूर्ति का समय।

ख. रखरखाव रजिस्टर - मरम्मत, बदले गए भागों और प्रदर्शन की गई सेवा का विवरण।

ग. जल गुणवत्ता रजिस्टर - फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) और प्रयोगशाला रिपोर्ट के परिणाम।

घ. उपयोगकर्ता शुल्क रजिस्टर - घरों की सूची, एकत्र की गई राशि और लंबित भुगतानों की सूची।

ङ. व्यय रजिस्टर - बिजली, क्लोरीन, उपकरण और मरम्मत पर सभी खर्चों का रिकॉर्ड।

च. स्टॉक रजिस्टर - उपलब्ध सामग्री, स्पेयर पार्ट्स और क्लोरीन गोलियों की एक सूची।

छ. परिसंपत्ति रजिस्टर - पाइप से पानी की योजना से संबंधित सभी परिसंपत्तियों की सूची।

ज. निर्मित चित्र के अनुसार- जल आपूर्ति के सभी घटकों का एक तकनीकी और दृश्य रिकॉर्ड; स्रोत से लेकर घरेलू नल तक जैसा कि वे वास्तव में निर्मित किए गए थे, पंचायत स्तर पर बनाए रखा जाना है।

झ. शिकायत और कार्रवाई रजिस्टर - रिपोर्ट किए गए मुद्दों और की गई कार्रवाई का विवरण।

ञ. JJM की ब्रांडिंग - सभी प्रमुख संपत्तियों जैसे ओवरहेड टैंक, जल उपचार संयंत्र/कीटाणुशोधन संयंत्र, पंप हाउस आदि में जेजेएम के ब्रांडिंग दिशानिर्देशों का पालन करते हुए JJM लोगो होना चाहिए।

सभी रिकॉर्ड दिनांकित, हस्ताक्षरित और नियमित रूप से अपडेट किए जाने चाहिए।

3.10 गांव में पारदर्शिता को बढ़ावा देना

पारदर्शिता का अर्थ है सभी को सरल तरीकों से सूचित रखना।

सबसे अच्छी प्रबंधित ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाएं वे हैं जहां हर परिवार को पता होता है कि उनकी जल प्रणाली कैसे काम करती है।

i. ग्राम सूचना बोर्ड या जल प्रदर्शन बोर्ड पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करें, जैसे:

क. जल आपूर्ति का समय

ख. जल मित्र/ऑपरेटर का नाम और संपर्क नंबर

ग. हाल के जल गुणवत्ता परीक्षण परिणामों का विवरण

घ. वीडब्ल्यूएससी की आय और व्यय का सारांश

ङ. आगामी अनुरक्षण कार्यक्रम

ii. ग्राम सभा और जल चौपाल बैठकों के दौरान मुख्य अपडेट साझा करें।

iii. ग्रामीणों को प्रश्न पूछने और सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करें। यह साझा जिम्मेदारी पैदा करता है।

iv. सभी को उनकी भूमिका की याद दिलाने के लिए "हमारे गांव का पानी - हमारी जिम्मेदारी" जैसे नारे प्रदर्शित करें।

जब रिकॉर्ड खुले और दृश्यमान होते हैं, तो विश्वास बढ़ता है, भागीदारी बढ़ती है और समस्याएं कम होती हैं। एक पारदर्शी प्रणाली न केवल सुचारू संचालन सुनिश्चित करती है, बल्कि समुदाय में गर्व को भी प्रेरित करती है क्योंकि जब लोग जानते हैं कि उनके पानी का प्रबंधन कैसे किया जाता है, तो वे इसकी और भी अधिक देखभाल करते हैं।

3.11 सुरक्षा और स्वच्छता

एक स्वच्छ और सुरक्षित जल प्रणाली व्यवस्था हर गांव में स्वस्थ जीवन की कुंजी है। पानी पाइप, टैंक और पंपों के माध्यम से यात्रा कर सकता है, लेकिन यह हर घर और हर जीवन को छूता है। इसलिए व्यवस्था को स्वच्छ और सुरक्षित रखना हर किसी की जिम्मेदारी है। देखभाल की सरल आदतें दुर्घटनाओं को रोक सकती हैं, स्वास्थ्य की रक्षा कर सकती हैं और यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि पानी स्रोत से नल तक शुद्ध रहे। किए जाने वाले विभिन्न उपाय इस प्रकार हैं:

i. पंप हाउस को साफ और बंद रखें

क. पंप हाउस जल प्रणाली व्यवस्था का "दिल" है।

ख. इसे साफ, सूखा और धूल, अपशिष्ट या कीड़ों से मुक्त रखें।

ग. जानवरों या बाहरी लोगों को क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति न दें।

घ. क्षति या दुरुपयोग से बचने के लिए उपयोग में न होने पर पंप हाउस को हमेशा बंद रखें।

ङ. अंदर महत्वपूर्ण निर्देश प्रदर्शित करें जैसे पंप का समय, आपातकालीन संपर्क और सुरक्षा कदम।

ii. क्लोरीन का सुरक्षित तरीके से उपयोग करें

क. पीने के पानी को सुरक्षित रखने के लिए क्लोरीन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे सावधानी से संभाला जाना चाहिए।

ख. क्लोरीन तैयार करते समय या मिलाते समय हमेशा दस्ताने और फेस मास्क पहनें।

ग. क्लोरीन युक्त लोगों पर सीधे सांस न लें।

घ. क्लोरीन की गोलियों या पाउडर को बच्चों से दूर, ठंडी, सूखी और बंद जगह पर स्टोर करें।

ङ. सही मात्रा को मापें - अधिक क्लोरीन पानी की गंध को मजबूत बना सकता है, और कम क्लोरीन ठीक से कीटाणुरहित नहीं होगा।

च. क्लोरीन उपयोग व् संभालने के बाद हाथ अच्छी तरह धो लें।

iii. जल स्रोतों और आसपास के वातावरण को साफ रखें

क. कुओं, बोरवेल, टैंकों या धाराओं (स्ट्रीम) के पास कभी भी कचरा डंपिंग या धोने की अनुमति न दें।

ख. जानवरों, कूड़ेदानों और नालियों को स्रोत क्षेत्र से दूर रखें।

ग. मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए स्रोत के पास पेड़ या घास लगाएं।

घ. मच्छरों या शैवाल को बढ़ने से रोकने के लिए टैंक और स्रोत के चारों ओर नियमित रूप से सफाई करें।

ङ. यदि स्रोत के पास कोई गंदा पानी या कचरा दिखाई देता है, तो उसे तुरंत हटा दें।

iv. विद्युत प्रणालियों को सुरक्षित रखना

क. विद्युत पैनल, स्विच और तारों को हमेशा सूखा रखें।

ख. गीले हाथों से स्विच को न छुएं।

ग. उचित अर्थिंग सुनिश्चित करें और यदि आवश्यक हो तो इंसुलेटेड दस्ताने का उपयोग करें।

घ. नियमित रूप से कुछ महीनों में एक योग्य इलेक्ट्रीशियन से वायरिंग की जांच करवाएं।

ङ. आपात स्थिति में पंप हाउस के पास अग्निशामक यंत्र या रेत की बाल्टी रखें।

च. बिजली के झटके की स्थिति में, तुरंत बिजली बंद कर दें और मदद के लिए कॉल करें।

ध्यान रखना

सुरक्षा और स्वच्छता एक बार का कार्य नहीं है - वे दैनिक आदतें हैं। जब पंप हाउस साफ चमकता है, पानी का स्रोत सुरक्षित रहता है, और प्रणाली सुरक्षित रूप से चलता है, तो पूरा गांव स्वस्थ रहता है।

3.12 उपकरण और संलग्नक

जल आपूर्ति प्रणाली को ठीक से प्रबंधित करने के लिए, कुछ सरल उपकरण और संदर्भ सामग्री बहुत उपयोगी हैं। वे गांव की टीम को बिना किसी भ्रम के योजना बनाने, निगरानी करने और प्रणाली को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये उपकरण यह भी सुनिश्चित करते हैं कि जानकारी लिखी जाए, साझा की जाए और याद रखी जाए ताकि नए सदस्य प्रणाली को आसानी से समझ सकें और काम को सुचारू रूप से जारी रख सकें।

नीचे कुछ उपयोगी उपकरण दिए गए हैं जिन्हें ग्राम पंचायत कार्यालय या पंप हाउस में रखा जा सकता है:

i. O&M चेकलिस्ट (दैनिक-साप्ताहिक-मासिक)

क. उपयोग के लिए तैयार जाँच सूची ऑपरेटर और VWSC को बिना कुछ खोए नियमित कार्यों का पालन करने में मदद करती है।

ख. इसमें पंप ऑपरेशन, वाल्व चेकिंग, टैंक की सफाई, जल परीक्षण और रिकॉर्ड रखने जैसी सभी प्रमुख गतिविधियाँ शामिल हैं।

ग. प्रत्येक कार्य के बाद जाँच सूची पर टिक या हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। यह इस बात का प्रमाण बन जाता है कि व्यवस्था का रखरखाव ठीक से किया जा रहा है।

घ. पंप हाउस में इस जाँच सूची को प्रदर्शित करने से प्रत्येक को अपने दैनिक कर्तव्यों की याद रहती है।

i. गांव का जलापूर्ति योजना का नक्शा (As- Built Drawing)

क. As- Built Drawing जल आपूर्ति योजना के सभी प्रमुख भागों को दर्शाता है; स्रोत, पाइपलाइन, वाल्व, टैंक और घरेलू कनेक्शन।

ख. यह ऑपरेटर को खराबी या रखरखाव के दौरान वाल्व और मरम्मत बिंदुओं का तुरंत पता लगाने में मदद करता है।

ग. जब भी नए कनेक्शन या एक्सटेंशन जोड़े जाते हैं तो मानचित्र को अप-टू-डेट किया जाना चाहिए।

घ. पेय जल योजना मैप की एक प्रति को आसान संदर्भ के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय और पंप हाउस में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

iii. सरल शब्दों की शब्दावली

क. एक शब्दावली सभी को इस पुस्तिका में या चर्चाओं के दौरान उपयोग किए गए तकनीकी शब्दों को समझने में मदद करती है।

ख. यह "क्लोरीनीकरण," "दबाव," "वितरण लाइन," "वाल्व," या "FTK" जैसे शब्दों के संक्षिप्त, आसान अर्थ देता है।

ग. इससे इंजीनियरों, पंचायत सदस्यों और खलनायकों के बीच संचार आसान हो जाता है।

घ. शब्दावली नए VWSC सदस्यों या जल मित्रों को जल्दी सीखने और आत्मविश्वास से भाग लेने में भी मदद करती है।

ये छोटे-छोटे साधन बड़ा अंतर लाते हैं। वे पेय जल योजना के प्रबंधन में व्यवस्था, स्पष्टता और आत्मविश्वास लाते हैं। जब रिकॉर्ड लिखे जाते हैं, नक्शे खराब हो जाते हैं, और कर्तव्य स्पष्ट होते हैं, तो पूरा गांव एक मजबूत टीम के रूप में एक साथ काम करता है।

अध्याय 4

संचालन एवं रख-रखाव में हितधारकों की भूमिका

04

संचालन एवं रख-रखाव में हितधारकों की भूमिका

"हर स्तर पर साथ मिलकर काम करना"

4.1 ग्रामीण जलापूर्ति प्रणालियों/व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने में संस्थागत भूमिकाएँ

कोई भी गाँव की जल व्यवस्था अकेले नहीं चलती। नल से पानी आने के पीछे लोगों और संस्थाओं की एक पूरी "कड़ी" होती है, गाँव से लेकर राज्य स्तर तक। हर स्तर की अपनी जिम्मेदारी होती है: कुछ लोग रोज़मर्रा की योजना और प्रबंधन करते हैं, तो कुछ मार्गदर्शन देते हैं, प्रशिक्षण कराते हैं और सहयोग करते हैं। जब सभी स्तर आपस में समन्वय करते हैं, तो प्रणाली मजबूत, भरोसेमंद और सतत बनती है। ग्रामीण जलापूर्ति योजना का संचालन एवं रख-रखाव (O&M) इन्हीं स्तरों के बीच टीमवर्क पर निर्भर करता है। आइए, इन प्रमुख संस्थाओं की भूमिकाएँ समझते हैं:

4.2 ग्राम पंचायत और गाँव स्तर

4.2.1 ग्राम पंचायत

73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) के अनुसार ग्राम पंचायत - पंचायती राज की त्रि-स्तरीय व्यवस्था में गाँव स्तर की निर्वाचित संस्था है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन और निर्णय-निर्माण को सक्षम बनाना है। जलापूर्ति रखरखाव एवं प्रबंधन में ग्राम पंचायत की प्रमुख भूमिकाएँ:

i. ग्राम पंचायत VWSC को दिशा/नेतृत्व और निगरानी (oversight) प्रदान करती है।

ii. गाँव की वार्षिक O&M योजना और बजट को अनुमोदित करती है।

iii. प्रगति की समीक्षा करती है, रिकॉर्ड की जाँच/ऑडिट कराती है और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।

iv. उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारित/लगाती है, ऑपरेटर/नल जल मित्र तथा SHG या अन्य CBOs के अनुबंध (contracts) नियुक्त/नवीनीकृत करती है (O&M के किसी भी घटक के लिए)।

v. यह सुनिश्चित करती है कि नल जल मित्र के पास काम के लिए सभी आवश्यक उपकरण/टूल्स उपलब्ध हों।

vi. समुदाय को जोड़ती है और ग्राम सभा/जल चौपाल बैठकें कराकर जानकारी साझा करती है।

vii. तकनीकी या वित्तीय सहायता हेतु ब्लॉक/जिला स्तर को रिपोर्ट और प्रस्ताव भेजती है।

4.2.2 ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC)

VWSC ग्राम पंचायत की उप-समिति (sub-committee) है, जिसे ग्राम पंचायत के मार्गदर्शन में पेयजल से जुड़े कार्यों की योजना बनाने और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी जाती है। कुछ क्षेत्रों में इसे पानी समिति भी कहा जाता है।

जल जीवन मिशन (JJM) के अनुसार VWSC की परिकल्पना उस गाँव के लिए माइक्रो-यूटिलिटी (सेवा प्रदाता) के रूप में काम करने की है। VWSC की प्रमुख भूमिकाएँ[1]:

[1] पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय (2020). ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायत एवं VWSC के लिए मार्गदर्शिका। भारत सरकार। *https://jaljeevanmission.gov.in/sites/default/files/guideline/Margdarshika_for_Gram_Panchayat_and_Paani_Samiti.pdf*

i. तय समय-सारिणी के अनुसार पम्प और जलापूर्ति का दैनिक संचालन सुनिश्चित करना।

ii. जल गुणवत्ता, क्लोरीनेशन और प्रणाली की सफाई की निगरानी करना।

iii. घरों से उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करना और सही रिकॉर्ड रखना।

iv. छोटी मरम्मत कराना और बड़ी मरम्मत के लिए तकनीकी सहायता लेना।

v. क्लोरीन, उपकरण (tools) और स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक बनाए रखना।

vi. साप्ताहिक/मासिक समीक्षा बैठकें करके प्रगति की निगरानी करना।

vii. O&M रजिस्टर/रिकॉर्ड बनाए रखना और ग्राम पंचायत को रिपोर्ट देना।

viii. गाँव में जल बचत और उपयोगकर्ता शुल्क भुगतान के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

ix. किसी भी खराबी (breakdown) या शिकायत पर सबसे पहले कार्रवाई करना (first responder)।

मुख्य रूप से गाँव की जलापूर्ति योजना के संचालन एवं रख-रखाव और उससे जुड़े मुद्दों का समाधान VWSC की जिम्मेदारी है।

हालाँकि, जहाँ VWSC स्थानीय स्तर पर समस्या हल न कर पाए, वहाँ उन्हें GP Dashboard के माध्यम से DTU को तुरंत सूचित/फ्लैग करना चाहिए।

4.2.3 स्वयं सहायता समूह (SHGs) / महिला समूह

महिला समूह सतत जल सेवाएँ सुनिश्चित करने में मजबूत भागीदार हैं। वे समुदाय प्रबंधन में समर्पण, नियमितता और ईमानदारी लेकर आती हैं। SRLM के तहत विभिन्न स्तरों पर SHGs के समूह बने हैं और उनके संघ (federations) भी बने हैं।

उनकी प्रमुख भूमिकाएँ:

i. उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह और रिकॉर्ड रखने में VWSC की सहायता करना।

ii. पानी की गुणवत्ता जाँच में मदद करना और सप्लाई पॉइंट्स की निगरानी करना।

iii. जल बचत और स्वच्छता पर जागरूकता अभियान चलाना।

iv. टंकी सफाई जैसे निवारक रख-रखाव अभियानों में सहयोग देना।

v. O&M में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देना।

4.2.4 गाँववासी, स्वेच्छासेवक (Volunteers) और परिवार

गाँव का हर परिवार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हर कोई जिम्मेदारी लेता है, तो व्यवस्था अधिक मजबूत और भरोसेमंद बनती है। गाँववासियों को चाहिए कि वे:

i. पानी का सावधानी से उपयोग करें और बर्बादी न करें।

चित्र 11: जल प्रणाली प्रबंधन में भूमिकाएँ

संचालन, रख-रखाव और सततता के लिए साझेदारियाँ

- **सतत जलापूर्ति के लिए स्थानीय सहयोग को मजबूत करना**

ग्रामीण पेयजल प्रणालियों का प्रभावी और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतें (GPs) और VWSCs/पानी समितियाँ विभिन्न सामुदायिक और संस्थागत सहभागियों के साथ मिलकर काम कर सकती हैं। वे निम्नलिखित क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा सकते हैं :

- दैनिक संचालन, रख-रखाव, उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह और छोटी मरम्मत के लिए SHGs, यूज़र ग्रुप्स या अन्य CBOs को जोड़ सकती हैं।
- स्थानीय स्वयंसेवकों, कुशल व्यक्तियों और युवा समूहों (जैसे जल दूत, प्रशिक्षित प्लम्बर/पम्प ऑपरेटर) को तकनीकी सहायता और सामुदायिक जागरूकता कार्यों में शामिल कर सकती हैं।
- स्कूलों, आँगनवाड़ी और स्वास्थ्य संस्थानों के साथ मिलकर जल सुरक्षा, स्वच्छता जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन संचार (Behaviour Change Communication) को बढ़ावा दे सकती हैं।
- आवश्यकता होने पर स्रोत सततता योजना, क्षमता निर्माण या जल गुणवत्ता परीक्षण जैसे विशेष कार्यों के लिए विशेषज्ञ एजेंसियों/सेवा प्रदाताओं की सेवाएँ आउटसोर्स कर सकती हैं।

ऐसी साझेदारियाँ जन-भागीदारी दृष्टिकोण को मजबूत करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि ग्रामीण जल प्रणालियों का प्रबंधन सहभागी, कुशल और स्थानीय स्वामित्व वाला बना रहे।

ii. रख-रखाव खर्च के लिए उपयोगकर्ता शुल्क समय पर दें।

iii. रिसाव, नुकसान या अनियमित जलापूर्ति की सूचना तुरंत दें।

iv. घरेलू नल और कनेक्शन को अच्छी स्थिति में रखें।

v. जल चौपाल/VWSC बैठकों में भाग लें और सुझाव/फीडबैक दें।

vi. दूसरों को भी जल स्रोतों की रक्षा और सफाई अभियानों में सहयोग के लिए प्रेरित करें।

जब GP, VWSC, जल मित्र, SHGs और गाँववासी, सब मिलकर काम करते हैं, तो परिणाम होता है: एक आत्मनिर्भर गाँव, जहाँ सुरक्षित, नियमित और सतत जलापूर्ति बनी रहती है। यही जन-भागीदारी की सच्ची भावना और जल जीवन मिशन का दृष्टिकोण है—“हर घर जल”।

4.3 जिला स्तर

4.3.1 जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM)

i. DWSM जिले की सभी जल योजनाओं का समन्वय और निगरानी करता है।

ii. DTU को मार्गदर्शन देता है और यह देखता है कि DTU ग्राम पंचायत/VWSC/गाँव की माइक्रो-यूटिलिटी के साथ O&M में कैसे समन्वय करे।

iii. सभी ग्राम पंचायतों में निधियों/धनराशि का उचित उपयोग और समय पर मरम्मत सुनिश्चित करता है।

iv. फील्ड विजिट और रिपोर्टों के माध्यम से कार्यशीलता और गुणवत्ता संकेतकों की निगरानी करता है।

v. VWSCs और पंचायत अधिकारियों के लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षण और समीक्षा बैठकें आयोजित करता है।

vi. गाँवों के बीच (inter-village) तकनीकी मुद्दों का समाधान करता है और राज्य विभाग के साथ समन्वय सुनिश्चित करता है।

vii. जल उत्सव और जल अर्पण दिवस जैसे जागरूकता अभियानो व गतिविधियों में सहयोग देता है ताकि समुदाय स्वामित्व बढ़े।

4.3.2 जिला तकनीकी इकाई (DTU)

i. DTU, DWSM के अंतर्गत, ग्राम पंचायत/VWSC/गाँव की माइक्रो-यूटिलिटी को

O&M हेतु तकनीकी सहायता और सुपरविजन प्रदान करती है।

ii. मोटर खराबी, पाइपलाइन टूटना, जल-दाब (pressure) की समस्या जैसी इंजीनियरिंग समस्याओं में मदद करती है।

iii. निवारक रख-रखाव (preventive maintenance) और गुणवत्ता मानकों पर मार्गदर्शन देती है।

iv. VWSC सदस्यों, नल जल मित्रों और स्थानीय तकनीशियनों को बुनियादी मरम्मत कौशल का प्रशिक्षण देती है।

v. ग्राम पंचायत की रिपोर्टों की समीक्षा करती है और ब्लॉक-स्तरीय O&M योजनाएँ बनाने में सहायता करती है।

vi. इन्वेंटरी बनाए रखती है और बड़ी मरम्मत/बदलाव (replacement) का प्रबंधन करती है।

4.4 राज्य स्तर

जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारें SWSM को आवश्यक अधिकार प्रदान करती हैं।

4.4.1 राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM)

SWSM एक राज्य-स्तरीय संस्था है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करते हैं और PHED/RWS विभाग के प्रभारी प्रमुख सचिव/सचिव मिशन निदेशक होते हैं। राज्य में JJM के क्रियान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी SWSM की है। प्रमुख दायित्व:

- राज्य स्तर के डैशबोर्ड के माध्यम से जलापूर्ति परियोजनाओं के प्रदर्शन/कार्यशीलता की समग्र निगरानी।
- जहाँ संभव हो, नवाचार और नई तकनीक को बढ़ावा देना।
- O&M नीति के क्रियान्वयन हेतु नीति मार्गदर्शन और सहयोग देना।
- राज्य के विभिन्न विभागों और अन्य भागीदारों के साथ समन्वय करना।
- O&M हेतु संचार और क्षमता विकास कार्यक्रमों का एकीकरण।
- जल योजनाओं का तकनीकी और वित्तीय ऑडिट कराना।
- राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ योजना और मूल्यांकन के लिए समन्वय बनाए रखना।

4.4.2 ग्रामीण जलापूर्ति विभाग

राज्य का PHED/RWS विभाग समग्र तकनीकी मार्गदर्शन और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करता है।

- DTU को तकनीकी मुद्दों के समाधान में समर्थन देना।
- बड़े मरम्मत/पुनर्वास कार्यों को अनुमोदित करना जिनके लिए उच्च स्तर की फंडिंग चाहिए।
- सतत O&M हेतु नवाचार, नई तकनीक और साझेदारियों को बढ़ावा देना।
- स्पेयर पार्ट्स की योजना/खरीद और संसाधन प्रबंधन।

4.5 नल जल मित्र: वह सहायक साथी जो पानी का प्रवाह बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं

JJM के तहत नल जल मित्र नियुक्त करने का प्रावधान है। "नल जल मित्र" एक प्रशिक्षित व्यक्ति/स्थानीय संसाधन व्यक्ति होता है जो गाँव स्तर पर ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था के क्रियान्वयन, संचालन और रख-रखाव में सहयोग करता है। इसका उद्देश्य गाँव स्तर पर सतत रोजगार के अवसर बनाना भी है, विशेषकर स्थानीय लोगों के लिए, और जहाँ संभव हो, महिलाओं को प्राथमिकता के साथ।

क्योंकि वे उसी गाँव/क्षेत्र में रहते हैं, समस्या आते ही वे तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर घर तक सुरक्षित और नियमित पानी पहुँचता रहे। उनकी मौजूदगी से गाँव अपनी व्यवस्था को आत्मविश्वास के साथ चला पाता है और लंबे समय तक सुचारु रख पाता है।

4.5.1 गाँव के लिए नल जल मित्र का चयन कैसे करें

गाँव की जल व्यवस्था को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए हर ग्राम पंचायत के पास कम से कम एक प्रशिक्षित और कुशल व्यक्ति होना चाहिए। सामान्य नियम के अनुसार 500 घरों तक वाले गाँव में एक नल जल मित्र (ऑपरेटर) रखा जा सकता है।

चयन करते समय स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दें, जो गाँव की बसावट (layout) और जल व्यवस्था को समझता हो। ग्राम पंचायत किसी महिला ऑपरेटर को, विशेषकर SHG से—नियुक्त करने पर भी विचार कर सकती है, जिससे महिलाओं की भागीदारी, समुदाय स्वामित्व और आत्मनिर्भरता बढ़ती है।

4.5.2 प्रशिक्षण और सहायता

कार्यभार लेने से पहले चयनित व्यक्ति को उसकी भूमिका और जिम्मेदारियाँ समझने के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत, वित्त आयोग निधि का उपयोग करके राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के Nal Jal Mitra Programme (NJMP) के अंतर्गत यह प्रशिक्षण प्रायोजित कर सकती है, जैसे:

- नए उम्मीदवारों के लिए Short-Term Training (STT)
- पहले से अनुभव रखने वालों के लिए Recognition of Prior Learning (RPL)

PHED/RWS विभाग, RSETIs या अन्य कौशल विकास पहलों के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उपयोग किए जा सकते हैं। प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायत को DWSM को अनुरोध भेजना चाहिए।

4.5.3 ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन

पारदर्शिता और सहभागिता बनाए रखने के लिए चयनित नल जल मित्र का नाम सामान्य ग्राम सभा बैठक में अनुमोदन हेतु रखा जाना चाहिए। इससे सभी गाँववासी जान पाते हैं कि उनकी जल व्यवस्था कौन चला रहा है, वे अपनी शिकायत/फीडबैक दे सकते हैं और रख-रखाव के लिए उपयोगकर्ता शुल्क भी विश्वास के साथ दे पाते हैं।

इस तरह सही व्यक्ति का चयन और प्रशिक्षण विशेषकर गाँव के भीतर से, विश्वास बढ़ाता है, स्थानीय रोजगार बनाता है और व्यवस्था को समुदाय द्वारा ही भरोसेमंद ढंग से चलाने में मदद करता है।

"नल जल मित्र के साथ – गाँव का जल, गाँव के हाथ।"
(अर्थ: नल जल मित्र के साथ जलापूर्ति प्रबंधन गाँव के हाथों में रहता है।)

4.5.4 भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

नल जल मित्र (NJM) गाँव की जल व्यवस्था को सुरक्षित और सुचारु रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे पम्प और पाइपलाइन ही नहीं देखते, बल्कि लोगों को नियमित और स्वच्छ पानी मिलने में भी मदद करते हैं। उनका काम तकनीकी देखभाल और सामुदायिक सेवा—दोनों को जोड़ता है। उनकी भूमिकाएँ इस प्रकार हैं:

i. संचालन एवं रख-रखाव (Operation & Maintenance)

क. जलापूर्ति समय-सारिणी के अनुसार रोज़ पम्प, वाल्व और क्लोरीनेशन यूनिट चलाना।

ख. यह देखना कि जल प्रवाह और दबाव सही है और गाँव के सभी हिस्सों तक पहुँच रहा है।

ग. पाइपलाइनों की नियमित जाँच कर छोटी लीकेज की पहचान कर, ठीक करना।

घ. बड़ी खराबी होने पर तुरंत पंचायत/VWSC को सूचना देना।

च. निवारक रख-रखाव (preventive maintenance) में सहयोग करना ताकि लंबे समय तक सप्लाई बाधित न हो।

ii. जल गुणवत्ता और सुरक्षा

क. OHT/सम्प की नियमित सफाई करवाना ताकि पानी सुरक्षित रहे।

ख. ब्लीचिंग पाउडर आदि कीटाणुनाशक रसायनों को सही मात्रा में और सावधानी से उपयोग करना।

ग. FTK से/पंचायत के निर्देशानुसार पानी के नमूनों की जाँच में मदद करना।

iii. रिकॉर्ड रखना (Record-Keeping)

क. रोज़ का लॉगबुक रखना—पम्प चलने के घंटे, उपयोग हुआ क्लोरीन, सप्लाई टाइमिंग आदि।

ख. मरम्मत और रख-रखाव कार्यों का रिकॉर्ड बनाए रखना।

ग. घरेलू कनेक्शनों की सूची अपडेट करना—नए और बंद हुए कनेक्शन सहित।

iv. समुदाय सहयोग और संचार (Community Support & Communication)

क. कम दबाव, लीकेज या अनियमित सप्लाई की शिकायतों को सुनना और जल्दी कार्रवाई करना।

ख. मरम्मत या बिजली बंद होने जैसी स्थितियों की जानकारी पहले से गाँववालों को देना।

ग. जल संरक्षण, स्वच्छता और पीने के पानी के सुरक्षित भंडारण पर जागरूकता गतिविधियों में सहयोग करना।

v. सुरक्षा और उपकरणों की देखभाल (Safety & Care of Equipment)

क. क्लोरीन या इलेक्ट्रिकल पैनल संभालते समय सही मानक वाले दस्ताने, मास्क और सुरक्षा उपकरण का उपयोग करना।

ख. टूल्स, स्पेयर पार्ट्स और उपकरण सुरक्षित रखना और अच्छी हालत में रखना।

ग. पम्प हाउस/कार्यस्थल को साफ, सूखा और सुरक्षित बनाए रखना।

vi. समन्वय और सीख (Coordination & Learning)

क. व्यवस्था के प्रदर्शन और समस्याओं पर ग्राम पंचायत/VWSC को नियमित जानकारी देना।

ख. प्रशिक्षण/रीफ्रेशर सत्रों/कार्यक्रमों में भाग लेकर तकनीकी कौशल बढ़ाते रहना।

ग. आवश्यकता पड़ने पर उच्च स्तर की निगरानी हेतु डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग में मदद करना।

सरल शब्दों में, नल जल मित्र गाँव की जल व्यवस्था का "केंद्र-बिंदु" है, जो यह सुनिश्चित करता है कि हर बूंद हर घर तक, हर दिन, सुरक्षित और भरोसेमंद ढंग से पहुँचे।

उनका कौशल, रखरखाव में सजगता और समर्पण ही "हर घर जल" के सपने को जीती-जागती वास्तविकता बनाता है।

4.6 सततता के लिए मिलकर काम करना

गाँव, पंचायत, ज़िला और राज्य हर स्तर एक ही श्रृंखला की कड़ी है।

यदि एक कड़ी कमज़ोर हो जाए, तो पूरा तंत्र प्रभावित होता है। लेकिन जब सभी मिलकर काम करते हैं, जल मित्र से लेकर अभियंता तक, VWSC से लेकर PHED/राज्य ग्रामीण जलापूर्ति विभाग/SWSM तक तो परिणाम होता है एक मज़बूत, तत्पर और लोगों के नेतृत्व वाली पेय जल व्यवस्था, जो पीढ़ियों तक टिकती है।

"हर स्तर पर साथ — हर घर में जल"
हर स्तर पर टीमवर्क ही हर घर तक पानी सुनिश्चित करता है।

अध्याय 5

संचालन एवं रख-रखाव (O&M) के लिए तैयारी

05

संचालन एवं रख-रखाव (O&M) के लिए तैयारी

"कमीशनिंग (Commissioning) से हस्तांतरण (Handing Over) तक"

जब गाँव की जलापूर्ति व्यवस्था का निर्माण पूरा हो जाता है, तब एक नई और बहुत महत्वपूर्ण यात्रा शुरू होती है, गाँव को उसे चलाने (operate) और संभालने (maintain) के लिए तैयार करना। जल अर्पण दिवस (औपचारिक हस्तांतरण का दिन) मनाने से पहले यह जरूरी है कि व्यवस्था के हर हिस्से की जाँच हो, दस्तावेज़ीकरण पूरा हो, और व्यवस्था सुचारु व भरोसेमंद रूप से चलने के लिए तैयार हो।

यह "तैयारी का चरण" (Preparedness Stage) सुनिश्चित करता है कि गाँव में पाइप जलापूर्ति व्यवस्था कार्यशील (functional) है और हर परिवार/समुदाय को यह पता है कि उसे चलाए रखने में उनकी क्या भूमिका है।

तैयारी का मतलब केवल चेकलिस्ट पूरी करना नहीं है; इसका मतलब है, हितधारकों और लाभार्थियों में विश्वास, जागरूकता और स्वामित्व की भावना बनाना। क्योंकि जब व्यवस्था अंततः समुदाय को सौंपी जाए, तो वह सिर्फ अच्छी तरह काम ही न करे, बल्कि समुदाय उसे समझे, देखभाल करे, और अपनी व्यवस्था मानकर उसका उत्सव भी मनाए।

इस अध्याय में हम जानेंगे, कि कमीशनिंग (ट्रायल रन) और औपचारिक हस्तांतरण के बीच क्या-क्या करना जरूरी है, ताकि पेय जल योजना एवं प्रणाली पहले दिन से ठीक चले और आने वाले वर्षों तक चलती रहे।

5.1 कमीशनिंग (Commissioning) क्या है

कमीशनिंग का मतलब है, पेय जल योजना को समुदाय को सौंपने से पहले टेस्ट/जाँच करना। इससे यह सुनिश्चित होता है कि स्रोत से लेकर नल तक सभी घटक सही तरह काम कर रहे हैं और योजना के डिज़ाइन के अनुसार गाँववासियों को सुरक्षित और पर्याप्त पानी मिल रहा है। जब व्यवस्था का ट्रायल रन, प्रशिक्षण और दस्तावेज़ीकरण हस्तांतरण से पहले हो जाता है, तो ग्राम पंचायत और समुदाय—दोनों का आत्मविश्वास बढ़ता है।

5.2 हस्तांतरण के लिए तैयारी : यह चरण क्यों जरूरी है

निर्माण और हस्तांतरण के बीच का यह चरण सततता की नींव है।

यदि पेय जल प्रणाली को बिना पर्याप्त परीक्षण और प्रशिक्षण के जल्दी सौंप दिया जाए, तो छोटी-छोटी कमियाँ आगे चलकर बड़ी समस्याएँ बन सकती हैं। सही तैयारी से गाँव की टीम आत्मविश्वासी, जानकार और अपनी व्यवस्था स्वयं संभालने के लिए तैयार होती है। इसलिए नीचे दिए गए बिंदुओं[2] पर "तैयारी" सुनिश्चित करना जरूरी है।

[2] पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय (2025). ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं (JJM) के लिए कमीशनिंग प्रोटोकॉल।

5.2.1 तकनीकी तैयारी (Technical Readiness)

- CPHEEO मैनुअल में 1–2 सप्ताह का ट्रायल रन बताया गया है। लेकिन ग्रामीण आबादी और नए सेवा मानकों को देखते हुए ट्रायल रन कम से कम 15 दिन और आवश्यकता अनुसार 30 दिन तक किया जाना बेहतर है, ताकि व्यवस्था के सभी हिस्सों की जाँच हो सके।
- इस दौरान पानी हर घर तक नियमित पहुँचना चाहिए और रिसाव, दबाव (pressure) में कमी, पम्प खराबी जैसी समस्याएँ हों तो उन्हें ठीक किया जाना चाहिए।
- ग्राम पंचायत और VWSC गाँव में एक "ट्रांसेक्ट वॉक" (गाँव में चलकर निरीक्षण) करें—पाइपलाइन, वाल्व, टंकी और स्रोत संरचनाओं को देखकर यह सुनिश्चित करें कि सब कुछ कार्यशील है।
- As-built drawing, asset register और तकनीकी परीक्षण रिपोर्टें जल अर्पण दिवस से पहले ग्राम पंचायत/VWSC को सौंप दी जानी चाहिए।

5.2.2 संस्थागत तैयारी (Institutional Readiness)

- एक सक्रिय VWSC का होना जरूरी है।
  - ✓ यदि VWSC नहीं है, तो ऑपरेशनल गाइडलाइंस के अनुसार हस्तांतरण से पहले उसका गठन/पुनर्गठन किया जाए।
- उपयोगकर्ता शुल्क (user charges) एकत्र करने और प्रबंधन के लिए VWSC के नाम से बैंक खाता खुला होना चाहिए।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि VWSC सदस्य और नल जल मित्र/ऑपरेटर दैनिक संचालन, रख-रखाव, जल गुणवत्ता परीक्षण और रिकॉर्ड-रखाव के बारे में पूरी तरह जागरूक हों और प्रशिक्षित हों।
- स्रोत संरक्षण और सततता की योजना भी तैयार कर, अनुमोदित की जाए।

5.2.3 दस्तावेज़ और हस्तांतरण रिकॉर्ड (Documentation and Handover Records)

जल अर्पण दिवस से पहले योजना से जुड़े सभी दस्तावेज़ तैयार हों और पंचायत को साझा किए जाएँ, जैसे:

- पाइपलाइन, टंकी और कनेक्शन दिखाने वाला As-built drawing
- उपकरण, पम्प और संरचनाओं की सूची सहित Asset register
- सभी घटकों के ट्रायल रन/टेस्टिंग रिपोर्ट
- FTK और लैब से जल गुणवत्ता परीक्षण परिणाम
- O&M प्लान और तकनीकी सहायता देने वाले व्यक्तियों की संपर्क सूची

5.2.4 हस्तांतरण से पहले सामुदायिक सहभागिता (Community Engagement Before Handover)

- गाँव की बैठकों, PRA अभ्यास और जल चौपाल के जरिए समुदाय को व्यवस्था और अपनी भूमिका की जानकारी दी जाए।
- इस चरण में FTK से पानी जाँच का प्रदर्शन करके दिखाया जा सकता है कि जल गुणवत्ता कैसे जांची जाती है।
- बच्चों, SHG सदस्यों, आँगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को शामिल करें ताकि जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो।
- जो लोग गाँव के बाहर रहते हैं पर "जड़ों" से उसी गाँव के हैं, उन्हें भी बुलाकर जोड़ सकते हैं और योगदान के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
- माननीय सांसद (MP), विधायक (MLA) और संबंधित स्थानीय मंत्री जैसे जनप्रतिनिधियों को जल अर्पण दिवस में भाग लेने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित करें। उनकी उपस्थिति कार्यक्रम को और सफल बनाती है और सामुदायिक स्वामित्व को मजबूत करती है। ऐसे आमंत्रण DWSM के समन्वय से पहले से भेजे जाएँ।
- स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों, सामाजिक नेताओं और परंपरागत बुजुर्गों को भी बुलाया जा सकता है ताकि समुदाय का गर्व बढ़े।
- JJM की ब्रांडिंग से जुड़े सभी कार्य सुनिश्चित किए जाएँ।

5.2.5 सांस्कृतिक और सामाजिक तैयारी (Cultural and Social Preparedness)

- हस्तांतरण के अंतिम दिन "जल बंधन" (टंकी या नल पर पवित्र धागा बाँधना) जैसे प्रतीकात्मक आयोजन किए जा सकते हैं, जो संरक्षण और पवित्रता का संदेश देते हैं।

- गाँव को एक वार्षिक "लोक जल उत्सव" (जल उत्सव कैलेंडर) बनाना चाहिए, जो पेयजल को स्थानीय परंपराओं, रीति-रिवाजों और सामाजिक आयोजनों से जोड़ता हो।

उदाहरण: मानसून में वृक्षारोपण, फसल त्योहारों से पहले तालाबों की सफाई, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जल सुरक्षा के गीत आदि। इससे जल प्रबंधन रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बनता है, केवल "सरकारी गतिविधि" नहीं।

5.3 हस्तांतरण से पहले तैयारी की जाँच-सूची

तैयारी का क्षेत्र	क्या करना है	जिम्मेदार
VWSC गठन	सक्रिय और प्रशिक्षित VWSC	GP
ट्रायल रन	15–30 दिन तक सिस्टम की जाँच	विभाग, GP, VWSC
बैंक खाता व वित्तीय योजना	VWSC के नाम से खाता और वित्तीय योजना	GP, VWSC
दस्तावेज़ तैयार	As-built drawing, asset list, रिपोर्ट	विभाग
तकनीकी जाँच	लीकेज, दबाव, प्रवाह की नियमितता, पम्पिंग फेल्योर आदि सहित जाँच	विभाग, VWSC
तकनीकी आकलन रिपोर्ट साझा करना	जलापूर्ति ढाँचे का विस्तृत तकनीकी ऑडिट रिपोर्ट VWSC/GP को साझा	विभाग
जल गुणवत्ता	FTK और लैब टेस्टिंग	VWSC, विभाग
ओरिएंटेशन/संवेदीकरण कार्यशाला	सभी हितधारकों के लिए ओरिएंटेशन	विभाग, VWS, GP
इन्वेंटरी विवरण	सभी संपत्तियों की विस्तृत सूची, स्पेसिफिकेशन, FHTC संख्या, रख-रखाव/जल गुणवत्ता रिकॉर्ड, वारंटी आदि साझा	विभाग
VWSC/GP द्वारा स्व-मूल्यांकन	तैयारी का self-assessment	VWSC, GP
संदेश व ब्रांडिंग	अनुमोदित लोगो/डिज़ाइन सहित संदेश	विभाग, GP, VWSC
समुदाय जागरूकता	जल चौपाल, PRA, water testing demo	VWSC, SHGs
आमंत्रित अतिथि	जनप्रतिनिधि, सामाजिक नेता, समुदाय	GP, VWSC
संयुक्त निरीक्षण/ट्रांसेक्ट वॉक	RPWSS के सभी घटक कार्यशील हैं, गाँव में चलकर जाँच	विभाग, VWSC, GP
ग्राम सभा अनुमोदन एवं MoU	ग्राम सभा आयोजित कर अनुमोदन	GP, विभाग
स्रोत संरक्षण/सततता योजना	स्रोत संरक्षण योजना तैयार	VWSC, GP

Readiness Area	What Must Be Done	Responsible
Invitees for Event	Public representatives, social leaders, community	GP + VWSC
Joint Walk-Through / Transect Walk	Village walk to see if all components of RPWSS are functional	Department + VWSC + GP
Gram Sabha Approval & MoU Signing	A Gram Sabha to be organized and approval taken.	GP + Department
Plan for Source Protection and Sustenance	Source protection plan prepared	VWSC + GP

एक काल्पनिक कहानी **(संलग्नक-4)** में कुछ तैयारी गतिविधियाँ दी गई हैं जो हस्तांतरण से पहले गाँव की तैयारी का संदेश देती हैं।

चित्र 12: जल अर्पण दिवस – गर्व के साथ सौंपना

ये कदम हस्तांतरण को स्पष्ट, पारदर्शी और सहभागितापूर्ण बनाते हैं और स्थानीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। इस सामग्री का सार यही है कि जल अर्पण दिवस तक गाँव तकनीकी रूप से तैयार, संस्थागत रूप से सुदृढ़, और भावनात्मक रूप से जुड़ा हो, यही "गाँव का जल, गाँव के हाथ" की सच्ची भावना है।

चरण-दर-चरण हस्तांतरण प्रोटोकॉल **संलग्नक 5** में है।

अध्याय 6

हस्तांतरण दिवस: जल अर्पण दिवस

06

हस्तांतरण दिवस: जल अर्पण दिवस

"स्वामित्व का उत्सव"

6.1 जल अर्पण दिवस क्या है

जल अर्पण दिवस हर गाँव के लिए गर्व और कृतज्ञता का दिन है। यह वह क्षण है जब जल जीवन मिशन के तहत बनी गाँव की पाइप जलापूर्ति व्यवस्था को विभाग से ग्राम पंचायत और समुदाय को औपचारिक रूप से सौंपा जाता है।

यह केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं,
स्वामित्व का उत्सव है।

इस दिन के बाद गाँव के लोग अपनी जल व्यवस्था को चलाने, सुरक्षित रखने और उसका रख-रखाव करने की जिम्मेदारी पूरी तरह लेते हैं।

6.2 जल अर्पण क्यों मायने रखता है

जलापूर्ति योजना का सही तरीके से हस्तांतरण होने से गाँव के सभी लोगों को स्पष्ट रूप से पता चलता है कि:

- कौन-कौन सी संपत्तियाँ/ढाँचे (assets) बनाए गए हैं।
- इन्हें कौन चलाएगा और रख-रखाव कौन करेगा।
- धनराशि/फंड का प्रबंधन कैसे होगा।
- जल गुणवत्ता की निगरानी कैसे की जाएगी।
- आने वाले वर्षों तक व्यवस्था को कैसे संभाला जाएगा।

यदि यह समझ नहीं होगी, तो छोटी समस्याएँ भी आगे चलकर बड़ी बन सकती हैं। जल अर्पण दिवस हर गाँववासी को यह महसूस कराता है, "यह हमारा पानी है, हमारी व्यवस्था है और हमारी जिम्मेदारी है।"

यही सच्ची जन-भागीदारी की शुरुआत है, जब लोग उस व्यवस्था की जिम्मेदारी लेते हैं, जिसे बनाने में उन्होंने भी भूमिका निभाई है।

6.3 कहाँ और कैसे मनाएँ

जल अर्पण दिवस का आयोजन जल संरचनाओं के पास, जैसे ओवरहेड टंकी (OHT), पम्प हाउस या पंचायत भवन में किया जा सकता है। ऐसी जगह चुनें जहाँ अधिक से अधिक लाभार्थी, बुजुर्ग, महिलाएँ, युवा और बच्चे आकर देख-समझ सकें और भाग ले सकें। कार्यक्रम उत्सव जैसा दिखे—रंग, गीत, और गर्व के साथ।

6.3.1 अतिथि और प्रतिभागी

इस समारोह में जनप्रतिनिधि, जिला/विभागीय अधिकारी, और सबसे महत्वपूर्ण, गाँव के लोग, VWSC सदस्य, SHGs, क्षेत्र में काम करने वाले सहयोगी संस्थाएँ, NGOs, स्कूल, और युवा, सभी शामिल हो सकते हैं।

जिला प्रशासन के समन्वय से ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करे कि सांसद (MP), विधायक (MLA) और संबंधित

स्थानीय मंत्री का स्वागत-सत्कार उचित ढंग से हो और वे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएँ।

6.3.2 जल अर्पण दिवस पर सुझाई गई गतिविधियाँ

- **जल वॉक (प्रभात फेरी)**

  दिन की शुरुआत गाँव में सुबह की रैली से करें। VWSC और SHG सदस्य, बच्चे और युवा बैनर लेकर चलें और पानी के जिम्मेदार उपयोग, जल संरक्षण और स्वच्छता पर गीत/नारे लगाएँ। इससे पूरे गाँव में जागरूकता और उत्साह का माहौल बनता है।

- **जल बंधन – जल के लिए पवित्र धागा**

  मुख्य स्थल पर, टंकी/नल/पम्प हाउस पर रक्षा-सूत्र (पवित्र धागा) बाँधें।

  गाँववासी और अतिथि द्वारा किया गया कार्य जल की हर बूंद की रक्षा और देखभाल का साझा वचन (सामूहिक संकल्प) दर्शाता है।

- **जल वंदना – जल के लिए गीत**

  महिला समूह और युवा लोकगीत, भजन या छोटा नाटक (नुक्कड़ नाटक) प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें सुरक्षित पानी और स्वच्छता का संदेश हो।

  इससे कार्यक्रम में भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव आता है और याद दिलाता है कि जल जीवन भी है और विश्वास भी।

- **जल संकल्प – जल की शपथ**

  सभी गाँववासी मिलकर एक शपथ लें, उदाहरण:

  "हम संकल्प लेते हैं कि हम अपनी गाँव की जलापूर्ति व्यवस्था को अपनी संपत्ति समझकर उसकी देखभाल करेंगे, पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, उसे स्वच्छ रखेंगे, व्यवस्था को कुशलता से चलाएँगे और सबसे महत्वपूर्ण, यह सुनिश्चित करेंगे कि हर घर को हर दिन सुरक्षित और पर्याप्त पानी मिलता रहे।"

  शपथ स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा में भी दिलाई जा सकती है ताकि सभी लोग उसे समझें और उससे जुड़ाव महसूस करें।

  यह सामूहिक शपथ जल व्यवस्था को साझी जिम्मेदारी में बदल देती है।

- **जल श्रृंगार – कला और जागरूकता**

  महिलाएँ और युवा रंगोली/अल्पना/झोटी से "स्रोत से नल तक" पानी की यात्रा दिखा सकते हैं।

  स्वयंसेवक/युवा FTK (Field Test Kit) का प्रदर्शन करके बता सकते हैं कि पानी की गुणवत्ता कैसे जाँची जाती है।

  ये गतिविधियाँ सीख को रोचक और अर्थपूर्ण बनाती हैं।

- **हर घर जल घोषणा**

  यदि गाँव के हर घर में कार्यशील नल कनेक्शन है, तो यह दिन और भी विशेष बन जाता है।

  सरपंच या मुख्य अतिथि JJM प्रोटोकॉल के अनुसार गाँव को "हर घर जल गाँव" घोषित कर सकते हैं।

  इस उपलब्धि की घोषणा वाला एक डिस्प्ले बोर्ड भी लगाया जा सकता है।

- **सम्मान और अभिनंदन**

  VWSC सदस्य, SHG, पम्प ऑपरेटर, मिस्त्री (mason) और युवा स्वयंसेवकों का सम्मान करें।

  उनका योगदान बताता है कि टीमवर्क से ही पानी हर घर तक पहुँचता है।

6.4 हस्तांतरण के बाद

इस दिन के बाद VWSC और ग्राम पंचायत जल व्यवस्था के संचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी संभालते हैं। विभाग और जिला टीम तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन देती रहेंगी।

VWSC को चाहिए कि वह:

- O&M योजना का नियमित पालन करे और आवश्यकता अनुसार अपडेट करे।
- ऑपरेटर (नल जल मित्र) और सहायक नियुक्त करे।
- उपयोगकर्ता शुल्क समय पर एकत्र करे।
- सभी रिकॉर्ड, रजिस्टर और खाते व्यवस्थित रखे।
- जल गुणवत्ता और सिस्टम प्रदर्शन की लगातार जाँच करता रहे।

इससे व्यवस्था वर्षों तक कार्यशील, स्वच्छ और भरोसेमंद बनी रहती है।

6.5 इसे लोगों का उत्सव बनाना

औपचारिक कार्यक्रम के बाद इस दिन को गाँव का जल उत्सव बनाइए, एक लोक जल उत्सव की तरह: संगीत, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और समुदाय की कहानियाँ के साथ।

स्थानीय बुजुर्गों, फ्रंटलाइन वर्कर्स, और बाहर रहने वाले उन गाँववासियों को भी बुलाएँ जिनका "मूल गाँव" यहीं है। बच्चे पानी पर चित्र बनाएँ/गीत गाएँ; महिलाएँ अपने अनुभव साझा करें।

ऐसा उत्सव हर व्यक्ति को यह महसूस कराए "यह हमारा जल है, हमारा गर्व है और हमारा भविष्य है।"

6.6 हस्तांतरण – एक नई शुरुआत

हस्तांतरण परियोजना का अंत नहीं है। यह समुदाय स्वामित्व की शुरुआत है, वह क्षण जब जिम्मेदारी और गर्व विभाग के हाथों से लोगों के दिलों तक पहुँचता है। जल अर्पण दिवस मनाकर गाँव केवल जल व्यवस्था "प्राप्त" नहीं करता, वह उसे सुरक्षित रखने और सतत बनाने की साझा जिम्मेदारी भी स्वीकार करता है।

"जल अर्पण दिवस – गाँव का अभिमान,
जल की सुरक्षा का प्रमाण।"

अध्याय 7

समुदाय एवं समुदाय आधारित संस्थाओं की भागीदारी और लोगों को सशक्तिकरण

07

समुदाय एवं समुदाय आधारित संस्थाओं की भागीदारी और लोगों को सशक्तिकरण

"सबकी भागीदारी, सबका सशक्तिकरण - सुजल ग्राम की राह"

7.1 सामुदायिक भागीदारी की शक्ति

हर सफल जलापूर्ति योजना एवं प्रणाली की असली ताकत उसका समुदाय और समुदाय की भागीदारी होती है। तकनीक कितनी भी अच्छी हो या ढाँचा कितना भी मजबूत हो, व्यवस्था तभी टिकती है जब गाँव उसे अपना मानकर उसकी देखभाल करे। जब गाँव के लोग, महिला समूह, युवा और स्थानीय कार्यकर्ता पानी के प्रबंधन में साथ आते हैं, तो व्यवस्था भरोसेमंद, सम्मानित और लंबे समय तक चलने वाली बनती है। हर घर जल की सच्ची ताकत उन हाथों में है जो पानी का उपयोग भी करते हैं, उसे बचाते भी हैं और उसे सतत भी बनाए रखते हैं।

7.2 अन्य कार्यक्रमों के साथ समन्वय (Convergence)

7.2.1 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) के साथ समन्वय

SRLM के तहत बने स्वयं सहायता समूह (SHG) और उनकी विभिन्न फेडरेशन संरचनाएँ—JJM के लिए एक बड़ा अवसर हैं, ताकि गाँव में स्थानीय साझेदारी और स्थानीय आजीविका, दोनों को मजबूत किया जा सके। इस समन्वय से:

- SHG सदस्यों को प्लम्बिंग, पम्प संचालन, छोटी मरम्मत जैसे कौशलों में प्रशिक्षित किया जा सकता है और वे माइक्रो-यूटिलिटी (सेवा प्रदाता) के रूप में भी काम कर सकते हैं।
- वे उपयोगकर्ता शुल्क/टैरिफ संग्रह, रिकॉर्ड-रखाव और वित्तीय प्रबंधन में VWSC की मदद कर सकते हैं।
- वे नियमित जल गुणवत्ता परीक्षण कर सकते हैं और रिपोर्ट समुदाय के साथ तथा WQMIS डैशबोर्ड पर साझा कर सकते हैं।
- वे JJM के लिए Implementing Support Agency (ISA) के रूप में भी सहयोग कर सकते हैं।

इस तरह की साझेदारी से गाँव में आजिविका के अवसर बनते हैं, महिलाओं का नेतृत्व मजबूत होता है और बाहरी ठेकेदारों पर निर्भरता कम होती है। एक प्रशिक्षित SHG सदस्य सिर्फ "कामगार" नहीं रहती, वह जल मित्र/जल सहेली बनकर अपने गाँव को जल-सुरक्षित रखने में मदद करती है।

SHG और अन्य CBO गाँव की सामाजिक-आर्थिक जीवनरेखा हैं, वे संगठित, भरोसेमंद और गाँव से जुड़े होते हैं, इसलिए जल व्यवस्था प्रबंधन में वे सबसे अच्छे साझेदार बन सकते हैं।

7.2.2 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) और अन्य CBO के साथ समन्वय

SHG के अलावा PACS, FPO और अन्य समुदाय-आधारित संगठन (CBO) भी गाँव की जलापूर्ति व्यवस्था के O&M में परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकते हैं। इन संस्थाओं में अक्सर वित्तीय प्रबंधन और संगठन क्षमता मजबूत होती है, जिसका उपयोग व्यवस्था को कुशल और सतत बनाने में किया जा सकता है। VWSC और पंचायत के साथ साझेदारी करके ये संस्थाएँ तकनीकी सहायता, संसाधन प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दे सकती हैं, जिससे जल व्यवस्था और अधिक भरोसेमंद और लचीली (resilient) बनती है।

JJM, SHG, PACS, FPO और अन्य संस्थाओं के बीच मजबूत साझेदारी का मतलब है, व्यवस्था केवल स्थापित नहीं की जाती, बल्कि चलती भी रहती है। तकनीकी कौशल, वित्तीय प्रबंधन और स्वामित्व, जब एक साथ जुड़ते हैं, तो गाँव दीर्घकालिक जल-सुरक्षा हासिल कर सकता है और स्थानीय आजीविका भी मजबूत होती है।

7.3 फ्रंटलाइन कार्यकर्ता की भागीदारी - DWSM के माध्यम से पानी का पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ एकीकरण

फ्रंटलाइन कार्यकर्ता गाँव की आँख और कान होते हैं। आँगनवाड़ी कार्यकर्ता (ICDS), आशा कार्यकर्ता (NHM), शिक्षक (समग्र शिक्षा), और युवा स्वयंसेवक (NYKS/NSS), ये सभी रोज़ाना परिवारों, बच्चों और समुदाय के साथ जुड़े रहते हैं।

क्योंकि लोग इन पर भरोसा करते हैं और ये हमेशा मैदान में मौजूद रहते हैं, इसलिए ये गाँव के पानी को सुरक्षित रखने और व्यवस्था को कार्यशील बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

जब ये अपने नियमित काम में सुरक्षित पानी, स्वच्छता और जल संरक्षण के संदेश जोड़ते हैं, तो पूरा समुदाय लाभान्वित होता है।

यह स्वास्थ्य, शिक्षा और जल प्रबंधन, तीनों के बीच की दूरी को कम करता है।

7.3.1 फ्रंटलाइन कार्यकर्ता कैसे मदद कर सकते हैं

- **आँगनवाड़ी कार्यकर्ता (ICDS/WCD):**
  - i. माताओं और बच्चों को बताएँ कि पीने, पकाने और हाथ धोने के लिए साफ पानी कितना जरूरी है।
  - ii. सुनिश्चित करें कि पोषण/मिड-डे मील में उपयोग होने वाला पानी जाँचा हुआ और सुरक्षित हो।
  - iii. स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर मातृ समूहों के साथ "जल सुरक्षा सत्र" आयोजित करें।
- **आशा कार्यकर्ता (NHM):**
  - i. सुरक्षित पेयजल और स्वास्थ्य का संबंध समझाएँ, असुरक्षित (दूषित) पानी से दस्त, एनीमिया और अन्य रोग हो सकते हैं।
  - ii. लीकेज, दूषित पानी या आपूर्ति की समस्या दिखे तो तुरंत VWSC को बताएं।
  - iii. परिवारों को पीने का पानी सुरक्षित तरीके से रखने और बर्तनों की नियमित सफाई के लिए प्रेरित करें।
- **शिक्षक और स्कूल (शिक्षा विभाग):**
  - i. स्कूल सभा में जल संरक्षण, हाथ धोने और स्वच्छता पर छोटे संदेश/गतिविधियाँ करें।
  - ii. विज्ञान गतिविधियों में जल गुणवत्ता परीक्षण शामिल करें ताकि बच्चे अपने गाँव के पानी की गुणवत्ता समझें।
  - iii. बच्चों के "जल दूत/वॉटर मॉनिटर क्लब" बनें, जो नल, टंकी आदि देखकर समस्या होने पर पंचायत को बताए।
  - iv. जल उत्सव के दौरान चित्रकला, वाद-विवाद या कहानी-सुनाने/कहानी-लेखन जैसी प्रतियोगिताएँ आयोजित करें, ताकि जल हर व्यक्ति की चिंता और जिम्मेदारी बने।
- **युवा स्वयंसेवक कार्यकर्त्ता (NYKS/NSS):**
  - i. पाइपलाइन और टंकी के सरल नक्शे बनाना, PRA अभ्यास में मदद करना और समुदाय को जोड़ना।
  - ii. जल चौपाल, जल उत्सव और स्कूल जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोग।
  - iii. सोशल मीडिया, पोस्टर या गाँव के व्हाट्सऐप समूहों के माध्यम से जल संदेश फैलाना।
  - iv. इनकी भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि अगली पीढ़ी में भी स्वामित्व और जिम्मेदारी की संस्कृति बनी रहे।

7.3.2 उनकी भूमिका क्यों मायने रखती है

i. फ्रंटलाइन कार्यकर्ता हर घर से जुड़े होते हैं, नवजात देखभाल से लेकर स्कूल शिक्षा तक।

ii. अपने नियमित काम में जब वे सुरक्षित पानी और स्वच्छता की बातें जोड़ते हैं, तो समुदाय साफ पानी को बेहतर स्वास्थ्य, पोषण और सीखने से जोड़ पाता है।

iii. इनकी रोज़ की मौजूदगी से छोटी समस्याएँ जल्दी पकड़ी जाती हैं, संदेश सब तक पहुँचता है और लोगों में अपने पानी की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी बढ़ती है।

7.4 महिला नेतृत्व – जल व्यवस्था सुदृढ़ीकरण, समुदाय सशक्तिकरण

महिलाएँ पानी की पहली प्रबंधक होती हैं। वे पानी का महत्व सबसे बेहतर समझती हैं। पीढ़ियों से उन्होंने पानी लाया, रखा और घर में संभाला। वे हर स्रोत, हर मौसम और पानी की कमी के समय को जानती हैं। यही अनुभव उन्हें जल प्रबंधन में स्वाभाविक नेतृत्वकर्ता बनाता है।

जब महिलाएँ VWSC में नेतृत्व करती हैं या ऑपरेटर, जल परीक्षक (water tester) और रिकॉर्ड-कीपर की भूमिका निभाती हैं, तो व्यवस्था अधिक नियमित, साफ और बेहतर तरीके से संचालित होती है।

वे अनुशासन, देखभाल और सामूहिकता लाती हैं, जिससे नल सूखते नहीं और पानी सुरक्षित रहता है।

महिलाएँ निम्नलिखित भूमिकाओं में आगे आ सकती हैं:

- **जन-जागरूकता और जन-सहभागिता:** बैठकों/घर-भेंट/छोटे समूहों में जल संरक्षण, स्वच्छता और समय पर शुल्क भुगतान पर चर्चा।
- **नेतृत्व और निर्णय-निर्माण:** VWSC अध्यक्ष/सदस्य के रूप में योजना और दैनिक संचालन का मार्गदर्शन।
- **संचालन एवं रख-रखाव:** पम्प, वाल्व, पाइपलाइन का प्रबंधन और नल जल मित्र के काम की निगरानी।
- **जल गुणवत्ता निगरानी:** FTK से पानी जाँच और सुरक्षित पानी सुनिश्चित करना।
- **वित्तीय प्रबंधन:** VWSC खाते, आय-व्यय रिकॉर्ड और पारदर्शिता में सहयोग।

मध्य प्रदेश में जल सहेली, असम में जल मित्र, और झारखंड में जल सहिया जैसी पहलें इन स्थानीय जल नायिकाओं को पहचानने और सहयोग देने के लिए हैं।

वे सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, बल्कि परिवर्तन की सूत्रधार हैं, जो दिखाती हैं कि स्थानीय समझ और महिलाओं की भागीदारी से व्यवस्थाएँ अधिक भरोसेमंद बनती हैं।

7.5 पंचायत डैशबोर्ड के माध्यम से सशक्तीकरण

जल और स्वच्छता के लिए पंचायत डैशबोर्ड, जो e-Gram Swaraj पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है, ग्राम स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही और डेटा-आधारित शासन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इस डैशबोर्ड पर पंचायतें वास्तविक समय (real-time) में कई जानकारियाँ देख सकती हैं, जैसे जल स्रोतों की स्थिति, योजनाओं की कार्यशीलता, जल गुणवत्ता, घरेलू नल कनेक्शन, रख-रखाव गतिविधियाँ (नल जल मित्र की सहभागिता सहित) और गाँव-स्तर की प्रगति।

यह केवल पंचायत की निगरानी तक सीमित नहीं है; यह जन-भागीदारी भी बढ़ाता है। लोग अपने गाँव के जिम्मेदार व्यक्ति/ऑपरेटर की जानकारी, जलापूर्ति का समय, सेवा में रुकावट के अपडेट और शिकायतों की स्थिति देख सकते हैं। वे पोर्टल पर फीडबैक भी दे सकते हैं, ताकि नागरिकों की आवाज़ सुनी जाए और उस पर कार्रवाई हो।

स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध कराकर और नागरिकों को शासन में सक्रिय भागीदारी का अवसर देकर, पंचायत डैशबोर्ड पारदर्शिता, दक्षता और सततता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

7.6 जब समुदाय नेतृत्व करता है, तो व्यवस्था सबसे अच्छा काम करती है

जब समुदाय—महिलाएँ, युवा, स्वयं सहायता समूह (SHG) और फ्रंटलाइन कार्यकर्ता, एक साथ आते हैं, तो जलापूर्ति व्यवस्था अधिक सुचारु, भरोसेमंद और टिकाऊ बनती है। जितनी अधिक लोगों की भागीदारी होगी, बदलाव उतना ही स्थायी होगा।

समुदाय की भागीदारी कोई अतिरिक्त गतिविधि नहीं है; यह जल जीवन मिशन के तहत सततता का केंद्र-बिंदु है।

अध्याय 4

लोक जल उत्सव

08

लोक जल उत्सव

"जल, संस्कृति और सामूहिक जिम्मेदारी का जन-उत्सव"

8.1 जल उत्सव की परिकल्पना

सततता की सबसे मजबूत नींव समुदाय का स्वामित्व है। जलापूर्ति व्यवस्था को लंबे समय तक चलाए रखने के लिए केवल ढाँचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) बनाना पर्याप्त नहीं है, उसका संचालन, रख-रखाव और जिन जल-स्रोतों पर वह निर्भर है, उनकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। इसलिए अब ध्यान "केवल निर्माण" से आगे बढ़कर जन-भागीदारी, लोगों की सहभागिता और स्वामित्व पर केंद्रित हो गया है। इसी बदलाव को मजबूत करने के लिए जल उत्सव को तीन-स्तरीय जन-भागीदारी अभियान के रूप में परिकल्पना किया गया है, एक व्यवस्थित (structured) लेकिन लचीला (flexible) जन-आंदोलन, जो जल संपत्तियों की दीर्घकालिक सततता के लिए जागरूकता, गर्व और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देता है।

- **जल महोत्सव (राष्ट्रीय स्तर):** दो सप्ताह भर चलने वाला थीम-आधारित अभियान—जल संरक्षण, महिला नेतृत्व, O&M और स्रोत-सततता जैसे विषयों के साथ।
- **राज्य जल उत्सव / नदी उत्सव (राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तर):** नदी और संस्कृति आधारित राज्य-स्तरीय आयोजन—पर्यावरण, विरासत और जलापूर्ति व्यवस्था को जोड़ते हुए।
- **लोक जल उत्सव (ग्राम पंचायत/गाँव स्तर):** O&M, स्रोत-सुरक्षा और जल के सांस्कृतिक उत्सव के लिए साल भर चलने वाला लोगों का उत्सव।

जल उत्सव इस अभियान का सबसे जीवंत और सहभागितापूर्ण रूप है, जहाँ जल जीवन मिशन की भावना लोगों के अपने उत्सव में दिखाई देती है। स्थानीय संस्कृति में रचा-बसा यह उत्सव गाँव को जागरूकता, गर्व और सामूहिक संकल्प का केंद्र बनाता है—और जल को जीवन, आजीविका और धरोहर के रूप में मनाने की प्रेरणा देता है।

8.2 लोक जल उत्सव – O&M और स्रोत-सततता (Source Sustainability) के लिए लोगों का मंच

लोक जल उत्सव स्थानीय रीति-रिवाजों, परंपराओं और मौसम के चक्र से (seasonal rhythm) जुड़ा जल का जन-उत्सव है, जो हर गाँव के जल (पानी), ज़मीन (भूमि) और जन (लोग) से गहरे संबंध का उत्सव मनाता है।

यह उत्सव ग्राम पंचायत, VWSC/पानी समिति, SHG, युवा क्लब और पूरे समुदाय द्वारा वर्ष भर मनाया जा सकता है। इसमें स्थानीय अनुष्ठान, लोककथाएँ और सामाजिक मेल-मिलाप के साथ-साथ रख-रखाव और स्रोत-संरक्षण जैसी व्यावहारिक गतिविधियाँ भी जुड़ेंगी।

8.3 लोक जल उत्सव क्यों मनाएँ

लोक जल उत्सव गाँव के सांस्कृतिक कैलेंडर के अनुसार पूरे वर्ष आयोजित किया जा सकता है। यह भक्ति को कर्तव्य से जोड़ता है और सदियों पुराने जल-आचारों को देखभाल और स्वामित्व की जीवंत अभिव्यक्ति बनाता है। गीतों, अनुष्ठानों, गाँव की बैठकों और सामूहिक चिंतन के माध्यम से लोक जल उत्सव हर ग्राम पंचायत को यह याद दिलाता है कि जल केवल प्रबंधन का संसाधन नहीं, बल्कि साझी धरोहर है, जिसे मनाना भी है, बचाना भी है, और आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाना भी है।
"अनुष्ठान हमारे सम्मान को दिखाते हैं और रख-रखाव हमारी जिम्मेदारी को, लोक जल उत्सव दोनों को जोड़ता है।" यही जन-भागीदारी की भावना को मजबूत करता है।

लोक जल उत्सव के प्रमुख उद्देश्य:

- गाँव की संस्कृति और जल के संबंध का उत्सव मनाना - स्थानीय परंपराओं, अनुष्ठानों और लोक-ज्ञान को पुनर्जीवित करना।
- जल जीवन मिशन के लिए अनुकूल वातावरण बनाना - जल संपत्तियों की सततता बढ़ाकर और जल-स्रोतों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, समुदाय के स्वामित्व और सहभागिता के माध्यम से।
- समुदाय को जल-स्रोतों और जलापूर्ति संपत्तियों का सह-प्रबंधक बनाकर स्थानीय स्वामित्व मजबूत करना - **जन-भागीदारी** की भावना को सुदृढ़ करना।
- सांस्कृतिक गर्व और निरंतरता के माध्यम से नियमित O&M को और मजबूत करना।

8.4 स्थानीय अनुष्ठान और परंपराएँ – हर गाँव, अपना तरीका

हर राज्य और क्षेत्र में जल से जुड़ी अपनी अनूठी परंपराएँ हैं। लोक जल उत्सव के दौरान पंचायतों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे इन्हीं स्थानीय परंपराओं को अपने उत्सव में शामिल करें, ताकि आयोजन अर्थपूर्ण हो और गाँव की पहचान से जुड़ा रहे।

ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र के ऐसे स्थानीय पर्व/परंपराएँ पहचानें, जिनके साथ लोक जल उत्सव को जोड़ा जा सके। उदाहरण:

स्थानीय परंपरा	क्षेत्र	लोक जल उत्सव में कैसे जोड़ें
कुआँ पूजन/जल पूजन	राजस्थान, हरियाणा, यूपी	कुओं/टंकी के पास पूजन, फिर सफाई व मरम्मत अभियान
बोइत बंदाण	ओडिशा	समुदाय जलाशयों एवं अन्य जल-स्रोतों में दीपक और फूल अर्पित करता है तथा उन्हें स्वच्छ रखने की शपथ लेता है। बोइत बंदाण ओडिशा में हर वर्ष मनाया जाने वाला पारंपरिक समुद्री/नौवहन उत्सव है। इस नाम का अर्थ "(प्रतीकात्मक) नावें तैराकर दीप प्रज्वलित कर वंदना करना" के रूप में किया जा सकता है। परंपरा के अनुसार लोग सजाई गई छोटी-छोटी नावें बनाते हैं और उन्हें नदी में प्रवाहित करते हैं, यह उनके पूर्वजों की समुद्री यात्राओं की स्मृति और प्रतीकात्मक सम्मान-भेंट है।
छठ पूजा	बिहार, झारखंड, पूर्वी यूपी	पर्व से पहले घाट/जलस्रोत की सफाई व सुरक्षा
आड़ी पेरुक्कु	तमिलनाडु	टैंक/नहर के पास उत्सव + सुरक्षित जल पर जागरूकता
संगकेन	अरुणाचल, असम	युवाओं द्वारा नालों/धाराओं की सफाई + स्वच्छ जल छिड़काव
सरोवर सेवा	राजस्थान	तालाब गाद निकासी, फेंसिंग, कैचमेंट में पौधारोपण + लोकगीत
नर्मदा जयंती/नदी उत्सव	म.प्र., गुजरात	'स्रोत से नल तक' नदी-पैदल यात्रा और O&M बिंदुओं पर चर्चा

हर पंचायत और गाँव अपनी स्थानीय **"जल परंपरा"** पहचानकर, उसके बाद उसे **लोक जल उत्सव** के रूप में अपना सकता है।

8.5 लोक जल उत्सव का आयोजन कैसे करें

कब (When)

लोक जल उत्सव पूरे वर्ष मनाया जा सकता है, गाँव और पंचायत के स्थानीय पर्वों, परंपराओं और अनुष्ठानों के अनुरूप। इसे ऐसे अवसरों से जोड़ा जाए जो पहले से समुदाय के लिए अर्थपूर्ण हों, ताकि पानी उनकी परंपरा का स्वाभाविक हिस्सा बन जाए।

कौन आयोजित करेगा (Who Organizes)

आयोजन का नेतृत्व ग्राम पंचायत और VWSC/पानी समिति करेगी। SHG, स्कूल, युवा क्लब, आँगनवाड़ी केंद्र और सम्मानित बुजुर्ग सक्रिय रूप से भाग लेंगे। यह उत्सव पूरे गाँव का है, इसलिए हर किसी की भूमिका है।

8.5.1 लोक जल उत्सव – चरणबद्ध चेकलिस्ट

i) उत्सव से पहले: तैयारी

- **तारीख तय करें:** ऐसी तिथि तय करें जो स्थानीय परंपराओं/त्योहारों/ग्राम आयोजनों से स्वाभाविक रूप से जुड़ती हो।
- **साथ बैठकर योजना बनाएं:** ग्राम पंचायत, VWSC, SHG, स्कूल और युवा क्लब के साथ बैठक कर गतिविधियाँ तय करें।
- **साफ करें और जाँचें:** टंकी, पाइपलाइन और स्रोत की सफाई/जाँच कर लें कि सब ठीक चल रहा है।
- **सबको सूचना दें:** ग्राम सभा में घोषणा करें और सभी परिवारों, बुजुर्गों व फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करें।
- **सामग्री तैयार रखें:** जल व्यवस्था का मानचित्र, FTK किट, सांस्कृतिक सामग्री, बैनर और संकल्प-पत्र तैयार रखें।

ii) उत्सव के दौरान: उत्सव और जागरूकता

लोक जल उत्सव आनंद और आत्ममंथन, दोनों का समय है जहाँ गीत, अनुष्ठान और सामुदायिक गतिविधियाँ मिलकर गाँव की जल-धरोहर को बचाने का संकल्प बनाती हैं। कुछ सुझाई गई गतिविधियाँ:

- **जल बंधन:** टंकी/नल पर पवित्र धागा बाँधना, सुरक्षा और एकता का प्रतीक।
- **सांस्कृतिक कार्यक्रम:** लोकगीत, भजन, नाटक या स्थानीय जल-अनुष्ठान।
- **वॉटर वॉक (Know Your System):** गाँव में पानी की व्यवस्था (स्रोत, टंकी, पाइपलाइन, नल) दिखाते हुए पदयात्रा करें।
- **सामुदायिक शपथ:** पानी का विवेकपूर्ण उपयोग और व्यवस्था के रख-रखाव का संकल्प।
- **प्रदर्शनी:** नक्शे, फोटो और जल गुणवत्ता परिणाम प्रदर्शित करना।
- **बच्चों की भागीदारी:** चित्रकला, निबंध लेखन या क्विज।
- **सम्मान:** महिलाओं/युवाओं/समूहों को सम्मानित करना जिन्होंने जल प्रबंधन में योगदान दिया।

iii) उत्सव के बाद: फॉलो-अप और निरंतरता

- **परिणाम दर्ज करें:** आयोजन, उपस्थिति और प्रमुख निर्णय ग्राम सभा रजिस्टर में लिखें।
- **अगले कदम तय करें:** छोटी मरम्मत, सफाई अभियान या जागरूकता गतिविधियाँ चिन्हित करें।
- **कहानियाँ साझा करें:** पंचायत भवन/स्कूल की दीवारों पर पानी से सम्बंधित फोटो या संक्षिप्त लेख लगाएँ।
- **जीवंत रखें:** वार्षिक कैलेंडर में अगला लोक जल उत्सव/ग्राम-स्तरीय आयोजन पहले से तय करें।

8.6 अपेक्षित परिणाम

- गाँववासी अपनी जल व्यवस्था से भावनात्मक और सांस्कृतिक स्वामित्व के रूप में जुड़ते हैं।
- महिलाएँ और युवा स्थानीय O&M और जागरूकता में नेतृत्व लेते हैं।
- स्थानीय परंपराएँ और पर्व पर्यावरणीय मूल्य मजबूत करते हैं।
- ग्राम पंचायत जल संपत्तियों की सच्ची संरक्षक बनकर उभरती है।
- जल के प्रति गर्व, एकता और जिम्मेदारी पूरे वर्ष बनी रहती है।
- लोकगीत, लोककथाओं और स्थानीय कहानी-कथन में जल जीवन संदेशों का समावेश होकर संदेश पीढ़ियों तक पहुँचता है।

कुछ सुझाए गए प्रमुख कार्य और जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं:

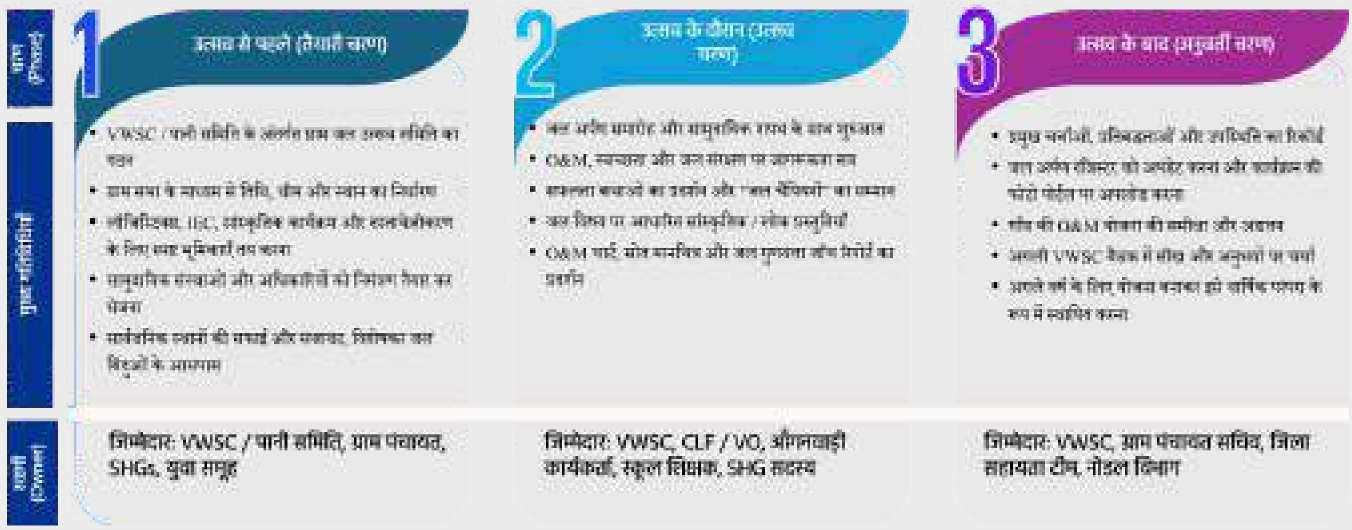

8.7 सामूहिक आत्मबोध के लिए समुदाय-नेतृत्व वाला जल प्रबंधन उपकरण (CLWM)

इस उपकरण का उद्देश्य समुदाय को एक साथ जोड़कर यह प्रक्रिया चलाना है: पहचानें, चिंतन करें, संकल्प लें, कार्रवाई करें और उत्सव मनाएँ

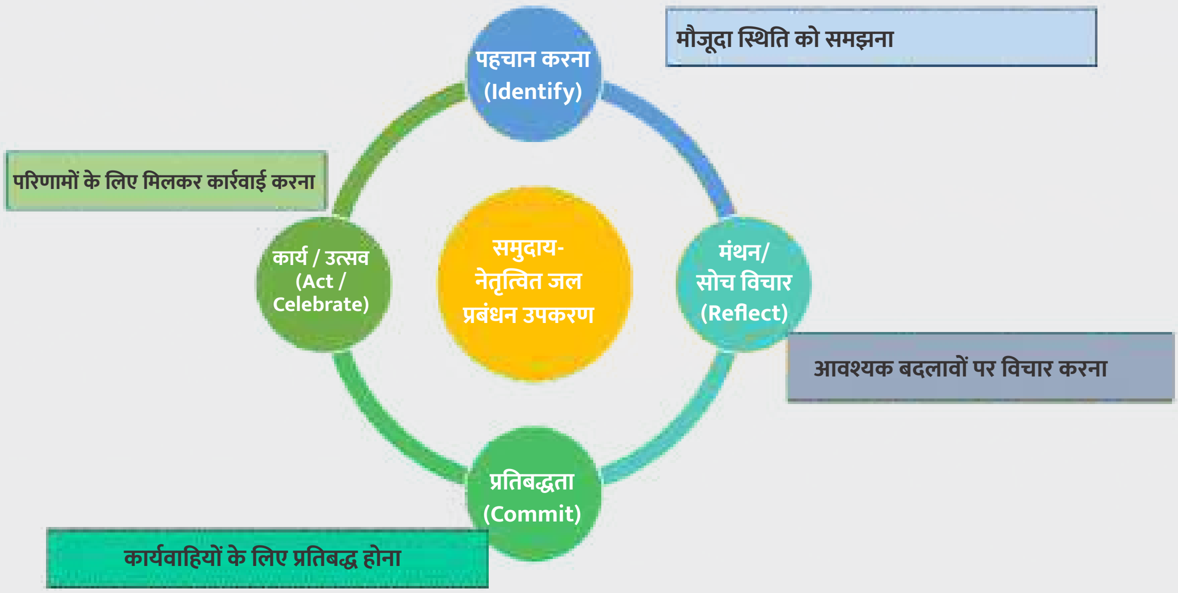

चित्र 13: समुदाय आधारित जल प्रबंधन टूल (CLWM) के सिद्धांत

इस सहभागी गतिविधि (CLWM tool) के तहत समुदाय एक तय स्थान पर VWSC के नेतृत्व में जमा होगा एवं सामूहिक चर्चा और प्रश्नोत्तर के माध्यम से समुदाय से मिलकर रंगोली/चित्र के रूप में गाँव का जल-मानचित्र बनाएगा, जिसमें बस्तियाँ, जल-स्रोत, पेयजल संपत्तियाँ आदि चिन्हित होंगी। इस चर्चा के माध्यम से समुदाय अपने पानी से सम्बंधित समस्याओं को चिन्हित करेंगे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सामूहिक निर्णय लेंगे.

चरण संख्या	चरण का नाम	फोकस	सेम्पल प्रश्न/आउटपुट
1	पहचानें	अपने जल संबंधी जानकारी	• गाँव के जल-स्रोत कौन से हैं? • पानी कहाँ से आता है? • स्वच्छता/उपलब्धता कौन सुनिश्चित करता है? • स्रोत प्रदूषण से सुरक्षित हैं? • हमारी स्थानीय जल परंपराएँ क्या हैं?
2.	चिंतन करें	हुए बदलाव को समझना	• पानी की उपलब्धता/गुणवत्ता में क्या बदलाव आए? • वर्षा पैटर्न बदला? • इसका असर जीवन पर कैसे? • कमी/दूषण के कारण क्या हैं? • स्रोत/व्यवस्था की रक्षा किसकी जिम्मेदारी है? • हम पहले से क्या कर रहे हैं?
3	संकल्प लें	कार्रवाई तय करना	• स्रोतों की सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं? • टंकी सफाई/लीकेज मरम्मत/जल परीक्षण की कैसी टीमें बन सकती हैं? • कौन से स्थानीय कार्यक्रमों में जल वंदना जुड़ सकती है? • GPDP में जल-संसाधन सुरक्षा कैसे जोड़ें? • रोज़मर्रा O&M कैसे बेहतर करें?
4	कार्रवाई व उत्सव	साथ मिलकर करना	• स्थानीय भाषा में जल वंदना तैयार करना • ग्राम जल उत्सव कैलेंडर (जल समृद्धि कैलेंडर) बनाना • GPDP में जल-कार्य शामिल करना

अध्याय 9

प्रभावी व सतत संचालन एवं रख-रखाव (O&M) के लिए वित्तीय प्रबंधन

09

प्रभावी व सतत संचालन एवं रख-रखाव (O&M) के लिए वित्तीय प्रबंधन

"साझा निवेश, साझा प्रबंधन: साझा सुरक्षा और सततता"

9.1 वित्तीय प्रबंधन शुरू करने से पहले, कुछ बुनियादी नियम

हर गाँव की ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC)/पानी समिति को ग्राम पंचायत के अंतर्गत औपचारिक/अधिसूचित होना जरूरी है। इससे समिति को गाँव की जलापूर्ति व्यवस्था के संचालन एवं रख-रखाव (O&M) के लिए वित्तीय प्रबंधन करने और आवश्यक निर्णय लेने का वैधानिक अधिकार मिलता है।

जैसा कि जल जीवन मिशन के ऑपरेशनल गाइडलाईन, में उल्लेख है, ग्राम पंचायत और/या उसकी उप-समिति (VWSC/पानी समिति/यूज़र ग्रुप आदि) 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की परिकल्पना के अनुरूप वैधानिक इकाई के रूप में कार्य करेगी, और राज्यों द्वारा पंचायती राज अधिनियम के तहत उपयुक्त अधिसूचना जारी की जानी चाहिए ताकि VWSC/पानी समिति पंचायत के भाग के रूप में वैध रूप से कार्य कर सके।

समिति बनने के बाद VWSC/पानी समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि:

- सभी आय और व्यय का पूरा और स्पष्ट रिकॉर्ड रखा जाए।
- लेखांकन रिकॉर्ड (इस अध्याय में आगे बताए गए अनुसार) नियमित रूप से बनाए रखें।
- ग्राम पंचायत और अन्य उपयुक्त प्राधिकरणों/विभागों को नियमित वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
- सभी वित्तीय लेन-देन केवल VWSC के आधिकारिक बैंक खाते से ही हों।
- उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दें।
- पारदर्शिता के लिए संयुक्त हस्ताक्षरकर्ताओं (joint signatories) के माध्यम से ही भुगतान/लेन-देन अधिकृत करें।
- रिकॉर्ड का समवर्ती लेखा-परीक्षण (concurrent audit) सुनिश्चित करें।

इन नियमों का पालन करने से VWSC यह सुनिश्चित कर पाती है कि हर रुपया समझदारी से खर्च हो और सभी लेन-देन पारदर्शी रहें।

9.2 O&M के लिए वार्षिक बजट बनाना

जलापूर्ति योजना को सुचारु और सतत रूप से चलाने के लिए बिजली बिल, ऑपरेटर का मानदेय/वेतन, मरम्मत, टंकी की सफाई,

[3] पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय (2019). जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु परिचालन दिशानिर्देश। भारत सरकार।. *https://jaljeevanmission.gov.in/sites/default/files/guideline/JJM_Operational_Guidelines.pdf*

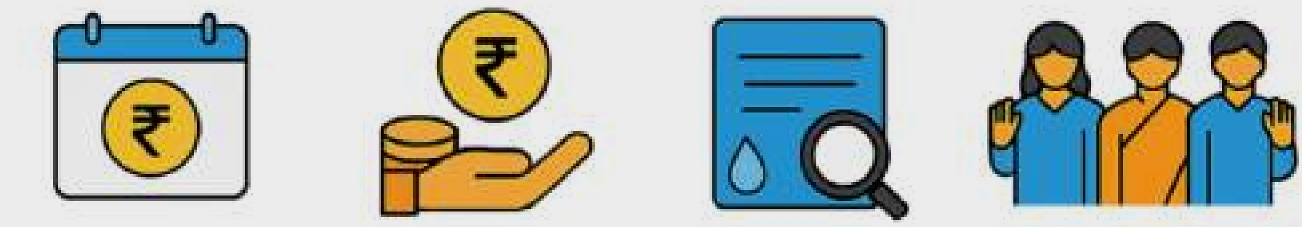

चित्र 14: वित्तीय प्रबंधन के प्रमुख घटक

(जहाँ लागू हो) बल्क पानी शुल्क, आदि पर खर्च होता है। यदि इन खर्चों की योजना पहले से न बने, तो योजना के संचालन पर असर पड़ सकता है।

इसलिए हर VWSC/पानी समिति को जलापूर्ति योजना के O&M के लिए हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में वार्षिक बजट बनाना चाहिए। यह बजट समिति को कुल खर्च, संभावित आय और धन के सही उपयोग का अनुमान लगाने में मदद करेगा।

9.2.1 बजट बनाने के चरण

- **पीछे देखें:** पिछले साल का हिसाब देखें, बिजली, मरम्मत और वेतन/मानदेय जैसे अलग-अलग मदों में कितना खर्च हुआ
- **आगे की जरूरत तय करें:** इस साल क्या जरूरत होगी, जैसे नए पार्ट्स, बिजली की बढ़ी दर, अतिरिक्त रख-रखाव इत्यादि।
- **सभी खर्च शामिल करें, जैसे:**
  - i. पंप चलाने के लिए बिजली का बिल।
  - ii. मरम्मत और रख-रखाव (पाइप, मोटर/पंप, वाल्व आदि)।
  - iii. ऑपरेटर/नल जल मित्र और सहायक का वेतन/मानदेय।
  - iv. पानी की शुद्धि/उपचार के लिए रसायन और क्लोरीन।
  - v. जहाँ लागू हो, बल्क पानी शुल्क (थोक जल शुल्क)।
  - vi. रिकॉर्ड-रखरखाव और जागरूकता गतिविधियाँ
- **प्राथमिकता तय करें:** कौन-से खर्च हर महीने जरूरी हैं, और कौन-से अर्धवार्षिक/वार्षिक किए जा सकते हैं।
- **अनुमोदन और दर्ज:** बजट ड्राफ्ट को VWSC बैठक में चर्चा कर ग्राम पंचायत बैठक में अनुमोदित कराएँ, ताकि सभी को पता रहे पैसा कहाँ खर्च होगा।

नोट: वार्षिक बजट का एक नमूना प्रारूप **संलग्नक-6** में दिया है।

9.3 वित्तीय रिकॉर्ड रखना – गाँव की लेखा-प्रणाली

पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए VWSC/पानी समिति को सही लेखा रिकॉर्ड रखना जरूरी है। इससे आय-व्यय का हिसाब साफ रहता है और समुदाय का भरोसा बढ़ता है। नीचे दी गई प्रमुख किताबें/रजिस्टर नियमित रूप से बनाए रखें:

रजिस्टर/बुक का नाम	इसमें क्या दर्ज होता है / यह क्यों महत्वपूर्ण है	कितनी बार अद्यतन करें (अपडेट की आवृत्ति)
कैश बुक/बैंक बुक	प्राप्त और भुगतान की गई सभी राशि का रिकॉर्ड	**दैनिक**
बैंक पासबुक	बैंक खाते से मिलान के लिए	**जब भी बैंक में प्रविष्टि हो**
रसीद रजिस्टर	सभी आय (उपयोगकर्ता शुल्क, अनुदान, दान)	**दैनिक**
भुगतान रजिस्टर	सभी खर्च (O&M/मरम्मत/कार्य)	**दैनिक**

रजिस्टर/बुक का नाम	इसमें क्या दर्ज होता है / यह क्यों महत्वपूर्ण है	कितनी बार अद्यतन करें (अपडेट की आवृत्ति)
स्टॉक रजिस्टर	सामग्री/स्पेयर/रसायन	मासिक
एसेट/संपत्ति रजिस्टर	टंकी, पंप, पाइपलाइन आदि	साल में एक बार अद्यतन (update) करें

9.4 लेखांकन प्रारूप

VWSC/पानी समिति को वित्तीय रिकॉर्ड निम्न सुझाए गए प्रारूपों में रखने चाहिए:

क) कैश बुक प्रारूप

Date	Voucher No.	Particulars	Receipts (A)	Total Expenditure (B)	Electricity Charges	Salary/Fixed exp	Consumables	Repairs & Maintenance	Water Quality Monitoring	Administrative Expenses	Other Expenses	Balance (A-B)
तारीख	वाउचर संख्या	विवरण	प्राप्तियाँ (A)	कुल व्यय (B)	बिजली शुल्क	वेतन/नियत व्यय	उपभोग्य सामग्री	मरम्मत एवं रख-रखाव	जल गुणवत्ता निगरानी/जाँच	प्रशासनिक व्यय	अन्य व्यय	शेष (A–B)
Monthly Total/ मासिक कुल												

ख) बैंक बुक प्रारूप

Date	V. No./ Cheque No.	Particulars	Receipts (A)	Total Expenditure (B)	Electricity Charges	Salary/Fixed exp	Consumables	Repairs & Maintenance	Water Quality Monitoring	Administrative Expenses	Other Expenses	Balance (A-B)
तारीख	वाउचर संख्या	विवरण	प्राप्तियाँ (A)	कुल व्यय (B)	बिजली शुल्क	वेतन/नियत व्यय	उपभोग्य सामग्री	मरम्मत एवं रख-रखाव	जल गुणवत्ता निगरानी/जाँच	प्रशासनिक व्यय	अन्य व्यय	शेष (A–B)
Monthly Total/ मासिक कुल												

ग) उपयोगकर्ता शुल्क रसीद रजिस्टर प्रारूप

Date	Beneficiary Name	Receipt No.	Amount (₹)	Mode	Deposited to Bank (Y/N)	Remarks
तारीख	लाभार्थी का नाम	रसीद संख्या	राशि (₹)	भुगतान का माध्यम	बैंक में जमा (हाँ/नहीं)	टिप्पणी/विवरण

घ) भुगतान रजिस्टर प्रारूप

Date	Voucher/ Cheque No.	Particulars/ Expenditure head	Invoice no.	Amount	Mode	Paid To	Remarks
तारीख	वाउचर/चेक संख्या	विवरण/व्यय मद	इनवॉइस संख्या	राशि (₹)	भुगतान का माध्यम	किसे भुगतान किया	टिप्पणी/ विवरण

ङ) स्टॉक रजिस्टर प्रारूप

Date	Item	Quantity Received	Quantity Issued	Balance	Purpose	Issued To	Remarks
तारीख	वस्तु/सामग्री	प्राप्त मात्रा	जारी की गई मात्रा	शेष मात्रा	उद्देश्य/प्रयोग	किसे जारी किया	टिप्पणी/ विवरण

च) एसेट/संपत्ति रजिस्टर प्रारूप

S. No.	Description of Asset	Quantity	Date of Purchase	Cost (₹)	Location	Condition	Remarks
क्रम संख्या	संपत्ति का विवरण	मात्रा/संख्या	खरीद की तिथि	लागत (₹)	स्थान	स्थिति	टिप्पणी/विवरण

9.5 वित्तीय रिकॉर्ड-रखरखाव और भुगतान/व्यय के लिए महत्वपूर्ण बातें

(क) वित्तीय रिकॉर्ड रखरखाव

छ) हाथ में कम से कम नकद रखें; जरूरत पर बैंक से निकालें।

ज) कैश बुक उसी दिन अपडेट करें।

झ) हाथ का नकद हमेशा कैश बुक के बैलेंस से मेल खाए।

ञ) बैंक पासबुक/स्टेटमेंट नियमित अपडेट हो; ग्राम प्रधान/सक्षम व्यक्ति समय-समय पर जाँच करें।

ट) हर चेक पर कम से कम दो अधिकृत हस्ताक्षर हों।

ठ) चेक बुक सुरक्षित रखें।

ड) भुगतान के समय चेक नंबर बैंक रजिस्टर में लिखें।

ढ) प्राप्त नकद/चेक/DD उसी दिन या अगले कार्य-दिवस में बैंक में जमा करें।

ण) सुविधा के लिए संयुक्त कैश/बैंक बुक का उपयोग किया जा सकता है।

(ख) भुगतान/व्यय

- भुगतान से पहले हर बिल ध्यान से जाँचें।
- हर बिल को वाउचर नंबर दें और कैश बुक में दर्ज करें।
- बिल के साथ प्रमाण (रसीद/अनुमोदन पत्र/खरीद पर्ची) संलग्न करें।
- भुगतान के बाद बिल पर "PAID" लिखें, चेक नंबर और तारीख भी लिखें।
- उचित अनुमोदन के बाद ही पैसा खर्च करें।
- हर खर्च का उद्देश्य साफ लिखें—पैसा किस काम/गतिविधि में लगा।

9.6 आय के स्रोत और व्यय मद

क) आय के स्रोत (Receipts)

स्रोत	विवरण	संग्रह विधि	कितनी बार
मासिक उपयोगकर्ता शुल्क	उपभोग के आधार पर घरेलू शुल्क या निश्चित (फ्लैट) दर	VWSC ऑपरेटर / कोषाध्यक्ष द्वारा संग्रह	मासिक
ग्राम पंचायत से प्राप्ति/अनुदान	ग्राम पंचायत से प्राप्ति/अनुदान	बैंक ट्रांसफर	त्रैमासिक
अन्य प्राप्तियाँ/दान	व्यक्तियों से प्राप्त योगदान	बैंक ट्रांसफर	जैसा प्राप्त हो
बैंक जमा पर ब्याज	बचत या सावधि जमा (एफ़डी) से होने वाली आय	ऑटो-क्रेडिट	त्रैमासिक
अन्य आय	स्क्रैप बिक्री, जुर्माना आदि	नकद / बैंक के माध्यम से	जैसा प्राप्त हो

ख) व्यय (O&M Cost Heads)

मद	व्यय का स्वरूप	कितनी अवधि में
बिजली शुल्क	पम्पिंग संचालन के लिए मासिक बिल	मासिक
कर्मचारी भुगतान	ऑपरेटर/सहायक/परीक्षण में लगी प्रशिक्षित महिलाएँ आदि	मासिक
मरम्मत और रख-रखाव	स्पेयर, मोटर रिवाइंडिंग, लीकेज मरम्मत	आवश्यकतानुसार
रसायन/उपभोग्य सामग्री	क्लोरीन, फिटकरी, लुब्रिकेंट	मासिक
जल गुणवत्ता परीक्षण	किट/लैब फीस	त्रैमासिक
प्रशासनिक खर्च	रिकॉर्ड संधारण, स्टेशनरी, बैठक	त्रैमासिक
विविध	आकस्मिक खर्च	आवश्यकतानुसार
कॉन्टिजेंसी/रिज़र्व फंड	भविष्य के प्रतिस्थापन हेतु बचत	वार्षिक

9.7 खातों की जाँच (Audit of Accounts)

लेखा विवरणों का समवर्ती/ एक साथ लेखा-परीक्षण नियमित रूप से किया जाना चाहिए। इसके लिए स्थानीय स्तर पर सेवानिवृत्त लेखा/ऑडिट अधिकारियों की सहायता ली जा सकती है। वे रसीद एवं भुगतान लेखा तैयार करने में मार्गदर्शन देंगे और प्रमाणित दस्तावेज़ भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

अध्याय 10

पेयजल सेवा आंकलन

10

पेयजल सेवा आंकलन

"बेहतर जल सेवा-प्रदाय के लिए समुदाय द्वारा आत्म-मूल्यांकन"

10.1 जल सेवा आंकलन क्या है?

जल सेवा आंकलन का अर्थ है, यह जाँचना कि हमारे गाँव में जल सेवा कितनी अच्छी और नियमित चल रही है। यह VWSC/पानी समिति द्वारा योजना की कार्यशीलता (Functionality) का आकलन करने का पहला कदम है।

हर महीने गाँव को अपनी पाइप जलापूर्ति योजना की कार्यशीलता की जाँच करनी चाहिए, यानी यह देखना चाहिए कि सिस्टम कितना अच्छा और नियमित चल रहा है।हर माह गाँव को अपनी पाइप जलापूर्ति व्यवस्था की जाँच करनी चाहिए, जैसे:

- क्या पेय जल योजना चल रही है और नियमित रूप से पर्याप्त पानी दे रही है?
- क्या लाभार्थी/परिवार सेवा से संतुष्ट हैं?
- शिकायतें कैसे दर्ज होती हैं और कितनी जल्दी समाधान होता है?
- क्या उपयोगकर्ता शुल्क नियमित रूप से वसूला जा रहा है?

VWSC/पानी समिति को जल सेवा आंकलन के निष्कर्ष हर महीने ग्राम पंचायत को साझा करने हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर ग्राम पंचायत को समय पर सुधारात्मक कदम लेने हैं ताकि योजना लगातार कार्यशील बनी रहे। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत को हर तिमाही (तीन महीने में एक बार) इन निष्कर्षों का समेकित सार ग्राम सभा में प्रस्तुत करना है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और समुदाय की भागीदारी बढ़े।

इसके अंतर्गत, नल की कार्यशीलता, किए गए सुधार/मरम्मत, DTU को भेजे गए तकनीकी अनुरोध, उपयोगकर्ता शुल्क वसूली की स्थिति, डिसइन्फेक्शन/क्लोरीनेशन तथा जल-गुणवत्ता परीक्षण के परिणाम जैसे प्रमुख संकेतकों (Indicators) का उपयोग GP-डैशबोर्ड में प्रविष्टि (एंट्री) के लिए किया जाएगा। ये इनपुट आगे DWSM स्तर के इंटरैक्टिव डैशबोर्ड तक जाएंगे।

जिले की सभी ग्राम पंचायतों से प्राप्त परिणाम मिलकर जिले में जल-सेवा प्रदर्शन की समग्र स्थिति दर्शाएंगे। इन निष्कर्षों के आधार पर DWSM आवश्यक सुधारात्मक/अनुवर्ती कार्रवाई करेगा तथा इसके उपरांत वार्षिक कार्यशीलता आकलन रिपोर्ट तैयार कर जारी की जाएगी।

10.2 जल सेवा आंकलन क्यों जरूरी है?

जब गाँव में नल से पानी आना शुरू होता है, तो काम खत्म नहीं होता, वहीं से असली देखभाल शुरू होती है। हर परिवार को रोज़ साफ़ एवं सुरक्षित पानी मिलता रहे, इसके लिए पेय जल प्रणाली एवं व्यवस्था की नियमित जाँच जरूरी है।

जल सेवा आंकलन ग्राम पंचायत और VWSC/पानी समिति के लिए एक सरल एवं व्यावहारिक तरीका है, जिससे वे यह समझ सकें कि गाँव में जलापूर्ति कितनी नियमित और प्रभावी ढंग से चल रही है। इससे निम्नलिखित लाभ होते हैं—

- छोटी-छोटी समस्याएँ बड़ी बनने से पहले पहचान में आ जाती हैं।
- उपयोगकर्ता, ऑपरेटर और पंचायत—सभी सतर्क और उत्तरदायी बने रहते हैं।
- नागरिक-केंद्रित सेवा-प्रदाय में निरंतर सुधार संभव होता है।
- यह स्पष्ट होता है कि संचालन एवं रख-रखाव (O&M) कितना प्रभावी ढंग से हो रहा है।

यह अभ्यास जल जीवन मिशन की व्यापक सोच के अनुसार ग्रामीण पाइप जलापूर्ति के O&M की प्रभावशीलता का संकेत देता है।

10.3 जल सेवा आंकलन कैसे किया जाता है?

जल सेवा आंकलन गाँव की जल व्यवस्था का नियमित "चेक-अप" है। हर तीन महीने VWSC/पानी समिति स्व-आकलन करेगी कि व्यवस्था कितनी अच्छी चल रही है। साल में एक बार ग्राम पंचायत इन निष्कर्षों को ग्राम सभा में रखेगी, ताकि हर गाँववासी जान सके-

- क्या अच्छा चल रहा है
- क्या समस्याएँ हैं
- क्या सुधार जरूरी है

यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि पूरी व्यवस्था पारदर्शी, जवाबदेह और ग्राम समुदाय की सहभागिता पर आधारित रहे।

10.4 किस-किस बात की जाँच करें: मुख्य बिंदु

हर गाँव कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा करेगा, ताकि यह पता चल सके कि जलापूर्ति योजना व व्यवस्था का संचालन एवं रख-रखाव कितना सही ढंग से हो रहा है। यह जाँचें यह पहचानने में मदद करती हैं कि क्या अच्छा चल रहा है और कहाँ सुधार/मरम्मत की आवश्यकता है।

समीक्षा के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं (नीचे दी गई तालिका देखें):

- **जलापूर्ति की नियमितता:** क्या पानी नियमित रूप से आ रहा है?
- **पर्याप्तता:** क्या लाभार्थियों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है?
- **जल गुणवत्ता:** क्या पानी पीने के लिए सुरक्षित है?
- **जिम्मेदार नागरिक और संवेदनशील/उत्तरदायी प्रशासन:** उपयोगकर्ता शुल्क वसूली, नागरिक फीडबैक, शिकायत निवारण आदि में जन-भागीदारी की स्थिति।
- **शासन एवं/या तकनीकी मुद्दे:** ग्राम पंचायत, DTU और DWSM के साथ समन्वय/संवाद की स्थिति।

तालिका: समीक्षा के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

	मापदंड/Parameter	उत्तर/Response		मान (value) भरें (जहाँ लागू हो)	निवारण रणनीति/ Mitigation Strategy
1	क्या पिछले महीने निर्धारित समय के अनुसार नियमित नल जल आपूर्ति हुई?	✓	✗	-	-
2	आपूर्ति बाधित होने के दिनों की संख्या	-	-	कितने दिनों के लिए ?	-
3	आपूर्ति बाधित होने के कारण	-	-	कारणों की सूची i) ii)	-
4	क्या व्यवधान के लिए VWSC/पानी समिति/ऑपरेटर जिम्मेदार था/थी? यदि कोई अन्य कारण हो, तो उल्लेख करें।	✓	✗	-	-
5	क्या VWSC व्यवधान का प्रबंधन/निवारण करने में सक्षम है?	✓	✗	-	-
5a	यदि नहीं, तो क्या DTU/ DWSM से सहायता मांगी गई?	✓	✗	-	-

	मानक/Parameter	उत्तर/Response		मान (value) भरें (जहाँ लागू हो)	निवारण रणनीति/ Mitigation Strategy
	स्व-मूल्यांकन जाँच-सूची: विषय II – पर्याप्तता				
6	क्या लाभार्थियों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है?	✓	✗	-	-
7	क्या टेल-एंड (अंतिम छोर) पर दबाव/प्रेशर को लेकर शिकायतें हैं?	✓	✗	-	-
7a	कम दबाव/प्रेशर के कारण	-	-	कारणों की सूची I	
8	क्या कम जल-दबाव को दूर करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की गई है?	✓	✗	किए गए कार्यों की सूची i.	स्थानीय रूप से/DTU सहयोग से समाधान करें।
	स्व-मूल्यांकन जाँच-सूची: विषय III – जल गुणवत्ता				
9	क्या FTK टेस्ट निर्धारित प्रोटोकॉल और समय के अनुसार हुआ?	✓	✗	यदि नहीं किया गया हो, तो कारण लिखें	-
10	क्या पिछले माह सेम्पल असफल (फेल) होने की कोई घटना/मामला हुआ?	✓	✗	यदि हाँ, तो ऐसे मामलों का विवरण दर्ज करें.	समस्याओं के समाधान हेतु DTU से मार्गदर्शन लें।
11	क्या नमूना असफल (फेल) होने के मामलों में सुधारात्मक कर्यवाई/उपाय किए गए?	✓	✗	सेम्पल असफल (फेल) होने के मामलों हेतु किए गए उपाय लिखें।	-
12	क्या जल गुणवत्ता संबंधी कोई नागरिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं?	✓	✗	शिकायतों की संख्या व प्रकार दर्ज करें।	-
13	क्या ग्राम RPWSS में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार क्लोरीनीकरण/विसंक्रमण किया गया है?	✓	✗	यदि नहीं किया गया हो, तो कारण लिखें।	आपूर्ति में कमी होने पर DTU से सहायता लें।
	स्व-मूल्यांकन जाँच-सूची: विषय IV – जिम्मेदार नागरिक एवं उत्तरदायी शासन				
14	क्या लाभार्थी उपयोगकर्ता शुल्क (यूज़र चार्ज) का भुगतान कर रहे हैं?	✓	✗	जारी किए गए बिलों की राशि तथा जिनके बिल बने हैं, उनमें से वसूली (कलेक्शन) का प्रतिशत दर्ज करें।	समय पर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करें।
15	क्या लाभार्थियों द्वारा ग्रे-वॉटर (अपशिष्ट जल) प्रबंधन किया जा रहा है?	✓	✗	ग्रे-वॉटर प्रबंधन हेतु कदम उठाने वाले HHs (%) दर्ज करें।	DTU से तकनीकी सहयोग लें
16	क्या लाभार्थी नल जल का उपयोग पीने एवं खाना पकाने के अलावा अन्य कार्यों के लिए कर रहे हैं?	✓	✗	यदि हाँ, तो अन्य उपयोग/उद्देश्य दर्ज करें।	मांग प्रबंधन हेतु लाभार्थियों का ओरिएंटेशन करें।
17	क्या स्रोत सततता हेतु प्रयास किए गए हैं, जैसे बोरवेल आदि का रिचार्ज?	✓	✗	-	DTU से परामर्श कर रिचार्ज कार्यों की योजना बनाएं।

	मानदंड/Parameter	उत्तर/Response		मान (value) भरें (जहाँ लागू हो)	निवारण रणनीति/ Mitigation Strategy
स्व-मूल्यांकन जाँच-सूची: विषय V - शासन एवं/या तकनीकी मुद्दे					
18	Whether any issue related to PWS has been raised with DTU/DWSM/GP?	✅	❌	PWS हेतु समस्याओं/आवश्यक सहायता की संख्या एवं प्रकृति दर्ज करें।	GP/DTU/DWSM के साथ फॉलो-अप करें।
19	क्या उठाए गए मुद्दों/समस्याओं का समाधान हो गया है?	✅	❌	जो समस्याएँ हल नहीं हुई हैं, उनकी संख्या और प्रकार दर्ज करें।	-
20	क्या कोई शासन संबंधी मुद्दा अब भी अनसुलझा है?	✅	❌	अनसुलझी/लंबित समस्याओं की संख्या एवं प्रकार दर्ज करें।	-
21	क्या प्रशिक्षित बहु-कौशल मानव संसाधन (HR) उपलब्ध है?	✅	❌	-	DTU की सहायता से प्रशिक्षण दें या नियुक्ति करें।
22	DTU/PHED को भेजी गई तकनीकी बाधाओं का लंबित स्थिति	-	-	कितने दिनों से लंबित है (दिनों की संख्या)	समग्र रूप से लाभार्थियों पर PWS सेवाओं के प्रभाव की प्रकृति का आकलन करें तथा GP/MLA आदि के माध्यम से DTU/PHED के साथ फॉलो-अप को एस्केलेट करें।

10.4.1 निष्कर्षों का उपयोग कैसे करें?

जल सेवा आंकलन पूरा होने के बाद:

1. **गाँव की बैठक में चर्चा करें:** VWSC/पानी समिति को जल आंकलन के परिणाम को गाँववासियों के साथ साझा करने चाहिए। जिन बिंदुओं में सुधार की जरूरत है, जैसे उपयोगकर्ता शुल्क वसूली कम होना, जल परीक्षण में देरी के कारण, या लीकेज/रिसाव—उन पर खुलकर चर्चा करें।

2. **छोटे सुधार तुरंत करें:** स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके छोटी समस्याओं का शीघ्र समाधान करें, प्रक्रियाओं में आवश्यक सुधार करें, और व्यापक संवेदीकरण/जागरूकता के माध्यम से लाभार्थियों में व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करें।

3. **सबके साथ साझा करें:** ग्राम पंचायत को जल आंकलन के निष्कर्ष ग्राम सभा में प्रस्तुत करने चाहिए, ताकि सभी को पता रहे कि पेय जल प्रणाली एवं व्यवस्था कैसे चल रही है। इससे प्रक्रिया पारदर्शी रहती है और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

4. **रिकॉर्ड सुरक्षित रखें:** भरा हुआ प्रपत्र/फॉर्म पंचायत कार्यालय में सुरक्षित रखें। इससे प्रगति पर नज़र रखना आसान होता है और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

5. **GP-डैशबोर्ड में एंट्री करें:** नल की कार्यशीलता, किए गए सुधारात्मक मरम्मत कार्य, जिला तकनीकी इकाई (DTU) को भेजे गए तकनीकी अनुरोध, उपयोगकर्ता शुल्क वसूली की दक्षता, डिसइन्फेक्शन/क्लोरीनेशन गतिविधियाँ तथा जल-गुणवत्ता परीक्षण के परिणाम जैसे प्रमुख संकेतकों को GP-स्तरीय डैशबोर्ड में इनपुट के रूप में दर्ज किया जाए। ये इनपुट आगे जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) स्तर के इंटरैक्टिव डैशबोर्ड में जाएंगे, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

10.5 जल सेवा आंकलन - आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम

सरकारी योजनाएँ जन-आंदोलन बनती हैं, जहाँ गाँववासी केवल उपयोगकर्ता नहीं, बल्कि अपने जल-तंत्र के रक्षक बनते हैं। जल सेवा आंकलन अंकों या नंबरों का विषय नहीं है। इसका उद्देश्य हर गाँव में आत्मविश्वास, जागरूकता और स्वामित्व की भावना को मजबूत करना है। जब समुदाय अपनी व्यवस्था की स्वयं जाँच करता है, तो वह उसे बेहतर ढंग से संचालित और संभालना सीखता है। इससे सरकारी योजनाएँ जन-आंदोलन बनती हैं, जहाँ गाँववासी केवल उपयोगकर्ता नहीं, बल्कि अपनी जलापूर्ति व्यवस्था के रक्षक और संरक्षक बन जाते हैं।

संदर्भ

1. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय (2020). ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायत एवं VWSC के लिए मार्गदर्शिका। भारत सरकार।

   https://jaljeevanmission.gov.in/sites/default/files/guideline/Margdarshika_for_Gram_Panchayat_and_Paani_Samiti.pdf

2. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय (2025). ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं (JJM) के लिए कमीशनिंग प्रोटोकॉल।

3. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय (2019). जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु परिचालन दिशानिर्देश। भारत सरकार।

   https://jaljeevanmission.gov.in/sites/default/files/guideline/JJM_Operational_Guidelines.pdf

संलग्नक

संलग्नक 1
योजनाओं के विभिन्न स्वरुप

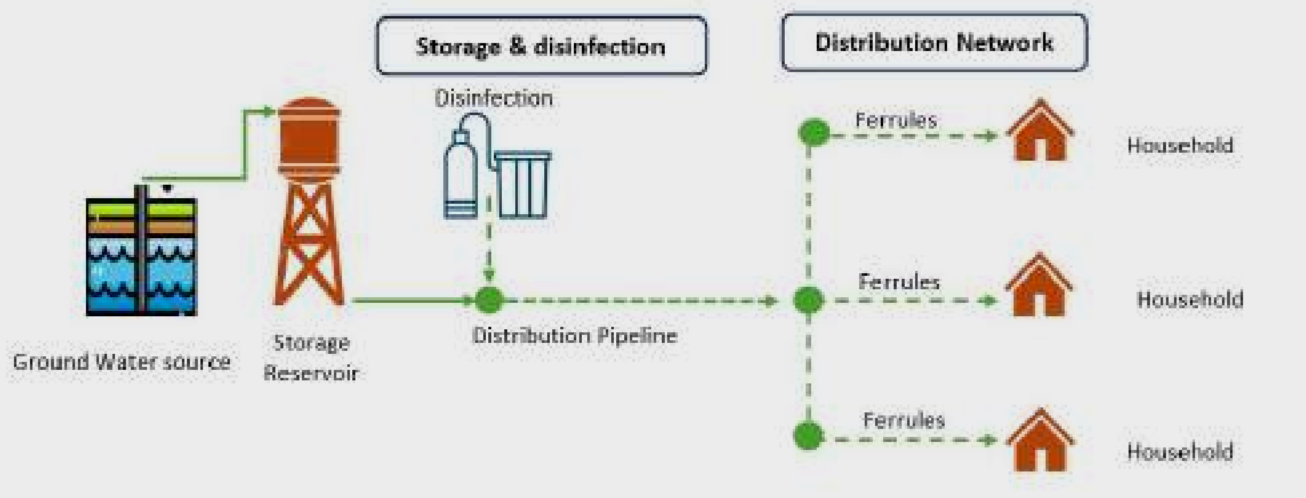

चित्र 15: एकल बस्ती योजना

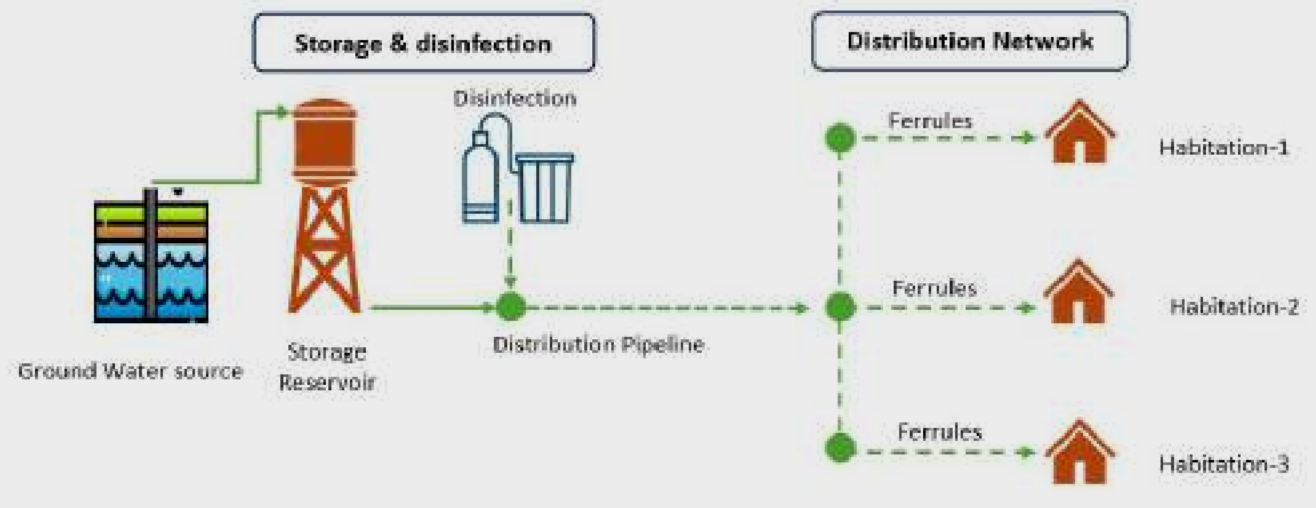

चित्र 16: एक से अधिक बस्तियों वाली एकल ग्राम योजना

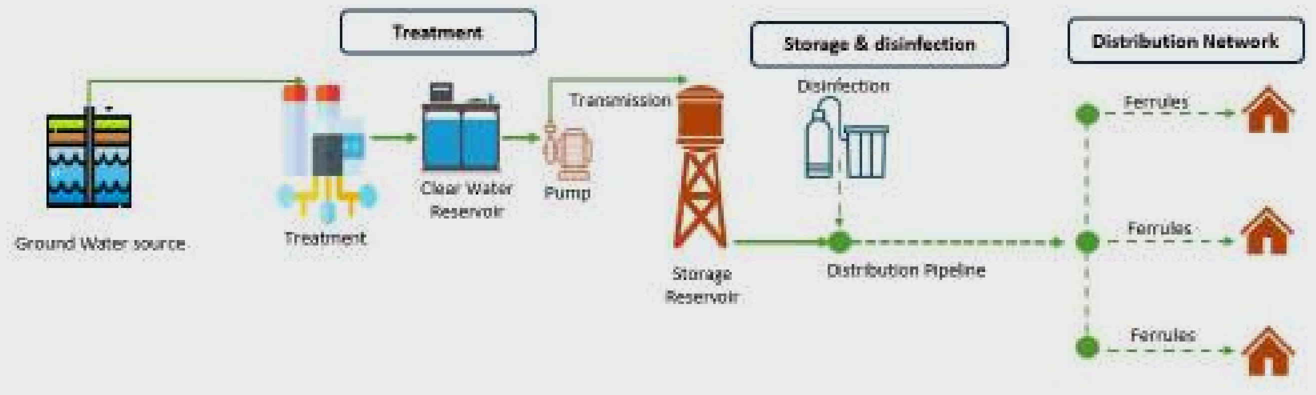

चित्र 17: शोधन इकाई (ट्रीटमेंट यूनिट) सहित एकल ग्राम योजना

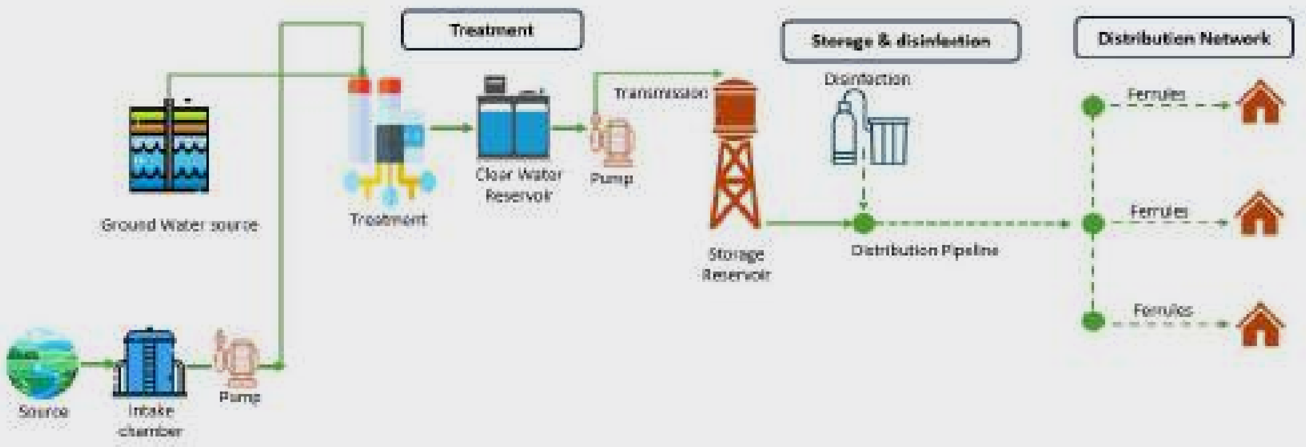

चित्र 18: जलापूर्ति योजना जो स्थानीय रुप से उपलब्ध स्रोतों तथा दूरस्थ स्रोतों से लाए गए जल पर निर्भर करती है, जो प्रायः गाँव के बाहर स्थित होते हैं

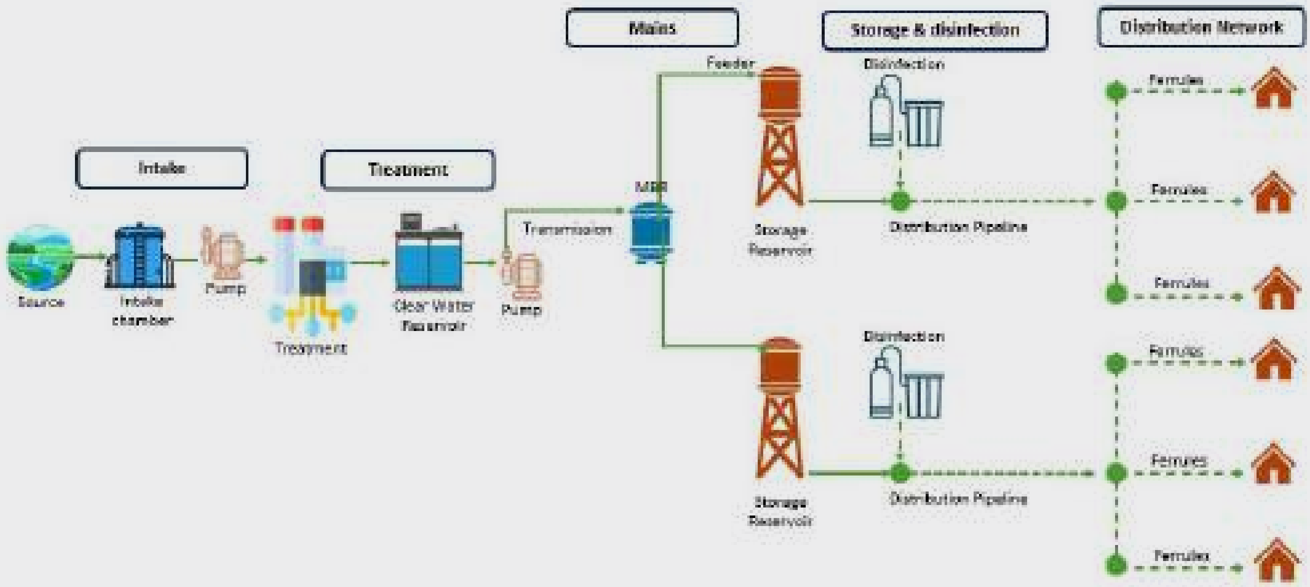

चित्र 19: सामान्य बहु-ग्राम योजना के माध्यम से जलापूर्ति, जो स्थानीय ग्राम स्रोतों पर अधिक निर्भर नहीं होती

चित्र 20: गाँव के भीतर जलापूर्ति योजनाओं में प्रयुक्त सामान्य परिसंपत्ति (एसेट) के प्रकार

संलग्नक 2
दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक गतिविधियाँ

स्थानीय स्रोत पर ग्राम-आधारित जलापूर्ति योजना के लिए जाँच सूची (समग्र)

जिला: .... **ब्लॉक:** .... **ग्रा.प.:** .... **गाँव:** ....

योजना का नाम: ....

क्र.सं.	गतिविधि का विवरण	स्वामित्व			आवृत्ति
		पंप ऑपरेटर/नल जल मीत्रा	ग्राम पंचायत/VWSC/पानी समिति/निर्वाचित प्रतिनिधि	PHED अधिकारी	
1	**स्रोत**				
क.	क्या पंप/मोटर बिना किसी समस्या के चालू और बंद हो रहा है?	जाँचें			दैनिक
ख.	क्या जल स्रोत विश्वसनीय और पर्याप्त है यानी सभी घरों को दैनिक घरेलू जरूरतों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराना और क्या इसका भौतिक स्वरूप स्वीकार्य है?			जाँचें	साप्ताहिक
ग.	क्या जल-स्रोत के आसपास का क्षेत्र सुरक्षित और साफ है-और वहाँ कचरा, पशु/मानव मल, पक्षियों की बीट, या कोई हानिकारक सामग्री जैसी गंदगी/प्रदूषण नहीं है?		जाँचें		साप्ताहिक
2	**आपूर्ति और कवरेज**				
क.	क्या नल, पानी की मीटर (यदि स्थापित हैं), वाल्व आदि अच्छी कार्यशील स्थिति में हैं और रिसाव-मुक्त हैं?	जाँचें	जाँचें		पाक्षिक
ख.	क्या जलापूर्ति योजना से जुड़े सबसे अंतिम/दूरस्थ घरों तक भी तय मात्रा में (लगभग प्रति व्यक्ति 4 बाल्टी) पानी पहुँच रहा है?		जाँचें		साप्ताहिक
ग.	क्या नलों में पर्याप्त जल का दबाव उपलब्ध है?		जाँचें	जाँचें	साप्ताहिक
घ.	क्या योजना से सभी स्कूलों, आंगनवाड़ी, ग्राम पंचायत भवन, स्वास्थ्य केंद्र आदि को जल की आपूर्ति चालू है या नहीं?		जाँचें		साप्ताहिक
ङ.	क्या जलापूर्ति नियमित, निरंतर और भरोसेमंद है?	जाँचें	जाँचें	जाँचें	पाक्षिक

क्र.सं.	गतिविधि का विवरण	स्वामित्व			आवृत्ति
		पंप ऑपरेटर/नल जल मीत्रा	ग्राम पंचायत/VWSC/पानी समिति/निर्वाचित प्रतिनिधि	PHED अधिकारी	
3	**जल वितरण प्रणाली एवं रखरखाव**				
क.	क्या गांव में पाइप के साथ पानी के कोई गीले टुकड़े दिखाई देते हैं? क्या पाइपलाइन और वितरण नेटवर्क बिना रिसाव के अच्छी स्थिति में हैं?	जाँचें	जाँचें		साप्ताहिक
ख.	क्या सड़क कार्य, गांव के कार्य, केबल बिछाने आदि जैसे काम करने के बाद पाइपों की और/या जिन पाइपों पर काम नहीं हुआ है, उनकी ओवरग्राउंड रूटिंग के उदाहरण हैं?		जाँचें		साप्ताहिक
ग.	क्या शिकायतों, मुद्दों और फीडबैक जैसे टोल-फ्री नंबर, शिकायत रजिस्टर आदि की रिपोर्ट करने के लिए कोई प्रणाली है?			जाँचें	हर साल
घ.	क्या ओवरहेड जल भंडारण टैंक को ब्लीचिंग पाउडर द्वारा साफ और कीटाणुरहित किया जाता है?	जाँचें	जाँचें	जाँचें	त्रैमासिक
ङ.	क्या ओवरहेड टैंक (OHT) की क्षमता गाँव की जरूरतों के लिए पर्याप्त है, या गाँववासियों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है/अपनी दैनिक आवश्यकता पूरी करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों से पानी लेना पड़ता है?		जाँचें	जाँचें	हर साल
4	**जल शोधन, कीटाणुशोधन और गुणवत्ता**				
क.	क्या जलापूर्ति में स्रोत और भंडारण टैंक (OHR/GLSR आदि) पर पानी का उपचार और/या कीटाणु-नाश (डिसइन्फेक्शन) किया जाता है (ब्लीचिंग पाउडर/इलेक्ट्रो क्लोरीनेटर/या किसी अन्य माध्यम से)?	जाँचें			दैनिक
ख.	क्या शोधन संयंत्रों का नियमित रूप से रखरखाव और निगरानी की जाती है?			जाँचें	मासिक
ग.	क्या जल गुणवत्ता का नियमित रूप से परीक्षण किया जाता है यानी पानी के नमूने एफटीके (टर्बिडिटी और आरसीएल के लिए प्रति माह प्रति गांव 2 घर न्यूनतम और स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र) के माध्यम से परीक्षण और निगरानी के लिए प्रयोगशालाओं में भेजे जाते हैं?		जाँचें	जाँचें	मासिक

क्र.सं.	गतिविधि का विवरण	स्वामित्व			आवृत्ति
		पंप ऑपरेटर/नल जल मीत्रा	ग्राम पंचायत/VWSC/पानी समिति/निर्वाचित प्रतिनिधि	PHED अधिकारी	
5	**रासायनिक और बैक्टीरियोलॉजिकल संदूषण/कीटाणुशोधन के शोधनके लिए नमूना लेने की स्थान- वार जांच**				
क.	भूजल स्रोत पर (बैक्टीरियोलॉजिकल मापदंडों के लिए परीक्षण)			जाँचें	त्रैमासिक
ख.	भूजल स्रोत पर (रासायनिक मापदंडों के लिए परीक्षण)			जाँचें	अर्धवार्षिक
ग.	सतह स्रोत से शोधन संयंत्र पर - रसायन			जाँचें	दैनिक
घ.	सतह स्रोत से शोधन संयंत्र पर - धातु			जाँचें	मासिक
ङ.	सतह स्रोत से शोधन संयंत्र पर – बैक्टीरियोलॉजिकल			जाँचें	साप्ताहिक
च.	सतही स्रोत से जल शोधन संयंत्र पर — मुक्त अवशिष्ट क्लोरीन (FRC)	जाँचें	जाँचें	जाँच	दैनिक
छ.	भंडारण (OHSR/GLSR आदि) पर—सतही जल स्रोत के लिए: रासायनिक एवं जीवाणुविज्ञानीय (बैक्टीरियोलॉजिकल) जाँच			जाँच	अर्धवार्षिक
ज.	भंडारण टैंक (OHSR/GLSR आदि) के आउटलेट पर—सतही जल स्रोत के लिए: मुक्त अवशिष्ट क्लोरीन (FRC)	जाँचें	जाँचें	जाँचें	दैनिक
झ.	वितरण प्रणाली/परिवार/स्कूलों/आंगनवाड़ी केंद्रों आदि पर एफआरसी	जाँचें	जाँचें	जाँचें	पाक्षिक
ञ.	क्या जल जनित रोग के फैलने की कोई सूचना है?	जाँचें	जाँचें	जाँचें	पाक्षिक
6	**वित्तीय स्थिरता**				
क.	क्या जल टैरिफ या उपयोगकर्ता शुल्क उत्पन्न बिलों और भुगतान पर प्रदान की गई रसीदों के लिए एकत्र किए जाते हैं?		जाँचें		हर साल
ख.	क्या उपयोगकर्ता सेवा शुल्क से उत्पन्न संसाधन का उपयोग प्रणाली के मामूली उन्नयन और सामान्य मरम्मत में किया जाता है?		जाँचें	जाँचें	हर साल

क्र.सं.	गतिविधि का विवरण	स्वामित्व			आवृत्ति
		पंप ऑपरेटर/नल जल मीत्रा	ग्राम पंचायत/VWSC/पानी समिति/निर्वाचित प्रतिनिधि	PHED अधिकारी	
7	**ग्रेवाटर प्रबंधन**				
क.	क्या ग्रेवाटर प्रबंधन पर परिवारों की परिसंपत्ति जैसे सोक पिट/लीच पिट/मैजिक पिट/किचन गार्डन या जल निकासी के साथ सामुदायिक स्तर पर गेवाटर प्रबंधन का उचित रखरखाव और उपयोग किया जाता है?		जाँचें	जाँचें	हर साल
ख.	क्या सॉक पिट के प्रावधान के बिना सेप्टिक टैंक के उदाहरण हैं?		जाँचें	जाँचें	अर्धवार्षिक
8	**भूजल का पुनर्भरण/स्रोत**				
क.	क्या प्रत्येक स्रोत के लिए पर्याप्त पुनर्भरण संरचनाएं प्रदान की जाती हैं?		जाँचें	जाँचें	त्रैमासिक
ख.	क्या पुनर्भरण संरचनाएं वैज्ञानिक रूप से नियोजित और कार्यान्वित की जाती हैं?			जाँचें	त्रैमासिक
ग.	क्या पुनर्भरण संरचनाओं का रखरखाव ठीक से किया जाता है?	जाँचें	जाँचें		त्रैमासिक
घ.	क्या पुनर्भरण संरचनाओं ने भूजल स्रोत की दीर्घकालिकता और विशेष रूप से गर्मियों में पानी की उपलब्धता पर सकारात्मक प्रभाव डाला है?		जाँचें		त्रैमासिक

संलग्नक 3
सामान्य ओ एंड एम मुद्दे और सरल समाधान

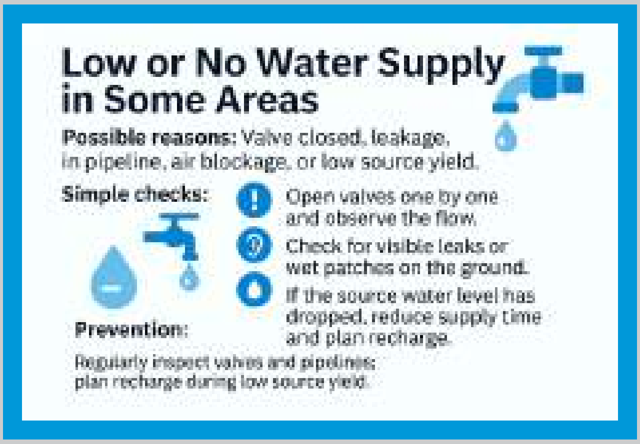

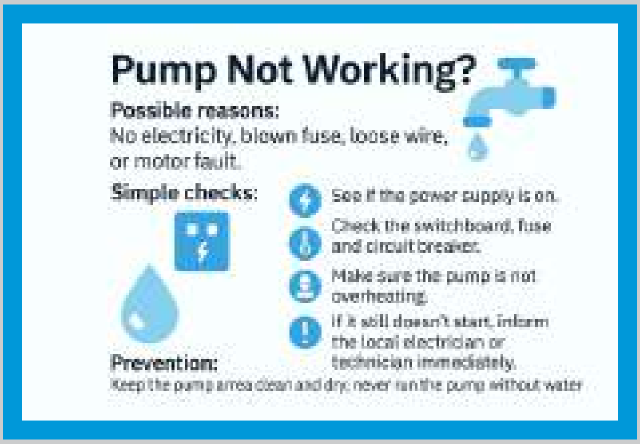

Complaints from villagers
Possible reasons (Irregular supply, dirty water, or poor pressure)
1) Listen to/Take actions on feedback:
Gram Sabha, or VWSC meetings
2) Respond quickly and explain any
temporary issue (e.g., repair or power cut)
3) Display accurately:
Display supply timings and contact number of operator at the Panchayat Bhavan.

संलग्नक 4
हस्तांतरण की तैयारी: भरोसे, पारदर्शिता और एकजुटता की एक आदर्श गाँव की कहानी (काल्पनिक)

ग्रामीण भारत के हृदय में बसा धनपुर एक शांत गाँव है, जो वर्षों से स्वच्छ और नियमित पेयजल का सपना देख रहा था। लंबे समय तक यहाँ परिवारों को पानी लाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। बच्चे भी अक्सर इस रोज़मर्रा के काम में मदद करने के लिए स्कूल से छूट जाते थे।

लेकिन जब जल **जीवन मिशन** धनपुर पहुँचा, तो बदलाव सिर्फ "योजना" का नहीं था—यह बदलाव पारदर्शिता और जवाबदेही का था, जिसमें गाँववासी अपने विकास के समान भागीदार बने।

जिस दिन गाँव मिशन का हिस्सा बना

उत्साह तब बढ़ा जब नई पेयजल योजना का काम शुरू हुआ। लोगों की आँखों में नई उम्मीद थी, कि अब घर-घर नल से पानी आएगा। लेकिन नल से पानी आने से पहले एक महत्वपूर्ण चरण पूरा होना था, **कमीशनिंग (ट्रायल रन/जांच-परख)।**

नए, पारदर्शी प्रोटोकॉल के अनुसार योजना को तब तक "कार्यशील" (पूर्ण) नहीं माना जा सकता था, जब तक सभी तकनीकी और गुणवत्ता जाँचें पूरी तरह न हो जाएँ। कमीशनिंग के दिन:

- जिला प्रशासन मौके पर पहुँचा
- PHED/ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अधिकारी तैयार थे
- पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित थे
- पानी समिति/VWSC निरीक्षण में शामिल हुई

सभी ने मिलकर **As-built ड्राइंग, ऑपरेशन मैनुअल और जल-गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट देखीं,** ताकि कोई बात छिपी न रहे और समुदाय को हर तकनीकी पहलू स्पष्ट हो। यह केवल औपचारिकता नहीं थी, यह साझी जिम्मेदारी का उत्सव था।

पहली बूंद: जाँच, सीख और भरोसा

समुदाय की मौजूदगी में इंजीनियरों ने वाल्व खोले। पहली बार पानी पाइपलाइन में दौड़ा और वितरण नेटवर्क तक पहुँचा।

लेकिन योजना को अभी "पूर्ण" घोषित नहीं किया गया।

अगले **14 दिनों** तक व्यवस्था ट्रायल आधार पर चलाई गई। इस दौरान:

- गाँव के युवा इंजीनियरों के साथ पाइपलाइन मार्ग पर "ट्रांसेक्ट वॉक" में चले और सिस्टम को समझा
- पानी समिति/VWSC की महिलाओं ने दबाव (pressure) पर निगरानी रखी
- प्रशिक्षित महिलाओं ने FTK से जल-गुणवत्ता की जाँच की
- ग्राम पंचायत के सदस्य पूरे प्रक्रम को प्रत्यक्ष रूप से देखते रहे

समुदाय केवल देख नहीं रहा था, वह सीख रहा था, प्रश्न पूछ रहा था, भाग ले रहा था और धीरे-धीरे अपने गाँव की जल-व्यवस्था को स्वयं चलाने का आत्मविश्वास पा रहा था। स्थानीय हाथों से सुरक्षित भविष्य

दो सप्ताह के अंत तक गाँववासी व्यवस्था को लगभग इंजीनियरों जितना समझने लगे थे। स्थानीय युवाओं को ऑपरेटर के रूप में प्रशिक्षित किया गया, जिससे गाँव में ही रोज़गार और सशक्तिकरण को बल मिला।

अंतिम दिन जब योजना को औपचारिक रूप से कमीशन/हस्तांतरित करने का समय आया, तो किसी को भ्रम नहीं था, कोई संदेह नहीं था, बस गर्व था। गाँववासी जानते थे कि उनका सिस्टम कैसे चलता है और इसे कैसे चालू रखना है।

इस पारदर्शिता ने केवल पानी नहीं दिया, बल्कि यह भी दिया:

- जन-विश्वास
- समुदाय का स्वामित्व
- जवाबदेही
- दीर्घकालिक सततता

शासन का ऐसा रूप, जो लोगों को अपना लगे

धनपुर की कहानी केवल पाइप और पम्प की कहानी नहीं है। यह कहानी है लोगों को प्रक्रिया में शामिल करने की, ताकि वे अपने संसाधनों के रक्षक (custodians) बनें।

अनिवार्य गुणवत्ता जाँच, दस्तावेज़ों की पारदर्शिता और हाथ-से-सीखने वाले प्रशिक्षण के माध्यम से जल जीवन मिशन केवल पानी नहीं पहुँचा रहा, वह भरोसा, सशक्तिकरण और शासन में जन-भागीदारी का नया मॉडल भी पहुँचा रहा है।

संलग्नक 5
योजना हस्तांतरण की चरणबद्ध प्रक्रिया

चरण 1: परिचय एवं उन्मुखीकरण कार्यशाला (Orientation & Sensitisation Workshop)

उद्देश्य: हितधारकों को वर्तमान स्थिति और आगे की जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट जानकारी देना।

गतिविधियाँ:

- विभाग द्वारा जिला/ब्लॉक/ग्राम स्तर पर लक्षित VWSC/पानी समिति, ग्राम पंचायत और उपयोगकर्ता समूहों के लिए कार्यशाला आयोजित की जाए।
- वर्तमान तथा भविष्य की जलापूर्ति स्थिति को स्पष्ट रूप से समझाया जाए।
- दृश्य सामग्री, योजनाचित्र (schematic diagrams) और O&M रजिस्टरों के नमूने प्रदर्शित किए जाएँ।
- क्लोरीनेशन, वाल्व संचालन, शिकायत निवारण प्रक्रिया आदि का व्यावहारिक प्रदर्शन कराया जाए।
- नियमित रख-रखाव हेतु मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOPs) समझाई जाएँ।
- पंप ऑपरेटरों के लिए सुरक्षा दिशा-निर्देश दोहराए/समझाए जाएँ।
- रिपोर्टिंग के फॉर्मेट/प्रारूप समझाए जाएँ।

दस्तावेज़ीकरण:

- उपस्थिति पत्रक तैयार कर संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किया जाए।
- बैठक की कार्यवाही/मिनट्स दर्ज किए जाएँ।
- सत्यापन हेतु फोटो संलग्न किए जाएँ।
- ग्राम प्रधान, VWSC नोडल अधिकारी और विभाग प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर किए जाएँ।

चरण 2: तकनीकी आकलन एवं विस्तृत सूचीकरण (Technical Assessment & Detailed Inventory)

विवरण:

- पंप, भंडारण टैंक और वितरण नेटवर्क का इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑडिट।
- उपकरणों का विवरण: मॉडल/मेक, क्षमता, पावर रेटिंग, कार्यशील स्थिति।
- घरेलू नल कनेक्शन: वर्तमान संख्या और कवरेज क्षेत्र।
- रख-रखाव रिकॉर्ड: खराबियों/मरम्मत का पूर्व डेटा।
- जल-गुणवत्ता जानकारी: परीक्षण परिणाम एवं दूषण/प्रदूषण स्थिति।
- वारंटी विवरण: अवधि और निर्माता जानकारी।
- आवश्यक मरम्मत/अपग्रेड: जिन वस्तुओं का तत्काल प्रतिस्थापन आवश्यक है।

मुख्य तकनीकी पैरामीटर:

- पंप डिस्चार्ज एवं हेड (head) का विवरण।
- पाइपलाइन का प्रेशर रेटिंग।
- भंडारण टैंक की क्षमता एवं संरचनात्मक स्थिति।

- कंट्रोल वाल्व का विवरण एवं कार्यशीलता।
- (जहाँ लागू हो) उपचार संयंत्र (WTP) की क्षमता।

परिणाम:

- तकनीकी आकलन रिपोर्ट GP और विभाग द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित।
- भविष्य के सभी O&M मूल्यांकन हेतु बेसलाइन दस्तावेज़।
- एक प्रति ग्राम पंचायत को, एक प्रति EE कार्यालय में सुरक्षित।

चरण 3: संयुक्त निरीक्षण/वॉक-थ्रू (Joint Walk-Through)

उद्देश्य: प्रणाली का प्रत्यक्ष निरीक्षण एवं व्यवस्था से परिचित होना।

प्रक्रिया:

- प्रतिभागी: VWSC/GP सदस्य तथा विभाग/PHED (मैक्रो-यूटिलिटी) के अधिकारी।
- कवरेज: स्रोत से लेकर घर के नल तक क्रमबद्ध निरीक्षण।
- पहचान: संभावित कमजोरियाँ—लीकेज, कम दबाव वाले क्षेत्र, वाल्व की खराबी आदि।
- चिन्हांकन: महत्वपूर्ण बिंदुओं को As-built ड्रॉइंग पर चिन्हित करना।
- सीख: सिस्टम लेआउट व संचालन की हाथों-हाथ समझ विकसित करना।

दस्तावेज़ीकरण:

- वॉक-थ्रू की कार्यवाही व प्रतिभागियों की टिप्पणियाँ दर्ज की जाएँ।
- संयुक्त फोटोग्राफ रिकॉर्ड संलग्न।
- चिन्हित As-built ड्रॉइंग VWSC/GP के साथ साझा।
- गाँव में जलापूर्ति नेटवर्क का डायग्राम प्रदर्शित किया जाए।

चरण 4: स्व-आकलन मैट्रिक्स (Self-Assessment Matrix)

उद्देश्य: औपचारिक हस्तांतरण से पहले "तैयारी/तत्परता" की आंतरिक पुष्टि।

20-बिंदु चेकलिस्ट:

1. परिचय एवं संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित हुई।
2. संयुक्त वॉक-थ्रू पूरा हुआ; As-built ड्रॉइंग उपलब्ध।
3. परिसंपत्ति सूची एवं इन्वेंटरी तैयार।
4. सेवा क्षेत्र ग्राम पंचायत के अधिकार-क्षेत्र में।
5. योजना बिना बड़े ब्रेकडाउन के संतोषजनक चल रही है।
6. जल-स्रोत पर्याप्त रूप से संरक्षित।
7. WTP/ट्रीटमेंट प्लांट/डिसइन्फेक्शन यूनिट पर्याप्त क्षमता व ठीक स्थिति में।
8. भंडारण टैंक आवश्यक क्षमता के और संतोषजनक स्थिति में।
9. पाइपलाइन नेटवर्क कार्यशील; कोई लीकेज नहीं।

10. पम्पिंग मशीनरी संतोषजनक चल रही है।
11. नियमित रख-रखाव हेतु O&M कर्मी चिन्हित।
12. पर्याप्त O&M कर्मी उसी गाँव से उपलब्ध।
13. O&M कर्मी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित।
14. O&M कर्मियों के पास आवश्यक उपकरण उपलब्ध।
15. VWSC/GP को निवारक रख-रखाव का शेड्यूल ज्ञात है।
16. VWSC/GP को औसत मासिक O&M लागत व घटक ज्ञात हैं।
17. उपयोगकर्ता शुल्क वसूली हेतु VWSC/GP तैयार (प्रस्ताव पारित)।
18. उपयोगकर्ता शुल्क वसूली O&M चलाने हेतु पर्याप्त।
19. VWSC/GP ने वित्तीय योजना पूरी की है।
20. वित्तीय योजना संचालित करने हेतु समर्पित मानव संसाधन उपलब्ध।

प्रक्रिया:

- VWSC/GP "हाँ/नहीं" में प्रविष्टि करे।
- हर उत्तर के साथ प्रमाण/टिप्पणी दें।
- सहायक दस्तावेज़ संलग्न (प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, उपकरण सूची, वित्तीय दस्तावेज़)।
- अंतिम स्वीकृति/स्वीकृति निर्णय औपचारिक रूप से दर्ज किया जाए।

चरण 5: वित्तीय योजना तैयार करना (Financial Plan Preparation)

मुख्य घटक:

- उपयोगकर्ता शुल्क के माध्यम से लागत-वसूली रणनीति।
- O&M निधि हेतु अलग समर्पित बैंक खाता।
- मासिक/वार्षिक व्यय अनुमान: बिजली, कर्मी मानदेय/वेतन, सामग्री, रसायन आदि।
- धन स्रोत स्पष्ट: उपयोगकर्ता शुल्क, GP योगदान, राज्य अनुदान आदि।
- वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया निर्धारित।
- लेखा-परीक्षा (Audit) प्रक्रिया व समय-सारिणी तय।
- नियमित, निवारक व आपात मरम्मत हेतु बजट प्रावधान।
- वित्तीय प्रबंधन समिति/दल नामित, जिम्मेदारियाँ स्पष्ट।

विभागीय सहयोग:

- व्यवहार्य योजना बनाने हेतु हैंडहोल्डिंग।
- लागत अनुमान व संसाधन प्रबंधन पर मार्गदर्शन।

चरण 6: ग्राम सभा एवं MoU हस्ताक्षर (Gram Sabha & MoU Signing)

ग्राम सभा प्रक्रिया:

- सभी पूर्व-हस्तांतरण चरण पूरे होने पर विशेष ग्राम सभा।
- अवसंरचना विवरण साझा: दायरा, प्रणालियाँ, विनिर्देश।
- O&M जिम्मेदारियाँ समुदाय को स्पष्ट रूप से समझाई जाएँ।
- स्थानीय स्वामित्व के लाभ विस्तार से बताए जाएँ।
- प्रश्न-उत्तर के माध्यम से सूचित निर्णय-निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

MoU हस्ताक्षर:

- पक्ष: विभाग/मैक्रो-यूटिलिटी और ग्राम पंचायत।
- विषयवस्तु: दायित्व, रिपोर्टिंग चैनल, एस्केलेशन व्यवस्था, प्रदर्शन संकेतक।
- अधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर।
- हस्तांतरण की प्रभावी तिथि दर्ज।

दस्तावेज़ीकरण:

- बैठक की कार्यवाही दर्ज।
- स्वीकृति प्रस्ताव पारित व दर्ज।
- रिकॉर्ड हेतु फोटो।
- दोनों पक्षों के पास प्रतियाँ सुरक्षित।

विभागीय फॉलो-अप:

- 3 महीने बाद फॉलो-अप आकलन।
- 6 महीने बाद अनुपालन समीक्षा।
- आवश्यकता अनुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण।

चरण 7: फॉलो-अप ग्राम सभा (3–6 महीने बाद)

- प्रारंभिक अवधि के O&M प्रदर्शन की समीक्षा।
- दीर्घकालिक दक्षता हेतु सततता योजना का अनुमोदन।
- जल प्रबंधन प्रथाओं का प्रदर्शन-समीक्षा।
- आवश्यकता पर रिफ्रेशर प्रशिक्षण।
- फीडबैक संग्रह के साथ निरंतर सामुदायिक सहभागिता।

संलग्नक 6
वार्षिक बजट योजना (Annual Budget Plan)

क्र.	बजट मद	विवरण	वार्षिक अनुमान (₹)
		व्यय (Outflows)	
1	बिजली शुल्क	पंपिंग, उपचार (ट्रीटमेंट), आदि के लिए बिजली लागत	
2	मानदेय/वेतन एवं स्थायी खर्च	ऑपरेटर, सहायक, लेखाकार, चौकीदार/केयरटेकर आदि	
3	उपभोज्य सामग्री (Consumables)	क्लोरीन/ब्लीचिंग पाउडर, फिटकरी (alum), ग्रीस/लुब्रिकेंट, छोटे औज़ार आदि	
4	मरम्मत एवं रख-रखाव	पाइपलाइन लीकेज मरम्मत, वाल्व बदलना, पंप मरम्मत आदि	
5	जल गुणवत्ता निगरानी	परीक्षण किट/FTK, नमूना जाँच संबंधी सामग्री आदि	
6	प्रशासनिक खर्च	स्टेशनरी, बैठकों का खर्च, सूचना/नोटिस आदि	
7	आकस्मिक निधि (Contingency Fund)	कुल O&M लागत का न्यूनतम 10%	
कुल व्यय (A)			
		आय (Inflows)	
1	जल उपयोगकर्ता शुल्क	लाभार्थियों/परिवारों से प्राप्त शुल्क	
2	ग्राम पंचायत से वित्त आयोग/अन्य अनुदान	GP द्वारा आवंटित अनुदान	
3e	अन्य प्राप्तियाँ	कबाड़ (scrap) बिक्री/अन्य आय	
कुल आय (B)			
कुल घाटा/अधिशेष (C) = (A-B)			
GP/राज्य से आवश्यक निधि (यदि घाटा हो)			

हर गाँव के नाम संदेश

पेय जल प्रबंधन हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है

जब समुदाय जिम्मेदारी लेता है, तो व्यवस्था **ज्यादा समय** तक सही चलती है। जब महिलाएँ नेतृत्व करती हैं, तो जल **हर घर तक** और **समान रूप** से पहुँचता है।

जब हर परिवार अपना छोटा-सा योगदान देता है, तब कोई नल **सूखा नहीं रहता।**

आइए, हम सब मिलकर यह संकल्प लें: हम अपनी जलापूर्ति व्यवस्था की देखभाल करेंगे, जल-स्रोतों की रक्षा करेंगे, और इस अमूल्य धरोहर को अपने बच्चों तथा आने वाली पीढ़ियों को **जिम्मेदारी के साथ** सौंपेंगे।

क्योंकि **जल ही जीवन है,** और अब यह जीवन **हमारे हाथों, हमारी देखभाल** और **हमारे संकल्प** में है।

टिप्पणी:

Jal Jeevan Mission, India
@jaljeevan_
Jal Jeevan Mission
@jaljeevanmission
jjm.gov.in
Jal Jeevan Mission

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
राष्ट्रीय जल जीवन मिशन
नई दिल्ली - 110 003
ईमेल: rnd-ddws@gov.in

© जलजीवनमिशन-2026